ANNEXURE

CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
LUCKNOW BENCH LUCKNOW

INDEX SHEET

CAUSE TITLE OA 440/87 OF

NAME OF THE PARTIES Shiv Shankar Shukla

Applicant

Versus

UOI &rs

Respondent

Part A,B & C

Sl. No.	Description of documents		Page
1	Index sheets	A to A2	
2	CAT order sheets	A1 to A13	
3	Judgement dt. 04-8-92	A1 to A4	
4	Copy of Petition dt 28-4-87 Annexure	A1 to A47	
5	Written statement reply	A1 to A10	
6	Rejoinder reply	A1 to A11	
7	Supplimentary application	~~A12 to~~ A1 to A23	
8	Notices, ~~Papers~~	A1 to A2	
9	Papers	A1 to A4	
10			
11			
12			
13			

CERTIFICATE

Certified that no further action is required to taken and that the case is fit for consignment to the record room (decided) File B weeded and destroyed.

Dated.....................

Counter Signed.......

Section Officer / In charge

24/1/13

Signature of the Dealing Assistant

CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
LUCKNOW BENCH

FORM OF INDEX

O.A./~~T.A./R.A./C.C.P.~~/ No. OA 440/1987

PART -I

1.	Index Papers	:-	Nil
2.	Order Sheet	:-	1 to ~~12~~ 13
3.	Any other orders	:-	Nil
4.	Judgement	:-	~~13 to 15~~ dt. 4/9/92 14-17
5.	S.L.P.	:-	Nil

DY. Ragistrat

Supervising Officer (Kulbir Lal)

Dealing Clerk 28/12

Note :- If any original document is on record - Details. Nil

Dealing Clerk 28/12

V.K. Mishra

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH : NEW DELHI

ADDITIONAL BENCH : ALLAHABAD

BETWEEN

Sheo Shankar Shukla --- Applicant

AND

Union of India
& others -- RESPONDENTS

--

1. Particulars of the applicant:

(i) Name of the Applicant: Sheo Shankar Shukla

(ii) Father's name : Sri Nageshwar Shukla

(iii) Age of the applicant : 52 years.

(iv) Designation : Sr. Booking Clerk at Colonelganj Railway Station

(v) Office Address : Sr. Booking Clerk, Colonelganj Railway Station.

(vi) Address for services of all notices: Village: Mokalpur pura Madh Nagar, P.O.Mokalpur Distt: Gonda.

ORDER SHEET.

OA No 440-87 · (1A) (2)

25/5/87 See order on the main petition.

22/6/87 OR.
In compliance of Tribunal's order dt. 25/5/87 notices were issued to the respondents to file reply by.

25/6/87
No reply has been filed so far.

Submitted
[signature]

Deputy Registrar

25/6/87 Shri VK Goel filed vakalatnama on behalf of respdt, on his request he is allowed to file reply by 21/7/87.

[signature]
DR(J)

21/7/87 Deputy Registrar
On the request of Counsel for respdt, he is allowed to file reply by 14/8/87.

[signature]
DR(J)

ORDER SHEET

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL

ALLAHABAD

NO. OA 440/87 OF 198

VS

SL NO of order	Date of order	ORDERS WITH SIGNATURE	Office Notes as to action (if any) taken on order
	2/11/87	Registrar Rejoinder affidavit filed today. List this case on 7/12/87 in compliance with Hon'ble Bench's order dt: 19/10/87. Registrar	
	7/12/87	~~On filing. Adj to 11-1-88.~~	
		G.R. A/o Misc. Appln. (Hon'ble ...) No 15/87 is placed before court for order. 8/1/88	
	11.1.88	On the ... of a ... the case is adjourned to 24.2.88.	

(6) order Sheet OA 440/87

30.9.88 No Sitting Adjd to 30.11.88.

O.R.

14-10-88 Notices issued to the parties fixing 30th Nov. 1988 for hearing at Circuit Bench Lucknow.

S Rao kumar
14-10-88

Notices issued to the applicant's counsel and Respondents counsel fixing 23-12-88 for Lko C.B. on 8/12/88.

8/12

25.1.89 D.R

This file recd. dt. 10/1/89. So the case is fixed on 25.1.89.
No. R.A filed. Rejoinder can be filed by 22.2.89

D.R

22/2/89 D.R

No rejoinder filed. Rejoinder filed by 28.3.89.

D.R

28/3/89 DR

As the presiding officer is not present, the case is adjourned to: 12/4/89.

BOC

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
CIRCUIT BENCH, LUCKNOW

(8)

ORDER SHEET

REGISTRATION No. O.A. No.440/87 of 198 .

APPELLANT / APPLICANT: S.S. Shukla

VERSUS

DEFENDANT / RESPONDENT: Union of India

Serial number of order and date	Brief Order, Mentioning Reference if necessary	How complied with and date of compliance
	Hon' Mr. K.J. Raman, A.M.	
16/5/89	None is present for the applicant. The briefholder for the learned counsel for the respondents requests for adjournment. This case be listed for hearing on 17-8-89.	
	A.M. (sns)	
	No Sitting Adj. to 30.X.89. Both the Counsel are present 17/8	Submitted for hearing 27/10
	Hon' Mr. D.K. Agrawal, J.M.	
30.10.89	None appears for the parties. List this case on 9-1-90 for hearing.	
	J.M. (sns)	
9-1-90	No Sitting Adj to 5-3-90. 9/1/90	

O.A. 440 of 1987 (12)

3.3.92

Hon. Mr. Justice U.C. Srivastava, V.C.
Hon. Mr. A.B. Gorthi, A.M.

The applicant has moved an application in the month of November 1990 by which he brought out various certain to the notice of the Court and prayed that a delay in filing the supplementary affidavit may be condoned and the same may be taken on record.

In view of the fact that this application contained facts and the grounds which are very material for the purposes of this case, the application is allowed. The Respondents are granted 4 weeks time to file supplementary counter affidavit. Thereafter the case may be heard and disposed of. List this case on 31-5-92 for hearing.

A.M. V.C.

1.6.92 No sitting adj to 16.7.92

CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
ADDITIONAL BENCH,

23-A, Thornhill Road, Allahabad-211001

Registration No. 440 of 1987

APPLICANT (s) Sheo Shanka Shukla

RESPONDENT(s) U.O.I through G.M. N.E.Rly + 5 others.

Particulars to be examined	Endorsement as to result of Examination
1. Is the appeal competent ?	Yes
2. (a) Is the application in the prescribed form ?	Yes
(b) Is the application in paper book form ?	Yes
(c) Have six complete sets of the application been filed ?	Yes, 0 set
3. (a) Is the appeal in time ?	Yes
(b) If not, by how many days it is beyond time ?	—
(c) Has sufficient case for not making the application in time, been filed ?	—
4. Has the document of authorisation/Vakalat-nama been filed ?	Yes
5. Is the application accompanied by B. D./Postal-Order for Rs. 50/-	Yes
6. Has the certified copy/copies of the order (s) against which the application is made been filed ?	Yes
7. (a) Have the copies of the documents/relied upon by the applicant and mentioned in the application, been filed ?	Yes.
(b) Have the documents referred to in (a) above duly attested by a Gazetted Officer and numberd accordingly ?	Yes

A/1

Particulars to be Examined	Endorsement as to result of Examination
(c) Are the documents referred to in (a) above neatly typed in double space ?	Ys.
8. Has the index ot documents been filed and paging done properly ?	Ys in two Copies Only
9. Have the chronological details of representation made and the outcome of such representations been indicated in the application ?	Ys
10. Is the matter raised in the application pending before any Court of law or any other Bench of Tribunal ?	No.
11. Are the application/duplicate copy/spare copies signed ?	~~Ys~~ Only two copies signed.
12. Are extra copies of the application with Annexures filed ?	Ys
(a) Identical with the origninal ?	Ys
(b) Defective ?	No
(c) Wanting in Annxures Nos................../Pages Nos.. .... ?	—
13. Have file size envelopes bearing full addresses, of the respondents been filed ?	No
14. Are the given addresses, the registered addresses ?	Ys
15. Do the names of the parties stated in the copies tally with those indicated in the application ?	Ys
16. Are the translations certified to be true or supported by an Affidavit affirming that they are true ?	N.A.
17. Are the facts of the case mentioned in item No. 6 of the application ?	
(a) Concise ?	Ys
(b) Under distinct heads ?	Ys
(c) Numbered consectively ?	Ys
(d) Typed in double space on one side of the paper ?	Ys
18. Have the particulars for interim order prayed for indicated with reasons ?	No
19. Whether all the remedies have been exhaused.	Ys.

If approved Case may be listed on 25/5/87 as prayed.

DR (J)

[signature] 14/5/87

Submitted pl.

[signature] 14/5/87

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
LUCKNOW BENCH
LUCKNOW

O.A. NO 440/87 199 (L)

T.A. NO . ______

Date of Decision 4.8.92

[illegible] PETITIONER.

Shri [illegible] Srivastava Advocate for the Petitoner(S)

V E R S U S

Union of India & others RESPONDENT.

Shri [illegible] Advocate for the RESPONDENT(S)

CORAM

The Hon'ble. Mr. Justice U.C. Srivastava V.C.

The Hon'ble. Mr. [illegible], Adm. Member.

1. Whether Reporter of local papers may be allowed to see the Judgment? Y

2. To be referred to the reporter or not ? Y

3. Whether their Lord ships wish to see the fair copy of the Judgment? N

4. Whether to be circulated to other benches ? N

Vice-Chairman/Member

(13) (14)

CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL, LUCKNOW BENCH
LUCKNOW

O.A.No. 440/87

Sheo Shankar Shukla .. Applicant

versus

Union of India & others. Respondents.

Shri O.P.Srivastava Counsel for Applicant.
Shri B.K.Shukla Counsel for Respondents.

Hon.Mr. Justice U.C. Srivastava, V.C.
Hon.Mr. K.Obayya, Adm. Member.

(Hon. Mr. Justice U.C.Srivastava, V.C.)

The applicant wasin railway service and was promoted in the year 1964 as ~~Senior~~ Booking Clerk and in the year 1975 he was promoted as Senior Booking Clerk. A charge sheet was issued to him on 14.1.1984, while he was working as such. The charge against him was that the applicant demanded a sum of Rs 85/- from Vigilance Khalasi as Railway fare between Karnailganj to Barauni while the actual fare was Rs 83/- Thus he took Rs 2/- excess for his personalgain. Apart from that he struck out theprinted fare which was printed as Rs 16-10. Further, though he was in service, he did not declare his personal belongings and violated Rule 31(1) of theConduct Rules. Enquiry proceeded andthe enuiry officer was appointed. Witnesses were examined and after recording the statement of the witnesses the enquiry officer concluded that the charges were proved. The applicant was removed from service. The appeal filed by the applicant was dismissed, whereafter, he filed this application before the Tribunal.

2. The learned counsel for the applicant vehemently contended that the finding of the enquiry officer clearly reveals that the finding is not based on any evidence as nobody saw him except Shri Bal Ram Tewari the cited witness who had seen the applicant hiding the two rupees note and he was not examined. The applicant should have been given the opportunity to cross examin Shri Bal Ram Tewari and the applicant should have been exonerated.

3. We have gone through the enquiry officer's report. The finding is based on statement of witnesses and it was within the jurisdiction of the authority and the enquiry was on the basis of the actual witnesses. Even if it is accepted that the finding is based on irrelevent evidence that is no ground for interference. It cannot be said that there is no evidence whatsoever against the applicant to hold him guilty and there being some evidence no intereference can be made. As has been observed in the case of Union of India versus Parma Nand (1989 SCC (L&S) 303 ,where-in it has been stated that "Tribunal has ordinarily no power to interfere with punishment awarded by competent authority in departmental proceedings on ground of the penalty being excessive or disproportionate to the misconduct proved, if the punishmen is based on evidence and is not arbitary, malafide or perverse."

It was further held in the above case:

> "The jurisdiction of the Tribunal to interfere with the disciplinary matters or punishment cannot be equated with an appellate jurisdicti

The Tribunal cannot interfere with the findings of the Enquiry Officer or competent authority where they are not arbitary or utterly perverse. The power to impose penalty on a delinquentofficer is conferred on the competent authority either by an Act of legislature or rules made under the proviso to Article 309 of theConstitition. If there has been an enquiry consistent with the rules and in accordance with principles of natural justice what punishment would meet the ends of justice is a matter exclusively with the jurisdiction of the competent authority. penalty can lawfully be imposed andis imposed on the proved misconduct, theTribunalhas no power to substitute its own discretion for that of the authorit The adequacy of penalty unless it is mala fide is certainly not a matter for the Tribunal to concern itself with. The Tribunal also cannot inter-fere with the penalty if the conclusion of the Inquiry Officer of the competent authority is based on evidence even if some of it is found to be irrelevant or extraneou to the matter."

4. The learned counsel for the applicant pointed out that extraneous matter has been taken into account with finding, as has been observed, let there be some extraneous matter. Finding is based ~~is based~~ on statemen of witnesses and it cannot be said that the finding is

perverse and consequently no interference kscan be made even if one witness was not examined. Accordingly, it is not possible to interfere with the enquiry .The learned counsel for the applicant contended that it may be by mistake that the applicant would have charged Rs 2/- more and for this petty amount the quantum of punishment is not commensurate and that thepunishment is excessive. It may be so and punishment apparently may be somewhat harsh but as has been observed by the Supreme Court, Tribunal has no jurisdiction or power to interfere with the quantum of punishment. This application has got to be dismissed and accordingly it is dismissed. It is not such a case in which interference can be made so far as quantum of punishment can be made.

Adm. Member. Vice Chairman.

Shakeel/ Lucknow:Dated 4.8.92.

2. Particulars of the respondent:

(i) Union of India through General Manager, N.E. Railway, Gorakhpur

(ii) Divisional Commercial Supdt. N.E.Railway Lucknow.

(iii) Sr. Divisional Commercial Supdt., Lucknow,

(iv) Additional Railway Divisional Manager, N.E.Railway, Divisional Officer, Lucknow.

(v) Divisional Commercial Supdt., Lucknow

(vi) Divisional Railway Manager, N.E.Railway Lucknow.

3. Particulars of the order against which application is made:

(a) Order No. LP/SS-C/VIG/37/84 Annexed as Annexure I.

(ii) Date: 25.9.85

(iii) Passed by : Sri M.K.Varun

(iv) Order for Removal of the petitioner from service.

(B)

(i) Order No. LD/SS-C/Vig/37/84 - Annexure-II

(ii) Date: 16.1.1986

(iii) Passed by : Senior D.C.S.

(iv) Appeal was rejected.

(C)

(i) Order No.: LD/SS-C/Vig/37/84 - Annexure-III

(ii) date: 20.3.1986

(iii) Passed by Additional Divisional Railway Manager.

(iv) The revision petition is regretted.

(D)

(i) Order No.: LD/SS-C/Vig./37/84- Annexure-IV

(ii) Dated: 22.5.86

(iii) Passed by : Divisional Commercial Superintendent, Lucknow.

(iv) No provision of another revision petition.

(E)

(i) Order No. LD/SS-C/Vig./37/84 - Annexure-V

(ii) Dated : 27.10.86

(iii) Passed by : Divisional Railway Manager, Commercial, N.E.Railway, Lucknow.

4. Jurisdiction:

The applicant declares that the subject matter of the order against which he wants

redressal is within the jurisdiction of this Hon'ble Tribunal.

5. Limitation:

The applicant further declares that the application is within the limitation prescribed in section 21 of the Administrative Tribunal Act 1985.

6. Facts:

The facts regarding the case are given below:

6.1. That the applicant joined Railway service in the year 1957 on 2nd December. He was promoted as Booking clerk in the year 1964 and Senior Booking clerk in the year 1975. Since then he was doing all his duties with the great seal and to the satisfaction of his superiors.

6.2. That it is alleged that the applicant Sheo Shankar Shukla was posted as Senior Booking Clerk at Colonelganj Railway Station and he was present at the booking window when vigilence khalasi namely Devi Prasad asked two tickets from colonelganj to Barauni Jn. The applicant

gave two tickets and charged Rs.83/- while it is alleged that the applicant charged Rs.85/-.

6.3. That it is alleged that the applicant took Rs.85/- and put Rs.83/- in the Govt. cash and remaining Rs.2/- he had hidden under his Chaddar which was on a box nearly 5'-6' feet away from his seat. where the applicant was sitting .

6.4. That according to the charge sheet on 14.1.84 the Panchnama was prepared in Malgodown Colonelganj dt. 23.30. It is also alleged that from some reliable sources the vigilence persons came to know that the present working Booking clerk use to take some excess amount from the passengers of long journey. After preparing the panchnama vigilence inspector deputed vigilence khalasi Devi Prasad to purchase the tickets and vigilence khalasi Hari Shankar ingh was standing to listen the talk of booking clerk and Devi Prasad. It is further alleged that vigilence khalasi asked the fare from Colonelganj to Barauni Jn. for two tickets. The applicant told Rs.85/- and the Vigilence Khalasi gave Rs.85/- it was heard by Vigilence khalasi Hari Shankar Singh who was standing behind Devi Prasad. It was direction

to vigilence khalasi to pay for tickets after asking the booking clerk.

6.5. The door was knocked and booking clerk opened the door. In the booking office there were two of his relation, who left the booking office immediately when the vigilence person came inside. It is alleged that Chief Vigilence Inspector Sri Balram Tewari had seen the applicant hiding Rs.2/- under the bed sheet whose evidence has not been recorded. and it was raised before the appellet authority who did not appriciate this point that Balram Tewari's evidence is not recorded, what is reason behind it

6.6. It is said in the charge sheet that the search of Vigilence Khalasi Devi Prasad was taken by Sri K.S.Rathor V.I. and the amount of Rs.85/- was given as follows:

(a)	A note of Rs. No. 8CK 411072	50
(b)	A note of Rs- No. '(VG 72850	20
(c)	A note of Rs. No.	5
(d)	3 G.C.Note of Rs.2x3 No. 98 F 507080 C/41 172303, W/84 070737	6

(e) 4 G.C. note of Re.1x4 4

No. 17F 256159

28E 51367

45D 407526

5/88 7082 66E

85/-

6.7 That the abo e notes amounting Rs.85/- was given to the Vigilence khalasi but when it was checked by C.V.I. in the tube were the amount was said that Rs.83/- were found and applicant was hiding a two Rupees note and Chief Vigilence Inspector Sri Bal Ram Tewari has seen which is alleged but Balram Tewari 's evidence was not recorded, neither he said any where not he gave any such statement regarding Rs.2/- which is alleged to be seen by him.

6.8 It is nowhere mentioned that any member of the decoy has been the applicant hiding the two ruppes note except Sri Devi Prasad and Hari Shankar Vigilence Khalasi who said that Rs.85/- was aksed by the applicant for two tickets from Colonelganj to Barauni Jn.

6.9 After the incident the applicant was suspended and charge sheeted, lateron he was transferred to Balram Pur. Station. The enquiry established and the enquiry was donducted by Sri M.L.Srivastava who works under Vigilence Officer.

6.10. That the appointment of Sri M.L.Srivastava as an Enquiry Officer was illegal as he works under pressure of Vigilence Officer who is final authority. The Confidential report intiated by enquiry officer who is also working under the aforesaid C.V.O. and as such Sri M.L.Srivastava was not impartial and independent to conduct the enquity .

6.11. That Sri M.L.Srivastava was informed during Enquiry on 30.4.85 that the applicant 's written statement of defence dated 20.9.84 was lying with his discipilinary authority unconsidered where he demanded a copy of w.s. of the defence assuring that the would forward the same to the discipilinary authority and therefore it was given to him on the said date but continued the enquiry without sending the same to the said disciplinary authority. As such it is proved that

Sri M.L.Srivastava EI/DA was not functioning impartially and judiciously and therefore finding given by him are biased.

6.12. That a close study of the applicant case study of the records of proceeding would show that the same is biased and not based on the evidences on records also it contains the incorrect facts and therefore the findings vis-avis the order of the learned D.C.S. are illegal. It is further submitted that the Enquiry Officer Sri M.L.Srivastava has clearly written en page 4 and para 4 of the report that the charte sheeted Railway Employee has not given any written statement in his defence. Here Enquiry Officer Srivastava has concealed the facts.

6.13. That the story looks like concated that the applicant takes only Rupee one per ticket or Rs. two. The Vigilence inspector gave Rs.85/- for two tickets and Rs.85/- were aksed by the applicat and the same was given to the applicant by Devi Prasad Vigilence Khalasi does not look proper and it seems that this consipiracy was pre-planned.

6.14 That the Eqquiry Officer gave his opinion about the applicant for which he has no authority and he admits on page 10 that his conclusions based only on his opinion and conjuncture. As he has stated that the applicant new under the circumstances that there is something black in the bottom.

6.15. That there was no evidence that the applicant had hidden the Rs.2 note under the bed sheet. It is further alleged that Sri Bal Ram Tewari the cited witness had seen the applicant hiding the two rupees note but he did not attend the enquiry to give evidence against the applicant.

6.16. That the Enquiry officer did not appriciate the saying of Sri G.S.Misra P.W. deposed on 28.6.85 in reply to cross examination by D.C. vide item 15 of R.O.P 10 who said that circumstance itself citing that there was no independent eye witness.

6.17. That the enquiry report of the E.I./DA is perverse. He whas silenced the truth by one stroke of his pen and made one story on his own.

Sri Hari Shankar Singh deposed on 19.4.85 who had instructions to watch that what the applicant was doing inside after issuring tickets and he and his colleague Devi Prasad did not leave the counter untill V.I. went inside the Booking office. He saw him on his seat and opened the door immediately he asked. Sri K.S.Rathore confirms that xhe had given instruction to that effect. He also adds that Balram Tewari came inside who was studing at a distance indicated that the money was under that bed. Devi Prasad has stated that there was light and the Booking clerk was on his seat doing nothing. He also says that Balram Tewari came in the Booking Office in the last. If has been moved by P.W. G.S. Misra, Jawad Ali, K.S.Rathore that the bed was at a distance of 5 ft. and the applicant could not reach the bed without getting up and going same steps. When the EI/DA felt and accepted that it was impossible for the applicant to hide the money under the bed sheet He left embrassed due to working under C.V.O. to prove the misdeed of money. And as such he moved that the two pupees note was hidden by applicant while going to open the door. There is no proof of the effect nor the allegation is as such.

6.18. That the EI|DA (Vig.) has mentioned at page 9 of his enquiry that if it is supposed

that the two rupees note was hidden by some member of the vigilence . There is no evidence regarding this.

6.19. That it is very important and pertinent to mention here that non of the vigilence party entered the Booking office prior to opening of the door. There is no question of hiding Rs.2/- by the applicant becamsehe was not knowing anything regarding the vigilence party.

6.20. That it is alleged by prosecution witnesses that one of his relative was inside the Booking office and if his relation was going out side and if the applicant could be knowing about the vigilence party must have given that Rs.2/- to his relative the story of taking Rs.2/ extra from the tiket is wrong baseless concocted and false.

6.21. That it is alleged that Balram Tewari V.I. from the booking window where both the khalasis were standing saw the applicant hiding the money. Now it is a wuestion that from that booking window how only Balram Tewari saw the applicant hiding Rs.2 note why not those two vigilence

Disagreed
AKhandela

khalasis. This is a story of after thought and no any other window was open because it was a mid night and chilly cold.

6.22. It is very important and pertinent to mention here that if vigilence Inspector Balram Tewari had seen the applicant hiding the money he must hav e asked the station master. Chief Booking supervisor to see the happening and to witness the place where the money was hidden by the applicant. This was not done but it is allged that for when the confrontation arose, vigilence khalasis tol that the applicant has taken Rs.85/- then the door was oepneed and search was made after checking the cash when according to the saying of vigilence khalasis two rs. extra were taken . It was no other person nor the applicant who had hidden that two rupees note but it was the shameful work of the any member of the vigilence theam.

6.23. That the respondent no.2 signed the prepare cyclostyle order with going through the records on evidence which have been deposed by the P.W.s.

6.24. That all the statement deposed on by

all the six PWs are annexed herewith as Annexure No. to this application for perusal

6.25. That the order of learned D.C.S. Lucknow Jn. are illegal, the applicant was on duty during his suspension period and tthere was not any bad remark in his 29 years of service The story is totally baseless concted and not believeable.

6.26. That the fact of the case and the prosecution story is b oth are opposite to each other, story is concated C.VI. Balram Tewari has not seen the applicant hiding the two rupees note below the nedsheet nbut the consipiracy was known to him and the every memner of the team was knwing about Rs. two.

It will be more clear that the Panchnama which is said to be prepared in Malgodown colonelganj amy be prepared after the happening and the said two rupees was hidden by any member of the decoy.

6.27. That a number of question arises on this dramatic story where every member plays

some very important role. Every statement make it clear that no body has seen the applicant hiding the money except Sri Bal Ram Tewari whose statement has not been taken nor evidence is recorded.

It is believed that to being with the decoy he opned he may have opened his mouth a per consipiracy but when he would be alone he must have thought about right and wrong and for serval calling about 7 times as it is stated by Enquiry Officer Sri M.L.Srivastava he did not come for evidence. The guilt of the case was totally to be proved by him who did not make his appearance.

7. Details of the remedies exhausted:

7.1. That the applicant made an appeal against the order passed by Respondent No.2 before responde t No.3 and revisions before respondent No. 4, 5 and 6 of this application. None of the remedy is left.

8. Matters not previously filed or pending with any other court:

8.1. That the applicant further declares

that he had not previously filed any application writ petition or suit regarding the matter in respect of which this application has been made before any court of law or any other authority or any other bench of the Tribunal and nor any such application writ petition or suit is pendig before any of them.

9. Relief sought:

9.1. The applicant was on duty during his suspension period and was working as Booking clerk his salary during suspension must be paid to applicant.

9.2. The order passed by respondent No.2 is illegal arbitrary whimcical and is liable to be qu ashed and the applicant may be reinstated in service .

9.3. To quash the consequential under passed by respondent No.3, 4,5,and 6 .

9.4. Any other relief which this Hon'ble Tribunal deems fit and proper in favour of the applicant.

9.5. To award the actual expenses incurred in filing this application in favour of the applicamt.

10. Not applicable.

11. Not applicable.

12. Patticulars ofthePostal Order in respect of the application Fees.

12.1. Number of Indian Postal Order one postal order Amt Rs 50/-

12.2. Name of Issuing Post Office. Central Post office Allahabad

12.3. Date of issue of Postal Order 27.4.87

12.4. Post Office at which payable. Central Post office Allahabad

13. List of enclosures:

1. Order passed by Respondent No.2 dated 25.9.85
2. Order passed by Respondent No.3 dated 16.1.86
3. Order passed by Respondent No. 4 dated 20.3.86

Attested

4. Order passed by Resp.No.5 dated 22.5.86

5. Order passed by Resp. No.6 dated 27.10.86

6. Statement of all prosecution witnesses.

7. vakalatnama.

8.

VERIFICATION:

I, Sheo Shankar Shukla son of Sri Nageshwar Shukla aged 52 years working as Sr. Booking Clerk in the Office ~~of~~ Colonelganj, N.E.Railway do hereby verify that the contents of para 1 to are true to my personal knowledge and para to believed to be true on legal advice and that I have not suppressed any material fact.

Signature of the Applicant

Date: 28.4.87

Place: Allahabad

Before Central Administrative Tribunal Alld.
Sheo Shankar Shukla ---- Applicant
vs
Union of India & others --- Respondents
Annexure I

19

NORTH EASTERN RAILWAY

Form No. 1

ORDERS OF IMPOSITION OF PENALTY OF ~~DISMISSAL~~/REMOVAL/~~COMPULSORY RETIREMENT~~ FROM SERVICE UNDER RULE 6(vii), (viii) AND (ix) OF PART III OF RAILWAY SERVANTS (D & A) RULES, 1968

....

No. LD/SS-C/Vig/37/84
Dated : 25 -9-1985.

Divisional Office
Lucknow.

To

Name	:	Sri Sheo Shanker Shukla
Father's name	:	Sri Nageshwar Shukla
Designation	:	Senior Booking Clerk
Department	:	Commercial
Ticket No.	:	-
Date of apptt.	:	02.12.1957.
Station	:	Balrampur
Scale of pay	:	Rs.330-560/RS

Sri Sheo Shanker Shukla, Sr. Booking Clerk/Balrampur is informed that the Enquiry Officer/~~Board of Enquiry~~ appointed to enquiry into the charges against him has/~~have~~ submitted his/~~their~~ report. A copy of the report of the Enquiry Officer/Board of Enquiry is enclosed.

2. On a careful consideration of the enquiry report aforesaid, the undersigned agrees with the finding(s) of the Enquiry Officer/~~Board of Enquiry~~ and holds that the article(s) of charge is/are proved

OR

*On a careful consideration of the enquiry report aforesaid, the undersigned agrees with the findings of the Enquiry Officer/ Board of Enquiry insofar as it relates to article(s) of charge No.(s) ______________ and for reasons stated in the attached memorandum holds that article(s) of charge No.(s) ______ which the Enquiry Officer/Board of Enquiry has/have held as not proved/proved, is also proved/not proved.

3. The undersigned has, therefore, come to the conclusion that Sri Sheo Shankar Shukla ______ is not a fit person to be retained in service and has decided to impose upon him the penalty of ~~dismissal~~/removal/~~compulsory retirement~~ from service. Sri Sheo Shanker Shukla, Sr.BC/BLP ______ is, therefore, ~~dismissed~~/removed/~~compulsorily retired~~ from service with ~~effect from~~ immediate effect.

4. Under Rule 18 of the Railway Servant (D&A) Rules, 1968 an appeal against these orders lies to Sr.DCS/LJN provided ;

i. the appeal is submitted within 45 days from the date of receipt of these orders; and
ii. the appeal does not contain improper or disrespectful language.

5. Please acknowledge receipt of this letter.

Encl: As above.
EO's rpt- 12 pages

(M.K. Varun)
Signature : Divl. Commercial Supdt.
Name & Desgn. Lucknow.
of the D.A.

*Strike out which is not applicable.

T.C. True Copy

Copy to : 1. S.S./Balrampur
2. SCI/Shohratgarh For information.

vjn/-

Annexure No 2

No.LD/SS-C/Vig/37/84
Dated : 16.1.1986.

North Eastern Railway
Divisional Office
Lucknow.

Sri S.S. Shukla,
Ex. Sr.Booking Clerk/Balrampur. Through : SS/Balrampur.

In reference to your appeal dated 8.11.85 against the orders of removal from service imposed by DCS/LJN, you are hereby informed that the appellate authority, Sr.DCS/LJN, has passed the following orders :-

"I have carefully gone through the appeal of Sri S.S. Shukla as also other connected papers in this case. He was also given a personal hearing on 19.12.85 during the course of which he reiterated the points as raised in his appeal and stated that he has no other means of livelihood and his family is left to starve and that he may not be deprived of his means of livelihood.

His contention that the EO worked under pressure from Vigilance as he was working under CVO is baseless. The E.O. is nominated by the disciplinary authority and he was not subject to any pressure from any side. I do not find this argument tenable.

As regards recovery of Rs 2/-, the panchnama money, from inside the booking office where the appellant was working, I find that this has been proved without any doubt and the fact remains that the appellant had taken excess money from the Vigilance decoy. In view of the incontrovertible evidence on record, it is difficult to give him the benefit of doubt.

I also find that all reasonable opportunities have been afforded to him before and during the DAR enquiry to present his side of the case. Even his past record of service does not stand him in good stead.

In view of the above, I do not find any reason to alter or modify the orders passed by the disciplinary authority. Accordingly, his appeal is rejected."

True copy

Divl.Commercial Supdt.
Lucknow.

Annexure No 3

North Eastern Railway
Divisional Office
Lucknow.

No. LD/SS-C/Vig/37/84
Dated : 20.3.1986.

Sri Sheo Shankar Shukla,
ex.Sr.Booking Clerk/Balrampur
c/o Station Supdt.,
N. E. Railway/Balrampur.

Reg : Your revision petition to the undersigned dated 17.1.86.

In reference to your above revision petition dated 17.1.86, you are hereby informed that the undersigned, the revising authority, has passed the following orders :-

"I have gone through the revision petition of the ex-employee Sri S.S. Shukla who was also given a personal hearing by me on 10.3.86. I find the charges conclusively proved against the employee. His previous record has also been quite unsatisfactory which does not warrant any leniency. I see no reason to revise or modify the orders of the Disciplinary or the Appellate authority. The Revision Petition is regretted."

(D.P. TRIPATHI)
Addl. Divl. Railway Manager
N.E. Railway: Lucknow.

Served on 9/4/86 [illegible]

True Copy
[illegible signature]

Annexure No 4

N.E.Railway

Office of the
Divisional Rly.Manager/C.
No.LD/SS-C/Vig./37/84. Lucknow dt. 22-5-1986.

Shri Sheo Shanker Shukla,
Ex-Sr.BC, Vill. Mokalpur(Puro)
Madh Nagar.
PO Mokalpur Distt. Gonda(U.P.)

Sub : Revision Petition under Rule 24 of Rly.Servants (D&A) Rules, 1968.

....

In response to your above Revision petition dated nil received in this office on 15.5.86 addressed to the GM/Gorakhpur, you are hereby informed that Revision Petition has been decided by the competent authority and therefore there is no provision of another revision petition.

This is for your information.

True Copy

Divil.Comml.Supdt.,
Lucknow.

Annexure No 5

By post

N.E.Railway

Office of the
Divisional Rly.Manager/Comml.
Lucknow dated 27-10-1986.

No.LD/SS-C/Vlg./37/84.

Shri Sheo Shanker Shukla,
Ex-Sr.BC Vill. Mokalpur(Pure)
Madh Nagar,
P.O.Mokalpur,
Distt.Gonda (U.P.)

Sub : Your second Revision Petition submitted to CCS/GKP against Removal from service vide NIP of even number dt. 25.9.85.

....

In response to your above revision petition C.C.S./Gorakhpur has passed the following orders :-

"इस सम्बन्ध में मैंने सारे कागजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। अध्ययन से पता चलता है कि श्री शिवशंकर शुक्ला की रिवीजन पीटिशन पर अतिरिक्त मंडल रेल प्रबन्धक ने श्री शुक्ला की बात को सुनकर अन्तिम निर्णय लिया था। सारे कागजात और तथ्यों को देखते हुए मैं इस केस में कोई दखल उचित नहीं समझता। इन कारणों ~~से~~ से जो दण्ड श्री शुक्ला पर लागू किया गया है वह बहाल रहेगा"

This is for your information.

True Copy
[signature]

[signature]
Divl.Rly.Manager/Comml.
N.E.Rly/Lucknow.

Before Central Administrative Tribunal Alld.
Seo Shankar Shukla ---- Applicant
vs
Union of India & Others --- Respondents
Annexure No 6 25

रेल सेवक अनुशासनिक एवं (अपोलो) नियम 1968 के अन्तर्गत जांच प्रतिवेदन (रिपोर्ट)
एवं निष्कर्ष (फाइन्डिंग्स)

केस नम्बर :- एल0डी0/यसयसी/49/37/84

आरोपित रेल कर्मचारी :- श्री शिवशंकर शुक्ला, भूतपूर्व प्रवर बुकिंग क्लर्क कर्नलगंज (वर्तमान - बलरामपुर)

आरोप ज्ञापन संख्या :- यल0डी0/यस0यस0/विज/37/84 दिनांक 25-5-84

अनुशासनिक प्राधिकारी डिविजनल कामर्शियल सुपरिन्टेन्डेन्ट पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ

जांच अधिकारी :- श्री यम0यल0श्रीवास्तव, जांच निरीक्षक/अनु0एवं अपील पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर

बचाव सहायक - श्री के0बी0श्रीवास्तव, मुख्य विधि सहायक, मुख्य दावा अधिकारी कार्यालय, गोरखपुर।

1-अ- आरोपित रेल कर्मचारी के विरुद्ध आरोप स्तम्भ (आर्टिकिल आफ चार्ज) निम्नांकित है :-

श्री शिवशंकर शुक्ला जब दिनांक 15-1-84 को 00 बजे से 08 बजे की पाली में कर्नलगंज स्टेशन की द्वितीय श्रेणी बुकिंग खिड़की पर बुकिंग बाबू को कार्य पर कार्यरत थे तब उन्होंने अवचार किया जिसके द्वारा उन्होंने रेल सेवा (आचार) नियम 1966 के नियम संख्या 3(1)(1) (11) का उल्लंघन किया, जो निम्न प्रकार था :-

उन्होंने श्री देवी प्रसाद नामक सतर्कता खलासी से कर्नलगंज से बरौनी जं0 के मेल/एक्सप्रेस के द्वितीय श्रेणी के दो टिकटों का मूल्य पचासी रुपया मांगा और लिया जब कि उपरोक्त स्टेशन एवं दर्जे के दो मेल एक्सप्रेस टिकटों का वास्तविक मूल्य (किराया) मात्र तिरासी रुपया था। इस प्रकार उन्होंने श्री देवी प्रसाद से वास्तविक किराया से दो रुपया अधिक अपने निजी लाभ हेतु वसूल किया और सरकारी राशि में नहीं जमा किया। साथ ही उन्होंने उस पर रुपे किराया 16रु0 10 पैसा को काटकर लिया गया किराया उन्होंने लिखा था।

2- उन्होंने अपना व्यक्तिगत धन कार्यरत होते हुए घोषित नहीं किया था।

1-ब- अवचार के आरोप का विवरण जिसके आधार पर आरोप स्तम्भ बनाया गया :-

1- पंचनामा दिनांक 14-1-84 को कर्नलगंज मालगोदाम में 23/30 बजे बनाया गया पंचनामा यह प्रदर्शित करता है कि कर्नलगंज बुकिंग कार्यालय के कैश एवं एकाउन्टल के जांच का कारण विश्वस्त सूत्र से मिली सूचना थी कि बुकिंग कर्मचारी दूर के टिकटों की बिक्री पर अधिक पैसा लेते थे। पंचनामा यह भी दर्शाता है कि श्री श्री देवी प्रसाद एवं श्री हरिशंकर सिंह सतर्कता खलासी को क्रमशः टिकट खरीदने एवं गवाह के रूप में साथ साथ रहने के लिए निर्देश दिया गया था। श्री देवी प्रसाद को पचासी रुपये के विभिन्न जी0सी0नोट नम्बरों को पंचनामा में लिखकर तलाशी लेने के बाद सुनिश्चित करके कि उसके पास कोई धनराशि नहीं थी वे रुपये उक्त कार्य हेतु दिए गए थे। बुकिंग बाबू से किराया पूछने के बाद मांगने पर ही उतना किराया देने का निर्देश दिया गया था। उस पंचनामा पर तीन सतर्कता निरीक्षकों एवं दो सतर्कता खलासियों के हस्ताक्षर उसमें निहित उपरोक्त बातों के पहले ही लिख चुकने का प्रमाण था।

पंचनामा दिखाकर पचासी नोट मिलाया गया और दो रुपया कम मिलने पर ही खोज लिया गया था जो श्री शुक्ला के बिस्तर के नीचे मिला था। उसे छिपाते समय खिड़की के पास बाहर की तरफ खड़े मुख्य सतर्कता निरीक्षक ने देखा भी था। बुकिंग बाबू का रिश्तेदार बुकिंग कार्यालय में सोए थे और दरवाजा बन्द था जिसे खोलने में बाबू ने देर किया क्योंकि वे दो रुपये का एक नोट ट्यूब से निकालकर छिपा रहे थे।

E.C.

True copy
Applicant

-2

M

(2)

2- खोजर मेमो (जी०सी०नोट का) :-

उस मेमो के अनुसार पचासो रुपये के जी०सी०नोट जिनका नम्बर पंचनामें पंचनामें के नम्बरों से मिलता था और जो ट्यूब या बुकिंग बाबू के बुकिंग कार्यालय में बिछाये गये बिस्तर के नीचे पाये गये थे जो एक लिफाफे में बन्द करके सील करके सतर्कता निरीक्षक को लौटा दिये गये। जो प्रदर्शित करता है कि उपरोक्त सभी नोट बुकिंग बाबू ने सतर्कता खलासी से टिकट के मूल्य के रुप में लिया था।

3- निरस्त टिकट : टिकट संख्या 00408/409 द्वितीय श्रेणी कर्नेलगंज से बरौनी जं० प्रदर्शित करता है कि वह टिकट पुराना था और उस पर छपा किराया बाबू ने बिक्री करते समय काटकर ठीक नहीं किया था। वे टिकट श्री देवी प्रसाद द्वारा खरीदे गये थे।

4- श्री देवी प्रसाद सतर्कता खलासी का दिनांक 15-1-84 का बयान प्रदर्शित करता था कि उसे आदेश एवं निर्देश दिया गया था कि वह कर्नेलगंज बुकिंग खिड़की पर जाकर बुकिंग बाबू से बरौनी का किराया पूछेगा और दो टिकट मांगेगा। बाबू के मांगने पर उतना पैसा देकर दो टिकट खरीदेगा। उसने वैसा ही किया। उसने अपने द्वारा खरीदे गये टिकटों का नम्बर 00408 एवं 00409 बताया तथा बाबू को टिकट के लिये 85/- रुपये मांगने पर देना बताया। उन सभी नोटों का नम्बर पंचनामें में वर्णित था। बुकिंग बाबू को साक्षात्कार हेतु समय दिया गया लेकिन बाबू ने साक्षात्कार तो किया परन्तु उससे प्रश्न नहीं पूछा।

5- श्री हरीशंकर सिंह सतर्कता खलासी का दिनांक 15-1-84 का बयान प्रदर्शित करता है कि वे आदेशानुसार श्री देवी प्रसाद के साथ/पीछे बुकिंग खिड़की पर खड़े थे और श्री बाबू द्वारा श्री देवी प्रसाद से कर्नेलगंज से बरौनी जं० के दो टिकट का किराया 85/- रुपया बताना और मांगना सुना तथा पैसे और टिकट का लेन देन देखा।

6- जाँच प्राप्ति :- जाँच प्राप्ति दिनांक 15-1-84 से स्पष्ट होता है कि श्री शिवशंकर शुक्ल प्रवर बुकिंग बाबू ने अपना व्यक्तिगत धन नहीं घोषित किया था। उन्होंने के लिये 85/- रुपया प्रस्तुत किया था जिसका विवरण नोटों के क्रम में दिया था।

7- सहायक स्टेशन मास्टर कर्नेलगंज का 15-1-84 का प्रमाण पत्र यह सिद्ध करता है कि दिनांक 15-1-84 को 508 डाउन कर्नेलगंज स्टेशन पर 507 अप गाड़ी का रास्ता देने हेतु रुकी थी।

8- श्री एस०एस०शुक्ला, प्रवर बुकिंग बाबू कर्नेलगंज का दिनांक 26-3-84 का बयान यह प्रदर्शित करता है कि श्री शुक्ला दिनांक 15-1-84 को 00 बजे से 8 बजे की पाली में ड्यूटी पर थे और उन्होंने कर्नेलगंज से बरौनी का द्वितीय श्रेणी का दो टिकट नं० 00408/409 बेचा था। वही दो टिकट जाँच के समय तक बिके थे। उन्होंने कर्नेलगंज से बरौनी तक के दो टिकट का किराया 83 रुपया बताया गया था।

9- दैनिक सह सारांश बही, कर्नेलगंज दिनांक 15-1-84 से पता चलता है कि श्री शुक्ला द्वारा द्वितीय श्रेणी मेल/एक्सप्रेस टिकट संख्या 00408/409 कर्नेलगंज से बरौनी बेचा गया था। उन्होंने उसका पैसा 41रु० 50पैसा प्रति टिकट के हिसाब से तथा दो टिकट का 83 रु० जमा किया था। उन्होंने जाँच के बाद भी 8 बजे चूंकि उसी कालम में अन्तिम नं० उतारा जिस कालम में जाँच के समय लिखा था।

10- प्रथम सूचना प्रतिवेदन दिनांक 18-1-84 से पता चलता है कि दिनांक 15-1-84 को कर्नेलगंज स्टेशन के बुकिंग कार्यालय के कैश एवं एकाउन्टस का जाँच तथा बाबू द्वारा पैसा लेना टिकट खरीदवाकर जाँच किया गया। पूरी घटना का प्रतिवेदन दिया और पंजीकरण की आवश्यकता का बाबू द्वारा अधिक पैसा वसूलने के कारण उद्धरित।

EO.

—3

True copy Attested

(3)

2- जाँच करने का आदेश :-
==================

पहले अनुशासनिक प्राधिकारी अपने पत्र संख्या यलडी/यस0यस0सो0/किज/37/84 दिनांक 22-10-84 द्वारा श्री आर0सो0श्रीवास्तवा जाँच निरीक्षक अनु0एवं अपील गोरखपुर को जाँच अधिकारी नामित किया था। चूँकि श्री आर0सो0श्रीवास्तवा पदोन्नति पर बनारस स्थानान्तरित हो गये इसलिए अधोहस्ताक्षरी का नामांकन जाँच अधिकारी के रूप में अनुशासनिक प्राधिकारी के पत्र सं0 यल0डी0/यस0यस0सो0/किज/37/84 दिनांक 8-2-85 द्वारा आरोपों की जाँच के बाद निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए किया गया जिसकी सूचना आरोपित रेल कर्मचारी को दे दी गई।

3- अभियोजन प्रमाण अभिलेख एवं साक्षी
========================

I (1) आरोपित रेल कर्मचारी श्री शिवशंकरशुक्ला पर यह आरोप है कि दिनांक 15-1-84 को जब वे कर्नेलगंज स्टेशन पर बुकिंग बाबू के पद पर 00 बजे से 08 बजे की ड्यूटी पर कार्यरत थे तब उन्होंने देवी प्रसाद नामक सतर्कता खलासी से कर्नेलगंज से बरौनी जं0 के मेल/एक्सप्रेस के द्वितीय श्रेणी के दो टिकटों का मूल्य पचासी रुपया माँगा और लिया जबकि उपरोक्त स्टेशन एवं दर्जे के दो मेल एक्सप्रेस टिकटों का वास्तविक मूल्य (किराया) मात्र तिरासी रुपये था। इस प्रकार उन्होंने श्री देवी प्रसाद से वास्तविक किराया से दो रुपया अधिक अपने निजी लाभ हेतु वसूल किया और सरकारी राशि में नहीं जमा किया। साथ ही उन्होंने उस पर छपे किराया 16 रु0 10 पै0 को काटकर लिया गया किराया उन्होंने लिखा था।

(2) उन्होंने अपना व्यक्तिगत धन कार्यरत होते हुए घोषित नहीं किया था।

II जैसा कि आरोप पत्र (चार्जशीट) के संलग्नक II की सूची में दिया गया है तथा उपरोक्त पैरा I-ब में बताया जा चुका है अभियोजन पक्ष ने आरोप खण्ड (आर्टिकिल आफ चार्ज) को सिद्ध करने के लिए 11 अभिलेखों को विश्वसनीय माना है जिसमें से, केवल विश्वसनीय अभिलेख (आर0यू0डी0) 6 तथा 9 को छोड़कर, आरोपितरेल कर्मचारी ने शेष सभी विश्वसनीय अभिलेखों को नहीं स्वीकार किया। स्वीकृत अभिलेख निम्नांकित है

अ- पहला अभिलेख सहायक स्टेशन मास्टर कर्नेलगंज का प्रमाण पत्र दिनांक 15-1-84 - यह प्रमाण पत्र 508 डाउन एक्सप्रेसगाड़ी जिसका ठहराव कर्नेलगंज में नहीं है उस गाड़ी के वहाँ पर 507 अप के क्रासिंग के कारण रुकने का प्रमाण पत्र है तथा उसी गाड़ी के लिए जो देवी प्रसाद ने टिकट कटाया था- (आर0यू0डी0-6)

ब- दूसरा विश्वसनीय अभिलेख जिसे आरोपित रेल कर्मचारी ने स्वीकार किया है वह उनका 26-3-84 का मुख्य सतर्कता निरीक्षक के सामने दिया गया अपना बयान है (आर0यू0डी0-9)

III इस केस में अभियोजन पक्ष के 7 साक्षी थे जिनके नाम, बयान एवं जिरह की तारीख नीचे दिया जा रहा है :-

(1) श्री गिरजाशंकर मिश्र — 18-6-85
मुख्य सतर्कता निरीक्षक, गोरखपुर

E.O.

True copy
Attested

(2) श्री के०एस०राठौर, सतर्कता निरीक्षक	~~30-5~~ 30-4-85
(3) श्री देवी प्रसाद सतर्कता खलासी	29-4-85
(4) श्री हरीशंकर सिंह ,, ,,	29-4-85
(5) श्री शारदा प्रसाद श्रीवास्तवा, सहायक स्टेशन मास्टर कर्नेलगंज	28-3-85, 29-4-85 एवं 30-4-85
(6) श्री जवाद अली मुख्य बुकिंग बाबू कर्नेलगंज	30-4-85

(7) सातवें साक्षी श्री बलराम तिवारी मुख्य सतर्कता निरीक्षक, जाँच में उपस्थित ~~न~~ नहीं हुए यद्यपि उन्हें दिनांक 27-3-85, 28-3-85, 29-4-85, 30-4-85, 7-5-85, 17-6-85 एवं 18-6-85 को अर्थात सात बार बुलाया गया

4- बचाव पक्ष अभिलेख एवं साक्षी :-

आरोपित रेल कर्मचारी श्री शुक्ला ने अपने आरोपों के जवाब में अनुशासनिक प्राधिकारी को बचाव का कोई लिखित बयान नहीं प्रस्तुत किया। आरोप पक्ष की ओर से केस की प्रस्तुति एवं सुनवाई दिनांक 18-6-85 को समाप्त हुआ तथा आरोपित रेल कर्मचारी अपने बचाव का लिखित बयान 24-6-85 को प्रस्तुत किया। दिनांक 27-6-85 को आरोपित रेल कर्मचारी का जिरह अनुशासनिक एवं (अपीली) नियम 1968 के नियम 9(21) के अन्तर्गत उन परिस्थितियों के लिए हुआ जो उनके विरुद्ध थी तथा यह कथित जिरह जाँच ~~न~~ प्रक्रिया (रेकार्ड आफ ~~न~~ प्रोसेडिंग) के पृष्ठ 16 (सोलह) पर है।

5- साक्ष्यों के गुण - विवेचन :-

5.01 (क)

दिनांक 18-1-84 के प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफ०आई०आर०) (आर०यू०डी० 10) में जैसा कि दर्शाया गया है उसके अनुसार कर्नेलगंज के टिकट बाबुओं के बारे में यात्रियों से निर्धारित टिकट दर से अधिक किराया अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए (लेने की) सूचना मिलने पर सतर्कता विभाग के एक दल द्वारा उपरोक्त स्टेशन पर टिकट बुकिंग के आकस्मिक जाँच की योजना ~~कल~~ बनायी गयी जिसके अनुसार श्री गिरजाशंकर मिश्रा, मुख्य सतर्कता निरीक्षक के नेतृत्व में एक दल , जिसमें सर्वश्री बलराम तिवारी मुसतानि, के०एस०राठौर सतानि, देवी प्रसाद तथा हरीशंकर खलासी सम्मिलित थे, कर्नेलगंज स्टेशन पर बस द्वारा दिनांक 14-1-84 को 23.00 बजे अर्थात 11 बजे रात में पहुँचा तथा सर्वश्री कि गिरजाशंकर मिश्रा, मुसतानि, के०एस० राठौर सतानि, देवी प्रसाद तथा हरीशंकर सिंह सतर्कता खलासियों के हस्ताक्षर से पंचनामा (आर०यू०डी०-1) तैयार किया गया। जिसके अनुसार श्री देवी प्रसाद सतर्कता खलासी की तलाशी श्री राठौर सतानि द्वारा लेने के बाद उन्हें रु०85/- की एक धनराशि जिसमें निम्नांकित जी०सी०नोट थे दी गई :-

1-	पचास रु० का एक जी०सी०नोट नं० 8 सीके 411072	85	=50/-
2-	बीस रु० का एक जी०सी०नोट नं० 89वी 672850		=20/-
3-	पाँच रु० का एक जी०सी०नोट नं० 53एच 028312		= 5/-
4-	दो रुपये के तीन जी०सी०नोट= 3x2= नं० 98एफ 507080 सो — 172303 / 41 तथा डब्लू 070737 / 84		= 6/-

True Copy
[signature]

-5

5- एक एक रुपये के चार जी0सी0नोट
1 एफ 256159, 28 F 051367
45डी 407526 एवं 5 708266एफ
88 04

कुलयोग 85/-

उपरोक्त नोट देकर इनको (देवी प्रसाद खलासी श्री) यह निर्देश दिया गया कि वह बुकिंग खिड़की पर जाकर जो भी बुकिंग बाबू ड्यूटी पर हों उनसे पहले जाकर बरौनी जं0 के द्वितीय श्रेणी के एक टिकट का किराया पूछेंगे और दो टिकट मांगेंगे तथा टिकट बाबू के मांगने पर उतना ही किराया देकर बरौनी जं0 के लिए द्वितीय श्रेणी का दो टिकट खरीदेंगे साथ ही साथ दल के साथ के दूसरे सतर्कता खलासी श्री हरीशंकर सिंह को यह निर्देश दिया गया कि वह श्री देवी प्रसाद के पीछे लाइन में खड़ा रहकर उनके (देवी प्रसाद) और बुकिंग बाबू के बीच आपस की वार्ता सुनेगा तथा उन दोनों के बीच होने वाले लेन देन को भी देखेगा। जैसा कि दोनों सतर्कता खलासियों के दिनांक 15-1-84 के बयान (आर0यू0डी 4 एवं 5) से जाहिर है श्री देवी प्रसाद ने 15-1-84 को 1.25 बजे बरौनी स्टेशन के टिकट का किराया पूछकर ~~1085/- देकर दो टिकट खरीदा~~ बुकिंग बाबू के किराया बताने के अनुसार वही 85/- रुपये की धनराशि, जिसके नोटों का विवरण पंचनामें में दर्ज है श्री देवी प्रसाद को दिया गया था, देकर दो टिकट बरौनी का खरीदा। उस समय बरौनी जाने की कोई गाड़ी भी नहीं थी - यह बात जरूर थी कि 507 अप को क्रासिंग के लिए बरौनी जाने वाली 508 डाउन गाड़ी वहां रोकी गयी थी न कि उसका वहां स्टापेज था जैसा कि आर0यू0डी06 से प्रकट है। श्री हरिशंकर खलासी ने भी जो निर्देशानुसार श्री देवी प्रसाद के पीछे खड़े थे, उन्होंने श्री देवी प्रसाद तथा बुकिंग बाबू के बीच हुई उपरोक्त वार्ता को सुनने तथा उपरोक्त 85/- रु0 के तथा दो टिकटों के लेन देन को देखने का पुष्टिकरण किया है।

ब- उपरोक्त कार्यवाही पूरी होने पर सतर्कता दल ने डिकाय के इशारा मिलने पर बुकिंग आफिस का दरवाजा जो अन्दर से बन्द था खटखटाया जिसे (आरोपित रेल कर्मचारी) बुकिंग बाबू श्री शुक्ला ने थोड़ी सी देर में खोला- बुकिंग आफिस के अन्दर श्री शुक्ला बुकिंग बाबू (आरोपित रेल कर्मचारी) के अलावा उनके एक रिश्तेदार भी थे जो फौरन चले गये। इसके बाद श्री शुक्ला बुकिंग बाबू द्वारा ट्यूब में कैश की गिनती करायी गई जिसके अनुसार ट्यूब में केवल 83/- रु0 मिला जिनमें वही नोट थे जो पंचनामें में दर्ज थे। जब आरोपित रेल कर्मचारी श्री शुक्ला बुकिंग बाबू से दो रुपये के नोट के बारे में पूछा गया कि उन्होंने बढ़िया दो रुपये का नोट कहाँ छिपाया तब (आरोपित रेल कर्मचारी) श्री शुक्ला ने उसे लेने से ही इनकार किया और अपने आप कसम खाकर अपनी जेब तथा कपड़ों की तलाशी दिया। इसके बाद श्री बलराम तिवारी मु0सतानि के इशारे पर उस बिस्तर की तलाशी ली गई जो आरोपित रेल कर्मचारी की टिकट खिड़की से लगभग 5 फुट की दूरी पर एक टेबुल पर बिछा था और जिसपर श्री शुक्ला के उपरोक्त कथित रिश्तेदार सोये थे। बिस्तर की तलाशी आरोपित रेल कर्मचारी द्वारा करायी गई और उसी बिस्तर के चद्दर के नीचे ही दो रुपये का वही जी0सी0 नोट मिला जिसका नं0 $\frac{सी}{41}$ 172303 पंचनामें में दर्ज था और यह नोट डिकाय श्री देवी प्रसाद को टिकट कटाने के लिए दिए गये 85/- की धनराशि में दिए गए दो दो रुपये के तीन नोटों में से एक नोट था- उपरोक्त के अनुसार आरोपित रेल कर्मचारी ने करैलगंज से बरौनी के लिए द्वितीय श्रेणी के दो टिकटों पर टिकट नं0 00408 तथा 00409 (जो सीज किये गये हैं और जो सीज किये गये हैं और जो आर0यू0डी-8 है) उन पर अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए दो रुपया अधिक लिया।

EO.

True Copy
ARShukla

सतर्कता विभाग द्वारा किए गये जांच प्रक्रिया के नियम के अनुसार आरोपित रेल कर्मचारी से कैश चेक प्रोफार्मा भराया गया जिसपर सर्वश्री शारदा प्रसाद श्रीवास्तवा तत्कालीन सी०वी०आई०, ए०एस०एम०कर्नेलगंज तथा गिरजाशंकर मिश्र सी०वी०आई० ने प्रतिहस्ताक्षर किए और जो आर०यू०डी०-7 है। इस जांच प्रारूप (चेक प्रोफार्मा) के कालम । (ए) के अनुसार आरोपित रेल कर्मचारी ने अपना व्यक्तिगत धनराशि घोषित नहीं किया था जो नियमानुकूल नहीं है।

5.02 उपरोक्त पैरा 5.01 (अ)(ब)(स) के अनुसार तीन मुद्दे प्रकाश में आये हैं जिनकी सत्यता की जाँच साक्ष्यों के आधार पर की गई और उनका आंकलन (असेसमेन्ट) नीचे पैरावार दिया जा रहा है :-

अ- पहला यह कि क्या आरोपित रेल कर्मचारी श्री शुक्ला ने कर्नेलगंज से बरौनी जं० के दो द्वितीय श्रेणी के टिकटों के 83/- वास्तविक किराये के बजाय 85/- रु० की धनराशि डिकाय श्री देवी प्रसाद से मांगा तथा श्री देवी प्रसाद ने उन्हें 85/- की धनराशि के वही जी०सी०नोट दिये जो पंचनामा में दर्ज थे? इस सन्दर्भ में निम्नांकित साक्ष्य विचारणीय है :-

I- जैसा कि देवी प्रसाद ने अपने बयान में, जो कार्य व्यापार अभिलेख (आर०ओ०पी०) के पृष्ठ 2 पर है, बयान दिया है कि :-

"मैंने बुकिंग बाबू से 2 टिकट बरौनी के लिए दूसरे दर्जे का मांगा। हमने बाबू से 2 टिकट का किराया पूछा बाबू ने किराया रु० 85/- बताया। बाबू ने 85/- मांगकर और मुझसे रुपया लेकर 2 टिकट बरौनी के लिए दिया। उसके बाद टिकट बाबू ने कहा कि गाड़ी छूटने वाली है जल्दी से चले जाओ।"

जिसका पुष्टिकरण भी बचाव सहायक द्वारा पूछे गये प्रश्नोत्तर 2 में श्री देवी प्रसाद ने किया है :-

"लेकिन 5/- का एक ही नोट था और 2/- के तीन नोट था। 50/- का एक नोट और 20/- का एक नोट था और एक रुपये के चार नोट थे अर्थात 85/- थे।"

श्री देवी प्रसाद का उपरोक्त बयान तथा प्रश्नोत्तर उनके मूल बयान, जो उन्होंने 15-1-84 को कर्नेलगंज स्टेशन पर आकस्मिक चेकिंग के दौरान की थी और जो आर०यू०डी०-4 है, उसका पुष्टिकरण करता है।

इस आर०यू०डी०-4 के पढ़ने से यह भी स्पष्ट होता है कि सम्मुखीकरण (कनफ्रंटेशन) के दौरान आरोपित रेल कर्मचारी श्री शुक्ला मुसलाहि द्वारा लिखित स्पष्टीकरण देने में कतराते रहे "इस समय मैं कुछ नहीं पूछ पा रहा हूँ", "मैं इसका मतलब नहीं समझा" आरोपित रेल कर्मचारी का यह मुकरना एक मुद्दा है जिससे भी यह नतीजा निकलता है कि उन्होंने देवी प्रसाद से 85/- रु० मांगने और लेने वाली बात की सत्यता को छिपाने के ~~नेकबद~~ नीयत से सही उत्तर देने से बचने की कोशिश की है।

E.O.

True copy

II - जैसा कि दूसरे सतर्कता खलासी श्री हरीशंकर सिंह ने, जिसे पंचनामें के अनुसार श्री देवी प्रसाद के ठीक पीछे खड़े रहकर बुकिंग बाबू से तथा देवी प्रसाद के बीच होने वाली बातचीत तथा लेन देन की प्रक्रिया को सुनने और देखने के लिए तैनात किया गया था, अपने 15-1-85 के स्टेशन पर दिए गए मूल बयान (आर0यू0डी-5) में कहा है ''जब श्री देवी प्रसाद ने बुकिंग बाबू से पूछा कि बरौनी का कितना भाड़ा है तब बुकिंग बाबू ने 85/- बताया और जितना 85/- बाबू ने मांगा उतनी धनराशि मेरे सामने श्री देवी प्रसाद ने दिया''

उपरोक्त की पुष्टिकरण श्री हरीशंकर सिंह ने अपने बयान तथा जांच अधिकारी के प्रश्नोत्तर जो आर0ओ0पी0 के पेज 3 पर है, किया है।

'' देवी प्रसाद ने बुकिंग बाबू से बरौनी का किराया पूछा और बुकिंग बाबू को 85/- देकर बरौनी का द्वितीय श्रेणी का 2 टिकट लिया '' (बयान की चौथी, पाँचवी एवं छठी पंक्ति) तथा ''टिकट कटाते समय मैं देवी प्रसाद के बिल्कुल सटे खड़ा था और टिकट बाबू तथा देवी प्रसाद के बीच जो भी बात चित हुई उसे सुना तथा 85/- रुपये की धनराशि का देवी प्रसाद द्वारा देना और बुकिंग बाबू द्वारा 2 टिकट देना मैंने देखा। एवं टिकट लेने के पहिले श्री देवी प्रसाद ने बुकिंग बाबू से बरौनी के 2 टिकट का किराया पूछा और बुकिंग बाबू ने 85/- रुपया बताया। ''जांच अधिकारी का प्रश्नोत्तर

III वैसे तो आरोपित रेल कर्मचारी ने अपने लिखित डिफेन्स स्टेटमेन्ट द्वारा जो आर0ओ0पी0 के पृष्ट 11 के मद 3.01 से पृष्ट 13 के मद सं0 3.05 तक है तथा रिटेन ब्रीफ के पृष्ठ 17 के मद 2 (I से IV) तथा पृष्ठ 17 से पृष्ठ 20 तक के मद 2, 3, 4, 5 एवं 6 से यही सिद्ध करने की कोशिश की है कि उन्होंने केवल 83/- रुपया ही डिकाय श्री देवी प्रसाद से मांगा और लिया न कि 85/- रुपया लेकिन इसके लिए कोई ठोस प्रमाण या आधार नहीं दिया है। आरोपित रेल कर्मचारी ने आर0ओ0 पी0 के पृष्ठ 16 के 9(21) के प्रश्नोत्तर 7 में भी केवल 83/-लेने की बात कही है। यह आरोपित रेल कर्मचारी द्वारा केवल 83/- लेने की बात उपरोक्त पेरा 5.02 ज I एवं II में दिए गये तथ्यों तथा निम्नांकित तर्कों के आधार पर कट जाती है तथा साथ ही साथ उनके द्वारा 85/- लेने वाली बात सिद्ध हो जाती है :-

क- आर0यू0डी-7 कैश चेक प्रोफार्मा जिसे आरोपित रेल कर्मचारी ने स्वयं भरा तथा जिस पर तत्कालीन स्टेशन मास्टर एवं मुसाफिर के काउन्टर सिगनेचर हैं - इस प्रोफार्मा में आरोपित रेल कर्मचारी ने 85/- की धनराशि कालम 4 (गवर्नमेन्ट कैश आन हेन्ड) स्वयं ही भरा जिसमें विभिन्न नोटों की संख्या वही है जो पंचनामें में दर्ज करके देवी प्रसाद को टिकट कटाने के लिए दिया गया था। वैसे ग्रैन्ड टोटल वाले कालम में अन्वेषण (इनवेस्टीगेशन) एवं जांच(इन्क्वायरी) प्रक्रिया के दोनों अवसरों पर गड़बड़ी तथा अव्यवस्था (कन्फ्यूजन) पैदा करने के लिए आरोपित रेल कर्मचारी ने अंग्रेजी में कुछ अस्पष्ट अपाठ्य एवं गिचमिच (इललेजीबुल) लिख दिया जिसे आर0ओ0पी0 के पृष्ठ 16 पर दिए गए प्रश्नोत्तर 12 के द्वारा आरोपित रेल कर्मचारी से स्पष्ट कराया गया :-

'' 12- आर0यू0डी7 अर्थात चेक प्रापामा के कालम फोर में ग्रैन्ड टोटल के कालम में जो कुछ लिया है जो मैं पढ़कर के बता रहा हूँ कि '' रुपीज एटी थ्री रुप पर स्टेट टोटल पचासी '' मैंने लिखा है जांच अधिकारी के पूछने पर भी खुला ने यह कहा कि मैंने घबराहट में लिखा है और लिखने का मतलब है 83/- मेरे पास से निकला और 2/- बताया हुआ उसको लेकर 85/- रुपया हुआ। ''

EC.

True Copy
A Shukla

आरोपित रेल कर्मचारी का यह कथित [illegible] किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचाता कि आरोपित रेल कर्मचारी ने 85 - रु0 [illegible] से केवल उससे 85/- रु0 लेने की बात चेक प्रोफार्मा के आधार पर ज्यादा [illegible] है।

II दूसरे जब डिकाय श्री देवी प्रसाद को इस बात के लिए तैनात किया गया था कि टिकट के दाम पूछकर दो टिकट बरौनी का खरीदेगा तो यदि आरोपित रेल कर्मचारी ने उससे सही किराया 83/- मांगा होता या 85/- पाने पर दो रुपया 2 टिकटों के साथ लौटा देता तो श्री देवी प्रसाद लौट आता और (चेक) समाप्त हो जाता। श्री देवी प्रसाद की आरोपित रेल कर्मचारी से दुश्मनी होने का कोई प्रमाण भी नहीं मिला जिसके कारण श्री देवी प्रसाद झूठा फंसाता।

III श्री एस0पी0श्रीवास्तव तत्कालीन स्टेशन मास्टर आर0ओ0पी0 के पेज नं0 4 पर प्रश्नोत्तर 3 में, ''आज मैं चेक प्रोफार्मा (आर0यू0डी0नम्बर-7) देखकर बता रहा हूं कि 85 रुपया सील किया गया। विजिलेन्स इन्सपेक्टर ने बताया कि 83/- रुपया इनके टिकट ट्यूब में मिला है और 2/- रुपया इनके बिस्तर से मिला। श्री श्रीवास्तवा एक स्वतंत्र गवाह हैं। जांच की कार्यवाही भी उनके सामने हुई जैसा कि उन्होंने जांच अधिकारी के आर0ओ0पी0 के उसी पृष्ट 4 पर अंकित प्रश्नोत्तर में स्वीकार किया है।

IV आरोपित रेल कर्मचारी द्वारा कैश चेक कराने के बाद यह पूछने पर कि 2/- का नोट कहां गया भगवान की कसम खाना और अपनी तलाशी अपने आप देना उनके (आरोपित रेल कर्मचारी) दोषी मानसिकता (गिल्टी कांशसनेस) का परिचायक है जिसे आरोपित रेल कर्मचारी ने आर0ओ0पी0 के पृष्ठ 16 के प्रश्नोत्तर 9 में स्वयं स्वीकार किया है (चौथी से आठवीं लाइन) ''वी0आई0 के यह कहने पर कि डिकाय ने अर्थात टिकट खरीदने वाले डिकाय यात्री ने 85/- रुपया दिया लेकिन कैश गिनने पर केवल 83/- मिल रहा है बाकी 2/- रुपया कहां गया तब मैंने घबड़ाहट में स्वयं अपनी तलाशी दी। साथ ही साथ मैंने यह भी सोचा कि कहीं मैं फंस न जाऊं। तथा पी0डब्लू0 श्री राठौर के आर0ओ0पी0 के पृष्ठ 7 के बयान के 22 से 25 वीं लाइन में कहा गया है ''श्री शुक्ला जी पोछे खड़े थे शुक्ला जी से कहा गया आपने देवी प्रसाद से कितना पैसा लिया तब शुक्ला जी ने बताया कि मैंने 2 टिकट का 83/- रुपया लिया है तथा कसम खाने लगे और अपने कपड़े उस वक्त धोती व कुरता पहिने हुए थे को दिखाकर बताया कि मेरे पास और कोई पैसा नहीं है।''

V अब यह सिद्ध ~~[illegible]~~ है कि सभी गवाहों ने तथा आरोपित रेल कर्मचारी ने (आर0यू0डी0-7) कैश चेक प्रोफार्मा द्वारा 85/- के कमरे में मिलने की बात स्वीकार की है जिसमें से 83/- रु0 आरोपित रेल कर्मचारी के बुकिंग ट्यूब में मिला और दो रुपया बुकिंग आफिस में बिछे बिस्तर के नीचे, जिस पर आरोपित रेल कर्मचारी के एक रिश्तेदार सोये हुए थे और दरवाजा खुलते ही चले गये, उसके नीचे मिला।

क- अब दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है वह यह है कि 85/- रु0 में से 83/- तो बुकिंग ट्यूब में मिला लेकिन ~~क~~ जो दो रुपया बुकिंग खिड़की से लगभग पांच फीट की दूरी पर रखे गये टेबुल पर बिछे बिस्तर के नीचे मिला वह बिस्तर के नीचे पहुंचा कैसे?

E.O.

-9

True Copy [signature]

जैसा कि आरोपित रेल कर्मचारी ने अपने डिफेन्स स्टेटमेन्ट के मद 3.00 से लगायत 3.08 तक जो आर०ओ०पी० के पृष्ठ 11 से 13 पर है तथा रिटेन ब्रीफ के मद संख्या 2(1) से 2(11) तक जो आर०ओ०पी० के पेज नं० 17 से 19 पर है

With the above facts arrangement by the Vigilance team of placing Rs 2/- under the BPS's bed cannot be ruled out.

सिध्द करने की कोशिश की है।

मान लें कि सतर्कता दल के किसी व्यक्ति ने उपरोक्त दो रुपया का नोट फसाने के लिए लाकर बिस्तर के नीचे रख दिया तो इस बात का कहीं प्रमाण नहीं मिलता जैसा कि निम्नांकित गवाहियों से प्रकट है :-

1- आर०ओ०पी० के पेज 2 पर बचाव सहायक के प्रश्नोत्तर 4 में श्री देवी प्रसाद ने कहा है '' मैं टिकट कटाने के बाद दो मिनट तक काउन्टर पर था'' तथा इसी पेज पर जाँच अधिकारी के प्रश्नोत्तर 5 में श्री देवी प्रसाद ने आगे कहा है ''बुकिंग आफिस का दरवाजा अन्दर से बन्द था। बुकिंग आफिस का दरवाजा मेरे इशारा करने पर श्री जी०एस०मिश्रा सी०वी०आई० ने खुलवाया।''

2- आर०ओ०पी० के पेज नं० 3 पर बचाव सहायक के प्रश्नोत्तर 2 में गवाह श्री हरीशंकर ने कहा है '' हम दोनों उस वक्त तक खड़े रहे जब तक वी०आई० लोग अन्दर नहीं आ गए''

3- श्री राठौर गवाह की आर०ओ०पी० के पृष्ठ 7 पर बयान की 14 वीं से 18 वीं लाइन'' टिकट कटाने के बाद जब यह पता लग गया कि देवी प्रसाद ने बुकिंग बाबू को पैसा देकर टिकट खरीद लिया तो उसके बाद मैं दरवाजे पर गया दरवाजे को बाहर से बजाया क्योंकि अन्दर से दरवाजा बन्द था। मेरे बजाने के थोड़ी देर बाद शुक्लाजी आरोपित रेल कर्मचारी आये तथा उन्होंने दरवाजा खोला मैं उनके साथ साथ बुकिंग ट्यूब के पास गया। मेरे पीछे जी०एस०मिश्रा थे'' तथा उसी पेज पर बचाव सहायक का प्रश्नोत्तर 6 '' श्री बलराम तिवारी ने आकर इशारा किया कि रुपया बिस्तर के नीचे छिपा है'' तथा प्रश्नोत्तर 8'' टिकट कटाने के लगभग 5 मिनट बाद अन्दर आ गए। हम लोगों के पीछे पीछे थोड़ी देर में बलराम तिवारी अन्दर आए।''

4-आर०ओ०पी० के पेज नम्बर 10 पर गवाह श्री जी०एस०मिश्रा का बचाव सहायक का प्रश्नोत्तर 14 '' केवल मुझे दरवाजे पर राठौर थे- ट्यूब के पास मैं केवल अकेला था बलराम तिवारी बुकिंग खिड़की पर थे और बलासी बाहर थे'' तथा प्रश्नोत्तर 18 ''बलासी अन्दर आए ही नहीं केवल इन्स्ट्रेशन के लिए बुलाया गया तब आए''

5- आरोपित रेल कर्मचारी श्री एस०एस०शुक्ला का नियम 9(21) के अन्तर्गत आर०ओ० पी०# के पेज [illegible] पर दिए गए स्वयं के बयान का मद संख्या -9'' जब मैंने दरवाजा खोला तो श्री जी०एस०मिश्रा वी०आई० को वहीं खड़े पाया''

उपरोक्त से यह सिध्द होता है कि जब सतर्कता दल के पाँचों व्यक्तियों में से कोई दरवाजा खुलने से पहले अन्दर नहीं गया तो उनके द्वारा 2/- के नोट छिपाने का प्रश्न ही नहीं उठता- इसका दूसरा तर्क पहले ही दिया जा चुका है कि जब डिकाय को 85/- देकर टिकट कटाने के लिए तैनात किया गया तो वह अपनी नौकरी खतरे में डालकर 85/- रुपये से कम क्यों देगा।

तो फिर यह दो रुपया बिस्तर के नीचे पहुँचा कैसे जब कि आरोपित रेल कर्मचारी अपने [illegible] पर तब तक बैठे रहे जब तक दरवाजा खटखटाया नहीं गया- वह के

True copy [signature]

दरवाजा खोलने के लिए दो खिड़की छोड़कर गए जैसा कि नीचे साक्ष्यों से जाहिर होता है :-

I आर0ओ0पी0 के पेज नं0 2 पर गवाह श्री देवी प्रसाद का बयान सहायक का प्रश्नोत्तर 4 " मैं टिकट कटाने के बाद दो मिनट तक काउन्टर था। बुकिंग बाबू अपनी सीट पर बैठे थे कुछ कर नहीं रहे थे।"

II आर0ओ0पी0 के पेज नं0 3 पर गवाह श्री हरीशंकर सिंह का बयान सहायक का प्रश्नोत्तर 2 " हम दोनों उस वक्त तक वहीं खड़े रहे जब तक वी0आई0 लोग अन्दर नहीं गये और बुकिंग बाबू अपनी सीट पर बैठे रहे"

और जब कि वह टेबुल जिसपर बिस्तर बिछा था और जिस पर आरोपित रेल कर्मचारी के रिश्तेदार सोये थे बुकिंग खिड़की से लगभग 5 फीट की दूरी पर था:-

आर0ओ0पी0 के पेज नम्बर 5 पर गवाह श्री जीवाद अली कोचिंग सुपरवाइजर 7 एवं 8 का प्रश्नोत्तर" बक्स उसके पश्चिम एक बड़ा बक्सा लकड़ी का है उस पर बुकिंग क्लर्क कभी कभार आराम कर लेते हैं" तथा" वह बक्सा बुकिंग बाबू की कुर्सी से एक मीटर से अधिक दूरी पर है और बुकिंग क्लर्क बिना अपनी कुर्सी से उतरे बिना सीढ़ी उतरे और दो एक कदम चले वहाँ नहीं जा सकते"

तथा

आर0ओ0पी0 के पेज नं0 10 पर गवाह श्री जी0एस0मिश्रा का जाँच अधिकारी का प्रश्नोत्तर 1 " यस0पी0यस0 का बिस्तर बड़वाले टेबुल पर था जो एल सेप का था और ट्यूब से करीब 5 फीट दूर था।"

इस प्रश्न का हल आरोपित रेल कर्मचारी अपने डिफेन्स स्टेटमेन्ट के साथ संलग्न किए गए नक्शे से, जो आर0ओ0पी0 के पेज 15 पर है तथा जिसका पूर्ण विवरण भी आर0ओ0पी0 के पेज 13 पर डिफेन्स स्टेटमेन्ट के मद 3.03 में दिया गया है, से ही निकल आता है।

उपरोक्त होने यह दर्शाता है कि यद्यपि यह बाक्स बुकिंग खिड़की से लगभग 5 फीट की दूरी पर है तथापि दरवाजे और बुकिंग खिड़की के बीच रास्ते में है और जहाँ उपरोक्त बिस्तर वाला बाक्स है वहीं पारसल काउन्टर होने के नाते रास्ता काफी सँकरा भी है। मेरा यह निश्चित मत है कि आरोपित रेल कर्मचारी को निम्नांकित परिस्थितियों में यह शक हो गया कि दल में कुछ काला है :-

I - 508 डाउन ट्रेन का स्टापेज नहीं था फिर भी उसका टिकट माँगा गया।

II श्री देवी प्रसाद टिकट कटाने वाले का बावजूद उनके (आरोपित रेल कर्मचारी) के यह कहने पर भी "कि गाड़ी छूटने वाली है जल्दी से जावो (आर0ओ0पी0 के पेज 2 पर देवी प्रसाद के बयान की चौथी लाइन) खिड़की का न छोड़ना।

III उनके पीछे एक अन्य व्यक्ति का भी खड़ा रहना।"

IV तथा आधी रात के समय दरवाजे का खटखटाया जाना।

और तब आरोपित रेल कर्मचारी ने दरवाजा खोलने के लिए जाते हुए रास्ते में ही उपरोक्त बाक्स पर बिछे चद्दर के नीचे 2/- का नोट छिपा दिया और यही कारण था कि अपने रिश्तेदार को जो उस बिस्तर पर सोए थे उन्होंने इस डर से भगा दिया जिसे आरोपित रेल कर्मचारी ने आर0ओ0पी0 पेज नम्बर 16 पर अपने 9(21) बयान के मद संख्या 10 में स्वयं स्वीकार किया है "बुकिंग आफिस में मेरा एक रिश्तेदार जो गाँव से आया था बुकिंग आफिस में रखे हुए बक्से के बिस्तर पर बैठा हुआ था। मेरा वह रिश्तेदार वी0आई0 के आने के बाद तुरन्त चला गया तथा इसी ...

True copy
[illegible signature]

 34

कारण उन्होंने (आरोपित रेल कर्मचारी), जैसा कि पंचनामें (आर०यू०डी०1) के पेज 3 पर प्रश्न 5 (ग) के उत्तर से जाहिर है, उस व्यक्ति का पता तक नहीं बताया बल्कि अपने रिश्तेदार के गाँव का बताकर पता बताने की बात को टाल गए कि कहीं उनका उपरोक्त रिश्तेदार उनके (आरोपित रेल कर्मचारी के द्वारा) रुपया छिपाने का प्रत्यक्षदर्शी गवाह होने के नाते पूछताछ में सही बात प्रकाश में न ला दे।

5.03 अतएव उपरोक्त पैरा 5.02 में दिए गए तर्कों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि श्री शिवशंकर शुक्ल प्रवर बुकिंग बाबू कर्नेलगंज ने कर्नेलगंज से बरौनी जं० के दो टिकटों पर निर्धारित तिरासी रु० किराये के बजाय पचासी रु० वसूल किया तथा इस प्रकार उन्होंने दो रुपया निजी लाभ के लिए वसूल किया और सरकारी राशि में नहीं जमा किया।

5.04 दूसरा आरोप है कि आरोपित रेल कर्मचारी श्री शुक्ला ने कार्यरत होते हुए भी नियमानुसार अपना व्यक्तिगत धन घोषित नहीं किया- इस सम्बन्ध में पहले आरोपित रेल कर्मचारी ने अपने डिफेन्स स्टेटमेन्ट के जो आर०ओ०पी० के पृष्ठ 13 पर पैरा 4.01 तथा पृष्ठ 14 पर पैरा 4.02 में कहा है :-

"On the date of incidence I had performed double duty from 16 hrs to 24 hrs and again 00 hrs to 8 hrs without a break. I was puzzled. The VIs surrounded me in such a way that I could not see and consult record to find out if I had already declared the cash.

(II) फिर आगे उन्होंने कहा "As a matter of fact I had declared it on the parcel cash register for the first shift and not for the other shift."

(III) फिर उन्होंने आगे तीसरा कारण उसी डिफेन्स स्टेटमेन्ट के पैरा 4.02 (आर०ओ०पी० का पृष्ठ 14) में बताया "That it was not a practice at CLJ to declare private cash

इन कारणों में तीसरा कारण "It was not a practice at CLJ ~~to declare private cash~~ to declare private cash "आरोपित रेल कर्मचारी के उपरोक्त 5.04 (II) में दिए गए उत्तर से कि "As a matter of fact I had declared it on the parcel cash register for the first shift and not for the other shift तथा उनके आर०ओ०पी० के पेज 16 पर दिए गए 9(21) के प्रश्नोत्तर 6 की दूसरी एवं तीसरी लाइन से, "मैंने अपना व्यक्तिगत कैश 14 तारीख को 16 से 24 वाली ड्यूटी में घोषित किया था। ~~प्रैक्टिस नहीं थी तो आरोपित रेल कर्मचारी ने 16 से 24 की वाली ड्यूटी में अपना प्राइवेट कैश क्यों घोषित किया।~~

sd/
E.O.

True Copy
sd/

अपने आप हो कट जाता है। यदि कर्नलगंज स्टेशन पर प्राइवेट कैश घोषित करने की प्रेक्टिस नहीं थी तो आरोपित रेल कर्मचारी ने 16 बजे से 24 बजे वाली ड्यूटी में अपना प्राइवेट कैश क्यों घोषित किया।

बाकी सभी तर्क असंगत हैं तथा विश्वसनीय नहीं है। ये सभी बातें कि (I) उन्होंने डबल ड्यूटी की, कि (II) जैसा कि उन्होंने आर०ओ०पी० के पेज 16 के प्रश्नोत्तर 6 में कहा है ''लेकिन 15 तारीख वाली 00 से 8 बजे तक की ड्यूटी का कैश इसलिए नहीं घोषित किया कि मेरा जोड़ीदार बुकिंग क्लर्क नहीं आया था'' तथा जैसा कि (III) उन्होंने कहा है कि'' I was puzzled v. Is ... me in such a way''

ये सभी मात्र बहाने हैं मैं जहाँ तक समझता हूँ प्राइवेट कैश डिक्लेयर करने में कुछ भी समय नहीं लगता केवल चन्द मिनट लगते हैं- अतएव आरोपित रेल कर्मचारी ने जानबूझ कर प्राइवेट कैश नहीं घोषित किया।

5.05 आरोप स्तम्भ (आर्टिकिल आफ चार्ज) में श्री शुक्ला (आरोपित रेल कर्मचारी) पर यह भी आरोप है कि उन्होंने टिकट पर छपा किराया 16रु० 10पैसा को काटकर लिया गया किराया उन्होंने लिखा था टिकट पर काटकर सही किराया लिखना बुकिंग क्लर्क की ड्यूटी है अतएव यह कोई आरोप ही नहीं हुआ।

मैंने दोनों टिकटों को जो आर०यू०डी० 8 है देखा छपे हुए किराए को काटा गया है लेकिन उस पर सही किराया नहीं लिखा गया है। लगता है आरोप स्तम्भ का उपरोक्त अंश टंकण एवं मिलान (कम्पेयरिंग) की त्रुटि है।

निष्कर्ष

======

उपरोक्त तर्कों के आधार पर रेल सेवा (आचार) नियम 1966 के नियम सं० 3(1) (I) (II) का उल्लंघन सिद्ध होता है।

(मुरारी लाल श्रीवास्तव)
जाँच अधिकारी

True Copy
AKShukla

36

Before Central Administrative Tribunal Alld.
Seo Shankar Shukla ---- Applicant
vs
Union of India & Others --- Respondents
Annexure No 7

गोरखपुर
27-6-1985 पेज नम्बर (16)

बयान :- एस0एस0शुक्ला, सोनियर बुकिंग क्लर्क बलराम पुर नियम 9(21) के अन्तर्गत

1- मेरो नियुक्ति तिथि जुलाई 1959 है।

2- मेरी पहलो नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी के एल0सी0पोर्टर में हुई थी।

3- सन् 1964 में मैं बुकिंग बाबू के पद पर पदोन्नति पाया।

4- मैंने कोचिंग को ट्रेनिंग भी पास किया।

5- 14-1-84 को कर्नेलगंज स्टेशन पर बुकिंग में मेरो ड्यूटो 16बजे से 24 बजे तक थो।

6- चूँकि मुझसे चार्ज लेने के लिए सम्बन्धित बुकिंग क्लर्क नहीं आया इसलिए मैं 14 तारोख को 24 बजे के बाद भी अपनी ड्यूटी करता रहा। मैंने अपना व्यक्तिगत 14 तारोख के 16 से 24 वालो ड्यूटो में घोषित किया था लेकिन 15 तारोख वालो 00-से 8 बजे तक को ड्यूटो का कैश इसलिए नहीं घोषित किया कि मेरो जोड़ोदार बुकिंग क्लर्क नहीं आया था और उसो का मैं इन्तजार कर रहा था। इसो बोच सतर्कता निरोक्षकों ब्दारा चेकिंग हो गई।

7- मुझसे एक आदमी ने कर्नेलगंज से बरौनी जुक्शन का 2 टिकट मांगा। उन्होंने मुझे 83/- रुपया दिया मैंने रुपया गिन के उस यात्री को दो टिकट दे दिये। उस यात्रो ने टिकट लेने के लिए दो टिकटों का किराया पूछा और मैंने 83/- रुपया बताया।

8- टिकट देने के बाद किसो ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा मैंने फैरन खोल दिया।

9- जब मैंने दरवाजा खोला तो श्री जो0एस0मिश्रा वो0आई0 को वहाँ खड़े पाया। श्री मिश्रा जो तुरन्त हो मेरे साथ बुकिंग विन्डो पर आये और मुझे बताया कि वे वो0आई0 हैं ~~इ~~ और साथ हो साथ उन्होंने हमारे कैश पर हाथ रख दिया। वो0आई0 के यह कहने पर कि डिकाय ने अर्थात टिकट खरोदने वाले डिकाय यात्रो ने 85/- रुपया दिया लेकिन कैश गिनने पर केवल 83/- मिल रहा है ~~मक~~ बाको 2/- रुपया कहाँ गया तब मैंने ~~धबड़ा~~ घबड़ाहट में स्वयं अपनो तलाशो दो। साथ हो साथ मैंनि यह भो सोचा कि कहीं मैं बिना अपराध फँस न जाऊ।

10- बुकिंग आफिस का दरवाजा हमेशा इसलिए बन्द रखा जाता है कि कोई अनधिकृत या बदमाश आदमो न अन्दर आ जाय। ~~बु~~ बुकिंग आफिस में मेरा एक रिश्तेदार जो गाँव से आया था बुकिंग आफिस में रखे हुए एक बक्से के बिस्तर पर बैठा हुआ था। वह मेरा वह रिश्तेदार वोआईज के आने के बाद तुरन्त बाहर चला गया।

11- मैं चूँकि हिन्दू संस्कारों से मजबूर था कि अपने रिश्तेदार को बैठाऊ और आदर करुँ इसलिए उनको अपने बिस्तर पर बैठने के लिए कह दिया था। परन्तु फैरन हो वो0आईज के आने पर उनको बाहर कर दिया।

12- आरयूडो-7 अर्थात चेक प्रोफार्मा के कालम फोर में ग्रैन्ड टोटल के कालम में जो कुछ लिखा है वो मैं पढ़कर के बता रहा हूँ कि ''रुपोज ~~स्वोबः~~ एटटो थ्रो रुज पर स्टेटेड टोटल पचासो '' मैंने लिखा है जाँच अधिकारो के पूछने पर श्री शुक्ला ने यह कहा कि मैंने घबराहट में लिखा है और इस लिखने का मतलब है 83/- मेरे पास से निकला और 2/- बताया हुआउसको लेकर 85/- रुपया हुआ।

13- इसो आर0यू0डो0 के कालम -8 में जो लिखा है कि उसे शुक्ला जो ने पढ़कर बताया कि ''फाउन्ड इन कैश 83/-'' उपरोक्त आर0यू0डो-7 के कालम 8 में जहाँ "इन युज इन माइ चार्ज आन" लिखा है उसके बाद शुक्ला जो ने बताया कि मैंने लिखा है ''नाट इन यूज एट दो टाइम आफ चेकिंग''

x%x%x%x%x%x%xx%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%

True copy
[signature]

[signature]

आरोपित रेल कर्मचारी

Before Central Administrative Tribunal Alld.
Seo Shankar Shukla ---- Applicant
vs
Union of India & others --- Respondents
Annexure 9

केस नम्बर स्लडो/एसएस-सो/विज/37/84
श्री एस0एस0शुक्ला, सोनियर बो0सो0- कर्नलगंज के विरुद्ध जांच को प्रारम्भिक कार्यवाही
वर्तमान में बलरामपुर में कार्यरत।

उपस्थिति :-

1- सर्वश्री मुरारी लाल श्रीवास्तव, जांच अधिकारी

2- श्री के0बी0श्रीवास्तव, सो0स्ल0ए0- सो0सो0एस0आफिस- गोरखपुर - बचाव सहायक

3- श्री एसएस शुक्ला, प्रवर बुकिंग क्लर्क- बलरामपुर- आरोपित रेल कर्मचारी

आरोपित रेल कर्मचारी ने बयान दिया कि डिवीजनल कामशियल सुपरिन्टेन्डेन्ट लखनऊ (श्री बे0लाल) के पत्र संख्या स्लडो/एसएस-सो/विज/37/84 दिनांक 25-5-84 द्वारा जारी किया गया आरोप पत्र (चार्जशीट) उन्हें प्राप्त हो गया है। जिसको उन्होंने पढ़ और समझ लिया है। उन्होंने सारे आर0यू0डी0का इन्सपेक्शन कर लिया है और उसके सारांश (एक्सट्रेक्ट) भी ले लिया है। उन्होंने यह भी बताया कि डिवीजनल कामशियल/लखनऊ के पत्र संख्या स्लडो/एसएस-सो/विज/37/84 दिनांक 8-2-85 द्वारा श्री मुरारी लाल श्रीवास्तव का जांच अधिकारी के रूप में जारी किया गया नामांकन पत्र ... अभी प्राप्त तो नहीं हुआ है परन्तु यह ज्ञान हो चुका है कि श्री मुरारी लाल श्रीवास्तव जांच अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। मुझे उनके द्वारा जांच करने में कोई आपत्ति नहीं है। आरोपित रेल कर्मचारी ने सभी आरोपों को इनकार किया और अपने को निर्दोष बताया। अनेक्सर-3 में दिये गये क्रमसंख्या 6 और 9 (आर0यू0डी0) को छोड़कर किसी को भी नहीं मानते हैं।

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

श्रीवास्तव शुक्ल
आरोपित रेल कर्मचारी

बचाव सहायक
13/3/85

जांच अधिकारी

True copy

38

गोरखपुर
29-4-1985

पेज नम्बर (2)

बयान श्री देवी प्रसाद, विजिलेन्स खलासी
===========================

14/15~~4~~-1-84 को रात में सतर्कता निरीक्षक के आदेशानुसार कुर्नलगंज स्टेशन पर मैने बुकिंग बाबू से 2 टिकट बरौनी के लिए दूसरे दर्जे का मांगा। हमने बाबू से 2 टिकट का किराया पूछा बाबू ने किराया रु085-00 बताया। बाबू ने 85रुपया मांगकर और मुझसे रुपया लेकर 2 टिकट बरौनी के लिए दिया। उसके बाद टिकट बाबू ने कहा कि गाड़ी छूटने वाली है जल्दी से जाओ। हमको सतर्कता निरीक्षकोंने टिकट कटाने के लिए 85 रुपया दिया था जिसका विवरण पंचनामा में अंकित कर लिया गया था। ~~बिल्कुल नोट~~ सतर्कता निरीक्षक द्वारा दिये गये 85/- रुपये के नोट के अलावा मेरे पास अपना कोई पैसा नहीं था। हमने सतर्कता निरीक्षकों के आदेशानुसार उपरोक्त घटना का रिपोर्ट अपने मन से लिखकर दे दिया। मेरा बयान समाप्त हुआ।

बचाव सहायक द्वारा पूछे गये प्रश्न (क्रास एक्जामिनेशन)
=====================

1- मैने एक बयान टिकट घर में लिखा था। जो कि आर0यु0डी-4 है।

2- मैं भूल गया कि 5 का के नोट था लिखना भूल गया लेकिन 5 का एक ही नोट था और 2 रुपये का 3 नोट था। 50रुपये का एक नोट और 20 रुपये का एक नोट था। और एक एक रुपये का चार नोट था।

3- बुकिंग आफिस के अन्दर रोशनी थी जब मैं टिकट कटा रहा था।

4- मैं टिकट कटाने के बाद 2 मिनट तक काउन्टर पर था। बुकिंग बाबू अपने सीट पर बैठे थे कुछ कर नहीं रहे थे। बुकिंग बाबू को अपने सीट से उठते मैंने नहीं देखा।

5- और और क्या घटना घटी मुझे पता नहीं है।

6- हमसे सतर्कता निरीक्षक ने कुछ नहीं बताया।

7- बलराम तिवारी सबसे बाद में बुकिंग आफिस के अन्दर गये थे।

8- जाँच अधिकारी द्वारा पूछे गये प्रश्न
=========================

1- मैं सतर्कता दल के साथ गोरखपुर से गया था।

2- पंचनामा मेरे सामने लिखा गया था। 85/- रुपये की धनराशि किस सतर्कता निरीक्षक ने दिया मुझे याद नहीं है। नोट देने के पहिले मेरी तलाशी ली गई मेरे पास अपना कोई पैसा नहीं था।

3- जब मैं टिकट कटा रहा था तो मेरे साथ श्री हरिशंकर सिंह सतर्कता खलासी भी थे। साथ ही साथ श्री बलराम तिवारी मुख्य सतानि भी थे तथा श्री के0एस0राठौर सतानि भी थे।

4- टिकट कटाते समय हरिशंकर सिंह खलासी बिलकुल हमारे पीछे थे। बुकिंग बाबू से जो मेरी बातचित हुई वो श्री हरिशंकर सिंह भी सुन रहे थे।

5- हमने बुकिंग आफिस में अकेले बुकिंग बाबू को ही देखा। बुकिंग आफिस का दरवाजा अन्दर से बन्द था। बुकिंग आफिस का दरवाजा मेरे इशारा करने पर श्री जे0एस0मिश्रा सी0वी0आई0 ने खुलवाया। मैने दरवाजा किसने खोला नहीं देखा लेकिन मेरे ख्याल से जब एक ही आदमी अन्दर था तो बुकिंग बाबू ने ही खोला होगा।

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(हस्ताक्षर)
आरोपित रेल कर्मचारी

(हस्ताक्षर)
बचाव सहायक

देवी प्रसाद
प्राजीक्यूशन विटनेस

(हस्ताक्षर)
जाँच अधिकारी

True Copy (हस्ताक्षर)

गोरखपुर
29-4-1985

पेज नम्बर (3)

बयानश्री ह० शंकर सिंह, सतर्कता खलासी
==============================

15-1-84 की रात में कर्नेलगंज स्टेशन पर हमको और देवी प्रसाद को भेजा गया था कि देवी प्रसाद टिकट कटायेंगे और हम उनके पीछे खड़े रहेंगे। तथा देवी प्रसाद और बुकिंग बाबू के बीच होने वाले सब बात चीत लेन देन को देखेंगे तथा सुनेंगे। देवी प्रसाद ने बुकिंग बाबू से बरौनी का किराया पूछा और बुकिंग बाबू को 85/- रु रुपया देकर बरौनी का द्वितीय श्रेणी का 2 टिकट ~~ख~~ लिया। उसके बाद वी०आई०लोग बुकिंग आफिस के अन्दर घुसे और मैं बुकिंग खिड़की पर खड़ा रहा। मेरा बयान समाप्त हुआ।

बचाव पक्ष द्वारा क्रास एक्जामिनेशन
==============================

1- जब हमने और देवी प्रसाद ने टिकट कटा लिया तो उनको जैसा निर्देश था कि हम दोनों वहीं खड़े रहें और ये देखें कि कोई दूसरा टिकट न कटने पाये। और यह भी निर्देश था कि बुकिंग बाबू अन्दर क्या कर रहे हैं।

2- हम ~~लोग~~ दोनों ह उस समय तक खड़े रहे जब तक वी०आई०लोग अन्दर नहीं गये। और बुकिंग बाबू अपने सीट पर बैठे रहे। जब वी०आई०लोगों ने दरवाजा खुलवाया तब ये उठे। हमने यह ध्यान नहीं दिया कि बुकिंग क्लर्क के अतिरिक्त अन्दर कोई था या नहीं।

3- मुझे याद नहीं है कि सब वी०आई० साथ गये ~~थ~~ या नहीं, कौन आगे गया कौन पीछे गया।

4- बुकिंग बाबू ने फौरन दरवाजा खोल दिया जैसे खटखटाया। ?

5- मुझे यह याद नहीं है कि पंचनामें में वर्णित 85/- रुपये की धनराशि देवी प्रसाद को किस सतर्कता निरीक्षक ने दिया था। मुझे यह याद नहीं है कि यह धनराशि कर्नेलगंज के किस स्थान पर दिया गया था।

6- यह भी मुझे नहीं बताया गया कि कितना निकला है कितना नहीं निकला है और कितना रुपया कहाँ से निकला यह भी जानकारी मुझे नहीं है।

जाँच अधिकारी द्वारा ~~क्रास~~ पूछे गये प्रश्न :-
==============================

1- टिकट कटाते समय मैं देवी प्रसाद के बिल्कुल सटे खड़ा था। और टिकट बाबू तथा देवी प्रसाद के बीच जो भी बात चीत हुई उसे सुना तथा 85/- रुपये की धनराशि का देवी प्रसाद द्वारा देना और बुकिंग बाबू द्वारा 2 टिकट देना मैंने देखा।

2- ~~देखो~~ टिकट लेने के पहिले श्री देवी प्रसाद ने बुकिंग बाबू से बरौनी के 2 टिकट का किराया पूछा और बुकिंग बाबू ने 85/- रुपया बताया।

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(signature)
आरोपित रेल कर्मचारी

(signature)
बचाव सहायक

हरिशंकर सिंह
प्राजीक्यूशन विटनेस

(signature)
जाँच अधिकारी

True copy
(signature)

गोरखपुर
30-4-1985

[illegible]
पेज नम्बर (5)

बयान श्री जोवाद अली, कोचिंग सुपरिन्टेन्ड, कर्नलगंज
=-=

यह घटना जिसके विषय में इन्क्वायरी चल रही है 15-1-84 की है। रात में साढ़े तीन बजे मुझको स्टेशन (कर्नलगंज) बुलाया गया। क्वार्टर से। रात में मेरी ड्यूटी नहीं थी। स्टेशन पर बुकिंग आफिस में कई इन्सपेक्टरस नाम मैं नहीं जानता उन्ही लोगों के जबानी मालुम हुआ कि वे लोग विजिलेंस विभाग के हैं। और श्री शिवशंकर शुक्ला, प्रवर बी०सी० का कैश चेक कर रहे हैं। कर्नलगंज से बरौनी के 2 टिकट को मुझसे कैन्सिल करने के लिए कहा गया और उसका पैसा भी वापिस करने के लिए कहा गया मैंने वैसा ही किया। मेरे सामने कुछ सील किया गया लेकिन क्या सील किया गया इतना दिन बीत जाने पर मुझको याद नहीं है। मेरा बयान समाप्त हुआ।

बचाव पक्ष द्वारा क्रास एक्जामिनेशन
======================

1- प्रश्न :- आप स्टेशन पर 3.50 पर आये इसके पहिले की कार्यवाही को आपने नहीं देखा, क्या यह सत्य है?

उत्तर:- साढ़े तीन बजे के पहिले के घटना के विषय में मुझे कुछ भी नहीं मालुम

2- प्रश्न :- आपके मुख्य बयान में आया है कि मुझसे 2 टिकट बरौनी का कैन्सिल करने के लिए कहा गया और दोनो टिकट का किराया वापिस करने को कहा गया क्या आपने में यह एतराज नहीं किया कि दोनो टिकट नान इस्युड करके वापिस करना और क्लरिकेज का न काटना अर्थात पूरा किराया वापिस कर देना वाणिज्य नियमों के विरुद्ध है? यह आपने सब काम विजिलेन्स के आदेशानुसार गलत और सही कर दिया।?

उत्तर :- मैं यह जानता हूँ कि क्लरिकेज न काटना नियम के विरुद्ध है। लेकिन विजिलेन्स के द्वारा कार्यवाही में मुझसे पहिले भी ऐसा कराया गया है इसलिए इस बार भी मैंने उनके आदेशानुसार वैसा ही किया। पहिले वाले केस में अर्थात राम प्रवेश गिरि बुकिंग क्लर्क कर्नलगंज के केस में सन् 1978 में ऐसा ही हुआ था और क्योंकि लेखा विभाग ने कोई आपत्ति नहीं उठाई इसलिए यह अनियमितता मैंने दुबारा की।

3- प्रश्न :- आपके मुख्य बयान में यह आया है कि आपने टिकट या पैसा सील किया इसके अतिरिक्त और कोई कार्यवाही आपके सामने हुई या नहीं?

उत्तर :- मेरे सामने उपरोक्त के अतिरिक्त और कोई कार्यवाही नहीं हुई।

4- प्रश्न :- आपके ऊपर के उत्तर से विदित है कि यदि आपका और कोई दस्तखत कहीं हो तो यह केवल खानापूरी है और आप उसके वास्तविक साक्षी नहीं हैं। क्या आप इससे सहमति हैं?

उत्तर :- हाँ, मैं इससे सहमति हूँ।

5- मुझे यह याद नहीं है कि मैंने कितना रुपया सील करवाया।

6- प्रश्न :- आपको सीबीसी/सी०एस० की हैसियत से कर्नलगंज में कितने दिन काम करते हुए हुआ?

उत्तर :- लगभग 9 वर्ष से सुपरीवाइजरी(पर्यवेक्षक) के पद पर हूँ।

7- मेरे बैठने के लिए बुकिंग आफिस में मेज कुरसी अलग प्रोवाइडेड है जो कमरे में पश्चिम तरफ है उसके पश्चिम एक बड़ा बक्सा लकड़ी का है। उस पर बुकिंग क्लर्क कभी कभार आराम कर लेते हैं।

8- वह बक्सा बुकिंग बाबू की कुरसी से एक मीटर से अधिक दूरी पर है और बिना बुकिंग क्लर्क बिना अपने कुरसी से उतरे, बिना सीढ़ी उतरे और दो एक कदम चले वहाँ नहीं जा सकता।

41

गोरखपुर
30-4-1985

पेज नम्बर (5)

बयान श्री जीवाद अली, कोचिंग सुपरिन्टेन्ड, कर्नलगंज

यह घटना जिसके विषय में इन्क्वायरी चल रही है 15-1-84 की है। रात में साढ़े तीन बजे मुझको स्टेशन (कर्नलगंज) बुलाया गया। क्वार्टर से। रात में मेरी ड्यूटी नहीं थी। स्टेशन पर बुकिंग आफिस में कई इन्सपेक्टरस नाम मैं नहीं जानता उन्ही लोगों के जबानी मालुम हुआ कि वे लोग विजिलेन्स विभाग के हैं। और श्री शिवशंकर शुक्ला, प्रवर बी०सी० का कैश चेक कर रहे हैं। कर्नलगंज से बरौनी के 2 टिकट को मुझसे केन्सिल करने के लिए कहा गया और उसका पैसा भी वापिस करने के लिए कहा गया मैंने वैसा ही किया। मेरे सामने कुछ सील किया गया लेकिन क्या सील किया गया इतना दिन बीत जाने पर मुझको याद नही है। मेरा बयान समाप्त हुआ।

बचाव पक्ष द्वारा क्रास एक्जामिनेशन

1- प्रश्न :- आप स्टेशन पर 3.50 पर आये इसके पहिले की कार्यवाही को आपने नहीं देखा, क्या यह सत्य है?

उत्तर :- साढ़े तीन बजे के पहिले के घटना के विषय में मुझे कुछ भी नहीं मालुम

2- प्रश्न :- आपके मुख्य बयान में आया है कि मुझसे 2 टिकट बरौनी का केन्सिल करने के लिए कहा गया और दोनों टिकट का किराया वापिस करने को कहा गया क्या आपने ने यह एतराज नहीं किया कि दोनों टिकट नान इस्युड करके वापिस करना और क्लरिकेज का न काटना अर्थात पूरा किराया वापिस कर देना वाणिज्य नियमों के विरुद्ध है? यह सब आपने सब काम विजिलेन्स के आदेशानुसार गलत और सही कर दिया।?

उत्तर :- मैं यह जानता हूँ कि क्लरिकेज न काटना नियम के विरुद्ध है। लेकिन विजिलेन्स के द्वारा कार्यवाही में मुझसे पहिले भी ऐसा कराया गया है इसलिए इस बार भी मैंने उनके आदेशानुसार वैसा ही किया। पहिले वाले केस में अर्थात राम सुरेश गिरि बुकिंग क्लर्क कर्नलगंज के केस में सन् 1978 में ऐसा ही हुआ था और क्योंकि लेखा विभाग ने कोई आपत्ति नहीं उठाई इसलिए यह अनियमितता मैंने दुबारा की।

3- प्रश्न :- आपके मुख्य बयान में यह आया है कि आपने टिकट या पैसा सील किया इसके अतिरिक्त और कोई कार्यवाही आपके सामने हुई या नहीं?

उत्तर :- मेरे सामने उपरोक्त के अतिरिक्त और कोई कार्यवाही नही हुई।

4- प्रश्न :- आपके ऊपर के उत्तर से विदित है कि यदि आपका और कोई दस्तखत कहीं हो तो यह केवल खानापूरी है और आप उसके वास्तविक साक्षी नहीं हैं। क्या आप इससे सहमति हैं?

उत्तर :- हाँ, मैं इससे सहमति हूँ।

5- मुझे यह याद नहीं है कि मैंने कितना रुपया सील करवाया।

6- प्रश्न :- आपको सीबीसी/सी०एस० की हैसियत से कर्नलगंज में कितने दिन काम करते हुए हुआ?

उत्तर :- लगभग 9 वर्ष से सुपरवाइजरी (पर्यवेक्षक) के पद पर हूँ।

7- मेरे बैठने के लिए बुकिंग आफिस में मेज कुरसी अलग प्रोवाइडेड है जो कमरे में पश्चिम तरफ है उसके पश्चिम एक बड़ा बक्सा लकड़ी का है। उस पर बुकिंग क्लर्क कभी कभार आराम कर लेते हैं।

8- वह बक्सा बुकिंग बाबू की कुरसी से एक मीटर से अधिक दूरी पर है और बुकिंग क्लर्क बिना अपने कुरसी से उतरे, बिना सीढ़ी उतरे और दो एक कदम चले वहाँ नहीं जा सकता।

True copy

गोरखपुर
30-4-85

पेज (6)

9- श्री शिवशंकर शुक्ला के विरुद्ध मैंने कोई शिकायत नहीं सुनी है। लगभग ३ वर्षों से मेरे अधीन काम कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि ये टिकट पर ज्यादा पैसा नहीं लेते और न कभी मैंने उनकी शिकायत पाई है।

जाँच अधिकारी द्वारा पूछे गये प्रश्न :-
========================

1- टिकट निरस्त करने के लिए विजिलेन्स इन्सपेक्टर ने मुझे मेमो दिया था जिसका नाम मुझे नहीं मालुम नहीं।

2- उसी मेमो में दोनों टिकट का पैसा वापिस करने के लिए भी लिखा गया है।

3- मैंने रु083-00 वापिस किया। जिस विजिलेन्स इन्सपेक्टर ने मेमो दिया उसी को रुपया वापिस किया।

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

आरोपित रेल कर्मचारी

बचाव सहायक

प्रॉसीक्यूशन विटनेस

जाँच अधिकारी

True copy

गोरखपुर
30-4-1985 पेज नम्बर (7)

बयान श्री के०एस०राठौर, सतनि

========================

हमलोग गोण्डा से बस द्वारा कर्नेलगंज गये । कर्नेलगंज में मालगोदाम में बैठकर पंचनामा बनाया गया। पंचनामा के अनुसार श्री देवी प्रसाद सतर्कता खलासी को 85/- रुपये दिये गये जिसमें एक पचास का नोट एक 20 का नोट, एक पांच का नोट 2 रुपये के तीन नोट और एक के चार नोट थे। कुल पचासी रुपये थे तथा उसको निर्देश दिया गया कि आप कर्नेलगंज से बरौनी के दो टिकट कटाइये आप पहिले बुकिंग आफिस से जाकर किराया पूछिये बुकिंग बाबू के किराया बताने पर उतना पैसा देकर दो टिकट कर्नेलगंज से बरौनी का खरीदिये। श्री देवी प्रसाद को पैसा देने के पहिले उसकी जामा तलाशी हमने ले ली तथा यह निश्चित किया कि उसके पास अपना निजी पैसे नहीं है तब उसको पचासी रुपया जिनका विवरण ऊपर दिया है, दिया । देवी प्रसाद के पीछे श्री हरिशंकर सिंह सतर्कता खलासी को कहा गया कि देवी के पीछे लाइन में खड़े होकर बुकिंग बाबू और देवी प्रसाद के बीच जो बात होगी तथा रुपये का लेन देन देखेंगे। ऐसी आदेशानुसार हरिशंकर सिंह देवी प्रसाद के पीछे खड़ा था। जब टिकट कटा लेंगे तब वो बतायेंगे कि हमने टिकट कटा लिया है ऐसा भी निर्देश दिया गया। तथा हम खिड़की के पास खड़े रहेंगे। टिकट कटाने के बाद जब यह पता लग गया कि देवी प्रसाद ने बुकिंग बाबू को पैसा देकर टिकट खरीद लिया है तो उस के बाद मैं दरवाजे पर गया दरवाजे को बाहर से बजाया क्योंकि अन्दर से दरवाजा बन्द था। मेरे बजाने के थोड़ी देर बाद शुक्ला जी (आरोपित रेल कर्मचारी) आये तथा उन्होंने दरवाजा खोला मैं इनके साथ साथ बुकिंग ट्यूज के पास गया। मेरे पीछे जी०एस०मिश्रा थे मैंने जाकर शुक्ला जी को बताया कि मैं सतर्कता निरीक्षक हूँ आप अपना कैश एक साइड में कर दिजिये और मैंने इनका कैश एक तरफ करा दिया उसके बाद उस कैश का एक मेमो बना दिया श्री शुक्ला जी कैश का मेमो बनाया। और जो कैश मेमो दिया उसमें रुपया 83/- था। श्री शुक्ला जी पीछे खड़े थे शुक्ला जी को कहा गया आपने देवी प्रसाद से कितना पैसा लिया तब शुक्ला जी ने बताया कि मैंने 2 टिकट का 83/- रुपया लिया है तथा कसम खाने लगे और और अपने कपड़े उस वक्त धोती व कुरता पहिने हुए थे को हिलाकर बताया कि मेरे पास और कोई पैसा नहीं है। बलराम तिवारी भी जो खिड़की के पास खड़े थे अन्दर आये शुक्ला जी से कुछ दूर पर जहाँ खड़े थे वहीं पर लम्बा सा टेबुल था उस पर एक चद्दर बिछा हुआ था बलराम तिवारी ने इशारे से कहा कि इसके नीचे पैसा है और शुक्ला जी को कहा गया और उन्होंने चद्दर उठाया उसके नीचे 2 रुपये का एक नोट था जो पंचनामा में नम्बर थे थे उन्हीं में से एक था। उसके बाद में कैश चेक किया गया तथा और किताबें देखी गयी। टिकट कैन्सिल कराया गया पैसा का रिफन्ड लिया गया। पूरी प्रोसीडिंग हमने और श्री जी०एस०मिश्रा ने पूरी की। श्री जी०एस०मिश्रा ने श्री शुक्ला जी से कुछ प्रश्न पूछे जिनका उन्होंने जवाब दिया। जब हम लोग अन्दर गये उस वक्त श्री शुक्ला जी के रिश्तेदार भी अन्दर थे। मेरा बयान समाप्त हुआ।

बचाव सहायक द्वारा पूछे गये प्रश्न (श्री [illegible])

==

1- मुझे यह याद नहीं है कि 83/- रुपये के अतिरिक्त इनका कितना कैश था।

2- बलराम तिवारी, हमलोगों के घुसने के थोड़ी देर बाद बुकिंग आफिस में आये।

3- बुकिंग आफिस का दरवाजा शुक्ला जी ने खोला।

4- मैं देवी प्रसाद और हरिशंकर सिंह से थोड़ा पीछे खड़ा था। हम न शुक्ला जी को देख रहे थे और न शुक्ला जी हमको। हम शुक्ला जी की कोई बात नहीं सुन रहे थे।

5- मैंने शुक्ला जी को रुपया छिपाते नहीं देखा था।

6- बलराम तिवारी ने आकर इशारा किया कि रुपया बिस्तर के नीचे छिपा है। उन्होंने देखा तभी ऐसा इशारा किया कि रुपया बिस्तर के नीचे है।

7- हमको याद है कि श्री जी०एस०मिश्रा ने बिस्तर की तलाशी नहीं ली थी।

8- टिकट कटाने के लगभग 5- मिनट बाद अन्दर आ गये। हमलोगों के पीछे पीछे थोड़ी देर में बलराम तिवारी अन्दर आये।

9- बुकिंग आफिस के अन्दर ही हमलोगों से थोड़ी ही दूर दरवाजे के पास बलराम तिवारी खड़े थे और हम लोगों ने 83/- रुपयों का मेमो बना लिया तब उन्होंने इशारा किया कि इस चद्दर के नीचे पैसा छिपाया है।

[signature] 30/4/85 K. S. Rathore 30/4 [signature] EO

True copy [signature]

गोरखपुर
30-4-1985

पेज नम्बर (8)

10- देवी प्रसाद और हरिशंकर सिंह अपना बयान बाहर से लिखकर के लाये बाद में बुकिंग आफिस में उन दोनों का बयान शुक्ला जी से पढ़ाया गया तथा अपना स्पष्टीकरण देने को कहा गया।

11- एस०एम० और सी०एस० दोनों मौजूद थे। उनके नाम सर्वश्री शारदा प्रसाद एवं जवाद अली है प्रोसीडिंग के दौरान मौजूद थे।

12- प्रश्न :- विजिलेंस इन्सपेक्टर आप और जी०आर०पी० बुकिंग आफिस में कितने बजे घुसे।

उत्तर :- 508 नम्बर की गाड़ी आयी एक दो मिनट रुकी उसके जाने के बाद हमलोग बुकिंग आफिस में गये।

13- 508 जाने के लगभग हमलोग अन्दर गये उसके दो एक मिनट बाद श्री जवाद अली और शारदा प्रसाद आये। इन लोगों को बुलवाया गया था। इसलिए ये लोग आ गये पहिले सी०एस० आये उसके बाद स्टेशन मास्टर आये।

14- आरोपित रेल कर्मचारी के रिश्तेदार जो बुकिंग आफिस में थे मेरी उनसे कोई बात चित नहीं हुई।

15- मुझे यह पता नहीं है कि विजिलेन्स मैनुअल में ऐसा प्राविजन है कि ट्रिकाय केसेज में एक राजपत्रित अधिकारी और उसके अभाव में किसी अन्य विभाग के सीनियर सबार्डिनेट को बुलाया जाता है।

16- आरयूडी एफआईआर पर मेरा दस्तखत है। आरयूडी-10 की सारी बातें मैंने पढ़ी है तब दस्तखत किया है।

17- मैं सही कहता हूँ कि दरवाजा श्री शुक्ला जी ने खोला और उस वक्त उनके रिश्तेदार भी उनके पास ही में खड़े थे इसलिए जहाँ तक मैं जानता हूँ दरवाजा श्री शुक्ला जी ने खोला।

जाँच अधिकारी द्वारा पूछे गये प्रश्न :-
==========================

1- टिकट कटाने के बाद देवी प्रसाद ने इशारा किया तब हम लोग बुकिंग आफिस के अन्दर गये, यह बात पहिले से ही तय थी।

2- जिस टेबुल पर चद्दर बिछा था वह बुकिंग बाबू से करीब एक मीटर की दूरी पर था।

3- ट्रेप केसेज में विजिलेन्स विभाग में ऐसी प्रैक्टिस चल रही है कि नियम के अनुसार कभी कभी गजटेड अफसर या अन्य विभाग के सिनियर सबार्डिनेट रखे रहते हैं और कभी कभी आवश्यकता पर न मिलने के कारण नहीं रखते हैं। लेकिन कार्यवाही पर उनसे दस्तखत नहीं लिया जाता है।

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

आरोपित रेल कर्मचारी

बचाव सहायक | प्रा०जी० इन्सपेक्टर | जाँच अधिकारी

True copy

105

गोरखपुर
18-6-1985

बयान श्री जी0एस0मिश्रा, एक्स सी0वी0आई0, चीफ यार्ड मास्टर मडुआडीह (वर्तमान में)

दिनांक 14-1-84 को मैं सर्वश्री बलराम तिवारी मुख्य सतर्कता निरीक्षक एवं श्री [illegible] के0 एस0 राठोर सतर्कता निरीक्षक के साथ कर्नेलगंज स्टेशन पर करीब 23.00 बजे पहुँचा। विश्वस्त सूत्र से ज्ञात हुआ था कि कर्नेलगंज स्टेशन पर कार्यरत बुकिंग बाबू दूर के स्टेशनों के टिकट के बिक्री पर कई यात्रियों से वास्तविक किराया से कुछ अधिक पैसा निजी लाभ हेतु लेते हैं। इस सत्यता की जाँच के लिए करीब 23-50 बजे एक पंचनामा बनाया गया और उसी के आधार पर श्री देवी प्रसाद सतर्कता खलासी ने कर्नेलगंज से बरौनी जंक्शन का द्वितीय श्रेणी का दो टिकट उसने बुकिंग बाबू के माँगने पर दो टिकट का 85-00 रुपया दिया और बाबू ने उसे 2 टिकट कर्नेलगंज से बरौनी का वास्तविक किराया दो टिकट का कर्नेलगंज से बरौनी का उन दिनों 83/- रुपया था। इस तरह बाबू ने 2/- रुपया अधिक लिया फलस्वरूप ट्यूब का जाँच सतर्कता खलासी द्वारा साक्षात्कार (कनफ्रन्टेशन) कराया गया पूरी कार्यवाही कार्यरत स्टेशन मास्टर कर्नेलगंज की उपस्थिति में जिसकी उनकी गवाही भी किया है। उक्त केस का प्रथम सूचना प्रतिवेदन सतर्कता विभाग में दिया गया। मैं अपना बयान यहीं समाप्त करता हूँ।

बचाव पक्ष द्वारा क्रास एग्जामिनेशन

1- मैं इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग वी0आई0 था।

2- आर0यू0डी0नम्बर -7 जो मेरे समक्ष है अर्थात चेक प्रोफार्मा 15-1-84 को डेढ़ बजे बनाया गया था। मालूम हो रहा है कि इनके गवर्नमेन्ट कैश से चेक प्रोफार्मा के अनुसार 85/- रुपया मिला।

3- 83/- रुपया ट्यूब से मिला और 2/- रुपया एस0पी0एस0श्री शुक्ला के बिस्तर के नीचे से मिला। अर्थात इस 85/- रुपये में 2/- रुपया इनके बिस्तर से मिला हुआ भी शामिल है।

4- प्रश्न :- आपके उपरोक्त बयान से यह स्पष्ट है कि एस0पी0एस0 के काउन्टर से 83/- तीरासी रुपया ही मिला जो कर्नेलगंज से बरौनी का 2 टिकटों का सही किराया था। आप इससे सहमत हैं?

उत्तर :- कर्नेलगंज का द्वितीय श्रेणी का बुकिंग का काउन्टर ऐसा बना है कि जो अन्य कार्यालयों से अलग है दरवाजा बन्द कर देने पर उसमें केवल बुकिंग बाबू ही या उनके द्वारा रखे गये व्यक्ति ही रह सकते हैं लेकिन जहाँ तक पैसे के लेने देन का सवाल है वह सीधे यात्री और बुकिंग बाबू के मध्य ही होता है पैसा लेकर बुकिंग बाबू ट्यूब में भी रख सकते हैं सेफ में रख सकते हैं दराज या अन्य स्थान पर रख सकते हैं। नियम कानून उनको मनुष्य रूप में प्रकट होकर मना नहीं कर सकता जो सब पुस्तकों में लिखित होता है इसलिए बुकिंग बाबू ने 85/- रुपया लेकर 83/- रुपया ट्यूब में रखा और 2/- रुपया बिस्तर के नीचे रख दिया यही सत्य है।

5- मैने एस0पी0एस0 को 85/- रुपया लेते नहीं देखा था।

6- मैने एस0पी0एस0 को 2/- रुपया बिस्तर के नीचे रखते नहीं देखा था।

7- मेरे दोनो खलासी और राठोर वी0आई0 ने भी नहीं बताया कि 2/- रुपये बिस्तर के नीचे रखा गया है।

8- खलासियों ने एस0पी0एस0 द्वारा 85/- रुपया लेना जब बताया तब दरवाजा खुलवाया।

9- देवी प्रसाद खलासी ने बताया।

10- हरिशंकर उसी के पीछे पीछे आ रहा था।

11- जैसे ही बताया हमलोग बुकिंग आफिस के दरवाजे पर चले आये और दरवाजा मैने खटखटाया और दरवाजा कुछ देर बाद खुला।

12- मैं भीतर गया राठोर साहब दरवाजे (खुले दरवाजे) पर खड़े रहे और बलराम तिवारी खिड़की पर खड़े रहे।

13- जब हमलोग अन्दर आये तो एस0पी0एस0 ने अपनी तलाशी अपने मन से दी और अपना दराज वगैरह दिखलाया।

RON
8/6/85

[signature] 18/6

True copy
Attested

Before Central Administrative Tribunal Alld.
Geo Shankar Shukla ---- Applicant
vs
Union of India & others --- Respondents
Annexure

45

गोरखपुर
18-6-1985

पेज नम्बर (10)

इसके बाद बलराम तिवारी ने बुकिंग खिड़की के बाहर से कहा कि बुकिंग बाबू आरोपित रेल कर्मचारी आप अपना बिस्तर भी समेट कर तलाशी दे दिजिये। अनाकानी के बाद बुकिंग बाबू ने बिस्तर लपेटा तब उसके नीचे से 2/- रुपये को नोट मिली जिसका नम्बर पंचनामें के नम्बर से मिल रहा था।

14- केवल खुले दरवाजे पर राठौर थे, ट्यूब के पास मैं अकेला था बलराम मुसतानि बुकिंग खिड़की पर थे और खलासी बाहर थे। कमरे के अन्दर उस समय ए०एस०एम० आन ड्यूटी श्री शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और शुक्ला जी एस०पी०एस० के कोई रिश्तेदार थे।

15- प्रश्न:- आपके उपरोक्त बयान से स्पष्ट होता है कि बिस्तर को एस०पी०एस० ने लपेटा क्या आप लोगों ने इस इतनी बड़ी धटना के लिए कोई लिखित प्रोसीडिंग नहीं दा किया कि एस०पी०एस० ने ही बिस्तर को लपेटा और उस पर दो निष्पक्ष गवाहों का कथन भी ले लिये होतेतो क्या बुरा होता।

उत्तर:- परिस्थितियाँ स्वंय स्पष्ट कर रही है कि वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी कोई भी स्वतंत्र गवाह उपस्थित नहीं था। उपस्थित व्यक्तियों में श्री शुक्ला जी एस०पी०एस०, उन्होंने अपने बयान में जो कुछ उस दिन लिखा या कहा था वह आपके समक्ष उपस्थित है कोई भी व्यक्ति अपनी गल्तियों को स्पष्ट रूप में स्वीकार नहीं कर सकता फिर भी धटना क्रम वास्तविक रूप में स्वीकार की जा चुकी थी कि बिस्तर के नीचे से दो रुपये की नोट मिली थी अत: उनकी गवाही लेना या न लेना उनके बयान से ही एक रास्ता देती है। दूसरे उपस्थित व्यक्ति उनके रिश्तेदार थे जो किसी भी सुरत में उनके विरुद्ध गवाही नहीं देते न तो सत्य बात ही लिखते और वे कहे कि उनका इस धटना से कोई सम्बन्ध नहीं है। तीसरा पक्ष आता है उपस्थित सतर्कता निरीक्षकों के जिसमें सभी लोगों ने एक मत से गवाही दी है और वह प्रमाण प्रथम सूचना प्रतिवेदन के रूप में आपके समक्ष उपस्थित है। बचे आर्यरत स्टेशन मास्टर श्री शारदा प्रसाद उन्होंने भी धटना क्रम की सत्यता की गवाही दिया ही है। इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं था।कि किसी निष्पक्ष साक्षी की गवाही लिया जाता। निष्पक्ष साक्षी की आवश्यकता या उसकी अनुभूति का अनुभव तब होता जब कि पहिले से बता दिया जाता कि 2 की नोट बिस्तर के नीचे छिपाई जायेगी और उसकी गवाही के लिए दो निष्पक्ष साक्षियों को अर्धरात्रि की शून्य बेला में जगाकर बुलाया जाता। इन्हीं उपरोक्त कारण से जितनी कार्यवाही सम्पादित की गई सब अपने आप में परिपूर्ण थी।

16- ~~दरवाजा~~ दरवाजा श्री शुक्ला जी ने खोला था।

17- हमारे धुसने के लगभग आधा मिनट बाद अर्थात मेरे ट्यूब पर पहुँचने के समय श्री शारदा प्रसाद स्टेशन मास्टर आये। यह मुझे याद नहीं कि जुब्वाद आये कितनी देर ~~बाद~~ बाद आये लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वह कुछ देर बाद आये।

18- खलासी अन्दर आये ही नहीं केवल वनफ्रन्टेशन के लिए जब बुलाया गया तब आये वास्तविक समय मुझे याद नहीं।

19- बिस्तर के नीचे ~~स~~ 2/- रुपया होने के बारे में श्री बलराम तिवारी ने टिकट बि वाली खिड़की से टिकट कटाने के ~~बाद~~ लगभग 5 मिनट बाद कहा

~~20~~ जाँच अधिकारी द्वारा पूछे गये प्रश्न :-
===================================

1- एस०पी०एस० का बिस्तर बड़े वाले टेबुल पर था जो एल०सेव का था और ट्यूब से करीब 5 फीट दूर था।

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

आरोपित रेल कर्मचारी

बचाव सहायक

अभियोजन पक्ष के गवाह 18/6/85

जाँच अधिकारी

True copy

In the Hon'ble Central Administrative Tribunal Allahabad 47.

ब अदालत श्रीमान ________________ महोदय

वादी (मुदई)
प्रतिवादी (मुदाअलेह) का **वकालतनामा**

Shiv Shanker Shukla — Petitioner / Applicant
vs
Union of India & ors ~~D. R. M.~~ Commercial & ors — ~~Ops~~ Respondent

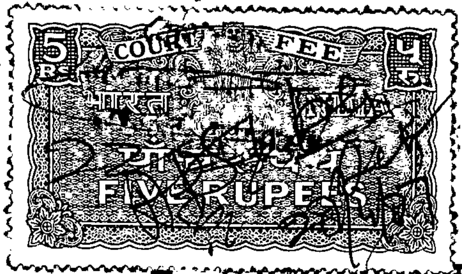

वादी (मुदई)

बनाम

प्रतिवादी (मुदालेह)

नं० मुकद्दमा सन् १९ पेशी की ता० १९ ई०

ऊपर लिखे मुकद्दमा में अपनी ओर से श्री

एडवोकेट
A P Shukla Advocate C 935 Indira Nagar Lucknow महोदय
वकील

को अपना वकील नियुक्त करके प्रतिज्ञा (इकरार) करता हूँ और लिखे देता हूँ इस मुकद्दमा में वकील महोदय स्वयं अथवा अन्य वकील द्वारा जो कुछ पैरवी व जवाबदेही व प्रश्नोत्तर करें या अन्य कोई कागज दाखिल करें या लौटावें या हमारी ओर से डिगरी जारी करावें और रुपया वसूल करें वा सुलहनामा या इकबाल दावा तथा अपील व निगरानी हमारी ओर से हमारे या अपने हस्ताक्षर से दाखिल करें और तसदीक करें या मुकद्दमा उठावें या कोई रुपया जमा करें या हमारी या विपक्ष (फरीकसानी) का दाखिल किया रुपया अपने या हमारे हस्ताक्षर-युक्त (दस्तखती) रसीद से लेवें या पंच नियुक्त करे - वकील महोदय द्वारा की गई वह कार्यवाही हमको सर्वथा स्वीकार है और होगी मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि मैं हर पेशी स्वयं या किसी अपने पैरोकार को भेजता रहूँगा अगर मुकद्दमा अदम पैरवी में एक तरफा मेरे खिलाफ फैसला हो जाता है उसकी जिम्मेदारी मेरी वकील पर न होगी । इसलिए यह वकालतनामा लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे ।

Accepted
A P Shukla
Adv

नाम अदालत ....
नं० मुकद्दमा ....
नाम फरीकैन ....

हस्ताक्षर शिवशंकर शुक्ल

साक्षी (गवाह).......... साक्षी (गवाह)..........

दिनांक.......... महीना.......... सन्..........

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL ALLAHABAD BENCH.

Reg. No. 440/87

Shri Sheo Shankar Shukla ... App.

V/s

Union of India and others ... Resp.

Written reply on behalf of Respondents ~~no. (ii)~~ ~~and (v)~~:-

Para 1. That I am presently posted as Divl. Commercial Supdt., N.E.Railway, Lucknow and has been authorised on behalf of respondents No. (iii), (iv) and (vi). I have carefully perused the relevant records relating to the ~~distant~~ instant case and is thus fully acquainted with the facts deposed to below:-

2. That I have carefully gone through and understood the contents of the application filed by the applicant under Sec. 19 of Act No. 13 of 1985 along-with Annexures.

3. Para (1), (2) and (3) of the application are ~~a are~~ admitted except that orders shown against para 3(E)(iii) no order No. LD/SS-C/Vig/37/84 dt. 27.10.86 (Ann. V to the application) was passed by DRM/N.E.Rly. Lucknow. In fact the orders were passed by the Chief Comml. Supdt., ~~which were passed by the Chief Comml. Supdt.,~~ which were communicated to the applicant vide letter dated 27.10.86 by the DRM(Comml)/LJN.

4. That para 4 of the application is not disputed.

......2

मण्डल वाणिज्य अधीक्षक
पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ

5. That in reply to paragraph 5 of the application it is stated that the instant application is not within the limitation prescribed under Sec. 21 of Act No. 13 of 1985. The application has not been filed within time and it is liable to be dismissed on this score alone being time barred.

6. That in reply to para 6(i) of the application it is stated that the applicant was appointed as Porter a Class IV post in the year 1957. It is denied that he was doing his duties to the satisfaction of his superiors. His record of service shows that his services were not satisfactory. He has been awarded punishment of Censure - 5 times, withholding of increments 11 times and withholding of passes for 2 times. An extract of punishment recorded in Service Card 'B' of the applicant is enclosed as Annexure A/1.

7. That the contents of para 6(2) are admitted except that the applicant charged Rs. 83.00 for two tickets. In fact he charged Rs. 85.00 that is Rs- 2.00 excess to the prescribed fare for the tickets ex-Colonelganj to Barauni Jn.

8. That the contents of para 6(3) are admitted.

9. That the contents of para 6(4) are admitted.

10. That the contents of para 6(5) are admitted except that there was only one relative of the applicant in the Booking office and not two as stated in the para under reply.

.......3

मण्डल वाणिज्य अधीक्षक
पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ

11. That the contents of para 6(6) ~~is~~ are admitted.

12. That the contents of para 6(7) are admitted. The two rupees note was recovered hidden under the Chaddar of the applicant kept near by his seat. The evidence of Sri Balram Tiwari, CVI P.W. could not be recorded as he did not attend the enquiry fixed on various dates - that is on 27.3.85, 28..3.85, 30.4.85 7.5.85, 8.5.85, 17.6.85, 18.6.85. However, the other witnesses associated in the search corroborated the facts of recovery of two rupee Note hidden under the chaddar of the applicant.

13. That the contents of para 6-8 ~~is~~ are not admitted as stated. The evidence of Shri K.S. Rathore V.I and some other witnesses proves recovery of two rupee Note under the chaddar of the applicant.

14. That the contents of para 6-9 are admitted except that Shri M.L. Srivastava belongs and works under the control of Vigilance Officer. Shri M.L. Srivastava was Enquiry Officer in the instant case who conducted the enquiry independently and impartialy. He belonged to the cadre of Personnel Branch and was posted to work as E.I (DA) by the Personnel Officer and the nomination to conduct the instant enquiry was done by the DCS/LJN.

15. That the contents of para 6.10 are denied. Shri M.L. Srivastava E.I/DA/Goraknpur appointed under Rule 9(2) DAR-1968 held the DAR Enquiry, into the charges framed against the applicant by the Disciplinary Authority- that is DCS/N.E.Rly.Lucknow vide a letter No. LD/SS-Vig 37/84 dt. 8.2.1985. The function of Enquiry Officer is independent and impartial. Statement contrary to it are denied.

......4

मण्डल वाणिज्य अधीक्षक
पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ

16. That the contents of para 6.11 are emphatically denied. The allegations are false and without any basis. It is denied that any written statement dated 20.9.84 of the applicant was lying with the disciplinary authority. The applicant has twisted the facts to suit his case.

17. That the contents of para 6.12 of the application are denied except the fact that the applicant did not submit his written statement to the disciplinary authority in his defence. The prosecution case was closed on 18.6.85 and thereafter the applicant submitted his written statement on 24.6.85. The findings and orders of the Divl.Commercial Supdt. N.E.Railway Lucknow (Disciplinary authority) are legal and valid. Statements contrary to it are denied.

18. That the contents of para 6.13 are emphatically denied. It is submitted that during the course of a surprise check conducted by a team of Vigilance Inspectors in the mid night of 14/15.1.84 at Colonelganj Railway station, the applicant demanded and realised Rs. 85.00 against the correct fare of Rs. 83.00 only on the sale of 2 second class tickets ex-Colonelganj to Barauni Jn. from one Shri Devi Prasad, Vigilance decoy who was accompanied by another Khalasi Shri Hari Shankar Singh to listen the conversation and transanction of sale of tickets and money between him and the Booking Clerk. (The applicant). They were further followed by Vigilance Inspectors Shri G.S. Misra, Shri K.S.Rathore and Shri Balram Tiwari. After the enquiry under DAR-1968, it has been fully established that the applicant had realised Rs. 2.00 excess for his personal gain out of sale of 2 IInd class

मण्डल वाणिज्य अधीक्षक
पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ

tickets. Allegations to the contrary are not admitted.

19. That the contents of para 6.14 of the application are not admitted as stated. The Enquiry Officer submitted his report not on any conjuncture as alleged in para under reply but after perusal of all evidences and records before him and after evaluation of the same. The Enquiry report itself proves that subject matter was fully investigated, statements of P.Ws were recorde and defence statement and cross examination was completed keeping in view the nature of charge against the applicant. Any allegations to the contrary are not admitted and are denied.

20. That the contents of paragraph 6.15 of the application are not admitted and are denied. In reply thereof it i stated that the Enquiry Officer in his Report under para 5.02 has thoroughly examined the point under issu and after examining the written evidences before him came to the definite conclusion that the applicant had realised rupees two in excess on the sale of the ticke and had hidden the Rs. 2.00 Note under his chaddar.

21. That the contents of para 6.16 of the application are not admitted and are emphatically denied. A perusal o item 15 of page No.10 of Annexure No. 6 to the appli tion would reveal that Shri G.S. Mishra C.V.I on his cross examination by the Defence Counsel did not depo under item 15 of ROP 10 as alleged by the applicant rather he coroborated the facts of realisation of Rs. 2/- in excess by the applicant on the sale of tw tickets in question and its recovery under the chad of the applicant nearby his seat in the booking of

मण्डल ... अधीक्षक
पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ

(8)

22. That the contents of para 6.17 of the application are emphatically denied. The Enquiry Officer after holding detailed enquiry and giving reasonable opportunity to the applicant to defend his case and considering the entire evidences brought on the record has recorded his findings which were occepted by the disciplinary authority. It is wrong to allege that the enquiry report of E.I/DA is perverse in any manner. The excess charging of Rs. 2/- by the applicant has been clearly proved and any statement contrary to it are denied.

23. That the contents of para 6.18 of the application are admitted. The Enquiry Officer has rightly stated that there is no evidence before him to show that the two rupee note recovered under the chaddar of the applicant was hidden by some member of the Vigilance present at the station at that time. Rather, from evidence on record, the Enquiry Officer came to the conclusion that there was no question of hiding Rs. 2/- by the Vigilance Party.

24. That the contents of paragraph 6.19 of the application are denied. It has been found on the basis of evidence that the applicant had sensed the trap and had hidden the Two Rupee Note which was recovered by the Vigilance party.

25. That the contents of paragraph 6.20 of the application are denied as stated. The applicant has himself stated in his statement before Enquiry Officer that one of his relative who had come from his village was sitting in side the booking office and he left ~~his~~ Booking Office immediately on arrival of Vigilance party. Statement contrary to it is denied.

........7

मण्डल ... अधीक्षक
पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ

(27)

26. That in reply to para 6.21 of the application, it is admitted that Shri Balram Tiwari V.I. who was standing at the window had seen the applicant hiding of rupee two note under his bed sheet. Rest of the contents of the para under reply are emphatically denied.

27. That the contents of paragraph 6.22 of the application are denied being after thought.

28. That the contents of paragraph 6.23 of the application are denied. It is admitted that respondent No. 2 who is the disciplinary authority has passed the orders independently after considering the entire facts and evidence on record.

29. That the contents of paragraph 6.24 of the application need no reply.

30. That the contents of paragraph 6.25 of the application are emphatically denied. The orders of Divl. Commercial Supdt. are legal, valid and based on facts and evidence on record. The services of the applicant had never been satisfactory as mentioned in para 4 of this reply.

31. That the facts mentioned im paragraph 6.26 and 6.27 are not admitted being after thought and based on conjectures.

32. That the contents of paragraph 7.1 and 8.1 are not dispute

33. That the contents of paragraph 9.1, 9.2, 9.3 and 9.4 are denied. The applicant is not entitled for any relief claimed and the application is liable to be dismissed.

मण्डल वाणिज्य अधीक्षक
पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ

......8

34. That the contents of paragraph 10, 11, 12 and 13 of the application need no reply.

I, O.P. Gupta s/o. Shri Ram Bhajan Gupta Aged about 52 yrs R/o 57 D Bandaria Bagh, Rly. Colony Lucknow do hereby verify that the contents of para 1 and 2 of this reply are true to my personal knowledge and those of para 3 to 32 are based on records which are believed to be true and those of para 33 and ~~33~~ 24 are based on legal advice. No part of it is false and nothing material has been concealed in it.

Place: SIGNATURE.

Date:

मण्डल वाणिज्य अधीक्षक
पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ

Verified before me this...... day of September'87.

19/10/87
counsel for respondent

(9)

Before the Central Administrative Tribunal Allahabad Bench

Reg. No. 440/87

Shri Sheo Shankar Shukla ... App.

V/s

Union of India and others ... Resp.

Annexure No. A/1

Copy of punishment recorded in 'B' Card of Sri S.S.Shukla, Ex-Sr.BC/CLJ.

.....

1.	CEN	vide No.TD/61/BNZ dt.29.12.60		By APO/LJN
2.	WIP	0-3-0	No.TD/61/CS/62/23 Dated 18.5.62.	-do-
3.	WIT	0-6-0	No.E/S/1810/PM Dated 26.9.62	-do-
4.	CEN	vide	No.C/82/11/218/65 dated 15.1.66	-do-
5.	CEN	vide	No.C/82/11/9/66 Hd. dated 18.11.66	-do-
6.	WIT	3 months vide NIP No.C/65/Minor 66 dated 22.8.67.		-do-
7.	WIT	6 months vide NIP No.C/82/1/158/67 dt. 7-10-67		-do-
8.	WIT	0-6-0	(Six months) vide NIP No. C/82/I/127/71(11) dt.8.12.71	By A
9.	WIT	three (3)Months vide NIP No.C/431/1-DCS/STP/72 dt.5.8.72		-do
10.	WIT	One Year NIP No.C/82/I/20/73 Dated 28.2.73.		By
11.	WIT	3 months vide No.T/61/Memo/269/73 Dated 15.8.73.		
12.	WIT	3 months T/61/Memo/255/73 Dated 16.8.73.		
13.	CEN	vide NIP No.C/406/STP/74 Dated 29.10.75		
14.	CEN	vide No.T/61/Memo/420/77 Dated 2.8.77.		

मण्डल ... य अधीक्षक
पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ

15. WIT 6 months NIPNo.C/82/I/232/83 Dated 20.1.84. — By DCS/LJN

(10)

16. WIT 6 months vide NIP No.C/8/TIA/CLJ/6/84 dated 24.4.85. — -do-

17. WIT 6 months vide NIP No.LD/SS-C/vig/75/84 dated 24.4.85. — -do-

18. WIP Two Years vide NIP No.C/431/CLJ/82 dated 11.4.85. — By DCS/LJN.

19. Removed from service by DCS/LJN vide NIP No.LD/SS-C/vig./37/84 dt.25.9.1985 in a Vigilance case of excess charging on ticket while working as BC at CLJ. — -do-

----

मण्डल वाणिज्य अधीक्षक
पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL ALLAHABAD
BENCH ALLAHABAD.

APPLICATION REGISTRATION NO.440 of 1987.

Sheo Shankar Shukla . . . . Applicant.

Versus.

Union of India and others . . . .Respondents.

Rejoinder Written Reply on behalf of Applicant: Sheo Shankar Shukla .

I, Sheo Shankar Shukla son of Nageshwar Shukla aged about 52 years resident of Mokalpur Madh N-agar Post Office Mokalpur Distric-t Gonda is the ap-pli-cant and pairokar in the above noted case as such I am fully conversant with the facts and circumstances of the case.

1- That the reply submitted by r-espondent No.II and on behalf of of the respond-ents No.III, IV and VI have been read by me and I unders-tood the conte-n-ts of the same.

2- That in reply to the conntents of para 1 of the r-eply submitted on behalf of Respondent harein after refered to as 'Reply'. It is stated that the applicant has no knowledge regarding author isation as all eged in the para under reply, no suc-h contents has been filed in support thereof.

3. That paragraph 2 of the reply needs no comments.

4. That paragraph 3(1)(2) and (3) need no comments para 3(E)(III) of the application are reiterated.

5. That paragraph 4 of the reply needs no comment.

6. That paragraph 5 of the reply are denied as it is stated. The application was filed within prescribed limitation and paragraph 5 of the application are reiterated.

7. That the contents of paragraph 6 of the counter reply are denied as stated while those contents of paragraph 6(1) are reiterated. It appears that the disciplinary authority was giving vias mind as he took into consideration of the entire record of service about which neither the applicant was ever informed nor was placed as record enabling the applicant to rebut the same resulting in grave transgression of fair play equity and natural justice. Moreover the contents of the para under reply are misleaded and irrelevant so far obviously it smacs the malafide mind of the respondents who had already made up their mind to punish the applicant by considering his post record. When it has been considered the applicant

खावेन्द्र(?)

was promoted from the post of porter, thereafter booking clerk then Senior Booking Clerk it is very much overt that the conduct of the applicant was found above the mark and was found suitable to be promoted to the higher post. It is well settled concept of law that once a pe-rson is given promotion the ~~state~~ stale record stood wipped off and therefore the same cannot be used as a foundation to punish the applicant.

8. That paragraph 7 of the counter re-ply is denied the fare for two tickets were aske d by the applicant from Colonelganj to Barauni junction and the applicant charged only Rs.83/- for the tickets.

9. That in reply to para 8 of the counter-reply it is to say that the applicant charged only Rs.83/-. The respondents admitted there allegation in the counter-reply paragraph 6(III) of the application is reiterated.

10. That in reply of paragraph 9 of the counter-reply it is to say that the applicant charged only Rs.83/-. The respondents admitted their own allegation which is written in the applicion paragraph 6.4 of the application are reiterated.

11. That in reply to paragraph 10 of the counter reply it is say that there were two of the

सत्यापित ३५७

applicant's relative inside. The respondents admitted their allegation in the counter-reply, Paragraph 6(5) of the application are reiterated.

12. That in reply to para 11 of the counter reply it is to say that paragraph 6.6 of the application are reiterated.

13. That paragraph 12 of the counter reply are denied as stated paragraph 6(7) of the application are reiterated.

14. That paragraph 13 of the counter reply are denied as stated paragraph 6.8 of the application are reiterated.

15. That paragraph 14 of the counter reply are denied as it is stated paragraph 6.9 of the application are reiterated. Mr. M.L.Srivastava the Enquiry Officer was personal Inspect-or Traffic before conducting the enquiry. It is true that the enquiry Officer Mr. M.L.Srivastava was working under Vigilence Officer.

16. That paragraph 15 of the counter reply are denied and paragraph 6.10 of the application are reiter-ated. The Enquiry of the applicant's case was co nducted by perso nal Inspector while enquiry order was passed by D.C.S. the ~~xxx~~ enquiry should be conducted by D.C.I or A.C.S. Not by

enquiry Inspector Vigilence and Mr. M.L. Srivastava wasof the same rank as Vigilence Inspector Mr.K.S. Rathor-e and Mr.Balram Tewari and Mr. G.S.Misra are Senior to Mr. M.L.Srivastava who conducted the enquiry and Mr. M.L.Srivastava was not fair in thi-s regard.

17. That paragraph 16 of the counter reply are de nied and paragraph 6.11 of the application are reiterated.

18. That patagraph 17 of the counter reply is d-enied and paragraph 6.12 of the application are reiterated.

191 That paragraph 18 of the counter-reply are denied and paragraph 6.13 of the application are reiterated. The alleged story is not proper as stated that Vigilence Inspector gave Rs.85/- to Vigilence Khalasi Devi Prasad and Rs.85/- were asked by the applicant. I t looks like a preplanned case t he applicant has completed his duty hours from 4 P.M. to 12 at night and he was doing the duty of his releaver who did not come on his duty. The ap plicant charged only Rs.83/- it is no where said t hat any body has seen the applicant hiding the tw o Rupees note paragraph 18 of the counter-reply is e mphatically denied.

प्रतिवादी गुप्ता

20.

20. That paragraph 19of the counter reply are denied as it is stat ed. Paragraph 6.14 of the application are reite rated. The enquiry Officer has admitted on page 10 o f the chagge-sheet that his conclusions based on his opinion and xxgx conjecture. As he has stated that the applicant knew that there is some thing black in the bottom.

21. That the contents of paragraph 19 of the counter-reply are denied. The cited witness Balram Tewari who has been said that he has seen the applicant hiding the Rs.2/- note has not given any eviden ce. No one has seen the applicant's to hiding the Rs. two note under his Chaddar. Paragtaph 6.15 of the application are reiterated and even at the time of incident Mr. Balram Tewari has not given any statement regarding hiding of Rs.2/- not e.

22. That the contents of paragraph 21 of the counte-r reply are denied. As it is stated in counter-reply that item 15 of page 10 of Annexure No.6. Sri G.S.Misra was silent on the question of independent witness. He has said that there was no ind-ependent witness. It was case of a Railway Station where many of the passengers ge t shelter and a number of Railway Staff such as Station Master Coach Supervisor and same other IVth Class employees are always present. How for it is justify

शिवशंकर शुक्ला

to say that there was no independent witness. It was a conspipiracy against the applicant. The applicant neither has told fare for two tickets Rs.85/ - nor he charged the said amount. The applicant told the fare Rs.83/- and he has charged Rs.83/-. It is false that the applicant took Rs.2/- excess.

23. That the contents of paragraph 22 of the counter-rep ly are denied and paagraph 6.17 of the applicatio n, are reiterated. The whole story of the case is condocted.

24. That the conten ts of paragraph 23 of the counte-r reply are denied as it is stated that there is no evidence that the two rupees note was hidden by any me-mber of the team. How Enquiry Officer says that the applica nt had hidden the two rupees note, while it is said by P.W. Hari Shankar Singh that t he applicant immediately opened the door. He further said that P.W. Devi Prasad and P.W. Hari Shankar Si ngh both were stood at the window when the door was knocked the applicant left his seat. It is no where said that applicant had hidden the two ruppes note. Paragraph 6.18 of the application are reiterated.

25. That paragraph 24 of the counter-reply are denied and paragraph 6.19 of the application are reiterated. It is said in the counter-reply that the applicant had sensed of the trap party so that

hidden th e t wo rupees n ote. It is totally denied while the applic a nts relations w ere sitting in side the booking office he w ould have given that two ruppes. note if he had sense or it he had taken. It is totally false to say that the applicant had sensed about the vigilence party.

26. That the contne ts of paragraph 25 of the counter-reply are denied as stated. Paragraph 6.20 of th e application are reiterated. However it is said that the applicant's relative who went out ju st after the vigilence party entered in the booking office. The applicant had not taken the two ruppees excess it is totally false hence denied.

27. That in reply to the contents of paragraph 26 of the counter-reply it is to say that Balram Tewari Vigilence Inspector and two Viglience Khalasi namely Devi Prasad and Hari Shankar Singh all three were standing on the window. How Balram Twa Tewari saw the applicant hiding the two rupees and why not those two vigilence Khalasi. While they were standing just near the window. It is very much doubtful that Balram Tewari C.V.I. has seen the applic ant hiding the two rupees note but he has not given his evidence before enquiry officer nor any statement. It is a false case vigilence party were justifying these trap by falsely implicating an innocdnt person like a police person.

28. That in reply of paragraph 27 of the counter-reply it is to say that when Balram Tewari has seen the applicant as alleged that he has hidden two rupees note he must have asked to station staff for evidence and to witness the happening. Nothing was done procedural and any member of the team did the shameful work while the applicant has also not seen that who had hidden two rupees note while there were many persons inside the booking office when the said confrontation arose paragraph 6.22 of the application are reiterated.

29. That the contents of paragraph 28 of the counter reply are denied. Disciplinary Authority has signed the prepared cyclostyle order and send it to the applicant. The decision to pass such order is not independent order neither on facts nor on evidences.

30. That the contents of paragraph 29 of the counter-reply needs not comment.

31. That the contents of paragraph 30 of the counter reply are denied and paragraph 6.25 of the application are reiterated the learned D.C.S. has already shown his bias mind that he was prejudice and categrise the punishment in A1 of the counter reply.

32- That the contents of paragraph 31 of the

counter reply aredenied and paragraph 6.26 and 6.27 of the application are reiterated.

It is to say that the said Panchamama which is said that it was prepared in Malgodown Colonelganj may have been prepared same where else after the said incident. It cannot be said because there was not any public witness and the Station Staff. P.W. Shqrda Prasad , A.S.M. and Coaching Superviser Jawwad Ali has said that they both have not seen the applicant neither taking the rupees two nor hiding. Even the Panchanama was not pr epared in his presence ~~also~~ too. It is the self prepared s tory of the Viglience Staff.

33. That the contents of paragraph 32 of the counter reply need no comments.

34. That the contents of paragraph 33 of the counter reply are denied and paragraph 9.1, 9.2, 9.3 and 9.4. are reiterated. The removal of applicant from his services are illegal, arbitrary and whimical and liable to be quashed and the applicant may be reinstated in service and this Hon'ble Court may quash all the consequential orders passed by respondent No.3,4, 5 and 6.

35. That the contents of paragraph 34 of the counter reply need no comments.

VERIFICATION.

I, Sheo Shankar Shukla son of Sri Nageshwar

Shukla aged about 52 years resident of village Mokalpur Madh Nagar Post Office Mokalpur District Gonda do hereby verify that the contents of paragraph 1 & 2 of the Rejoinder written reply are true to my personal knowledge; those of paragraphs nil of the Rejoinder written reply are based on information derived from the perusal of relevant papers on rdcord and those of paragraphs 3 to 39 of the Rejoinder written reply are based on legal advice; No partof it is false and nothing materialhas been concealed in it

(Applicant).

Place: Allahabad.

Date: 2/11/87

Verificationbefore me

(A.P.Shukla)
Advocate.
Counsel for the Applicant.

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

REGISTRATION O.A. NO. 440 OF 1987

Sheo Shanker Shukla .... Applicant

VERSUS

Union of India and others ..... Respondents

SUPPLEMENTARY APPLICATION

The applicant named above most respectfully submits as under:-

1) That the above noted application has been filed challenging the validity of the impugned order of removal from service. During the preparation of the case it was noticed that some vital documents have been left to be filed inadvertently which are needed to be brought before the Hon'ble Tribunal for the sake of ends of justice. Hence the instant supplementaryapplication is being filed which may kindly be taken on record.

2. That while serving as Senior Booking Clerk as a Class III or Group 'C' Railway Servant the applicant was served witha ~~sh~~ chargesheetdated 25.5.1984 issued under the signatures and seal of the Divisional Commercial Superintendent, Lucknow who has subsequntly imposed the punishment of removal from service on the ~~petitioner~~ applicant. It is

most respectfully submitted that the Divisional Commercial Superintendent is neither a disciplinary authority nor an appointing authority under the provisions of Railway Servant (Discipline and Appeal) Rules 1968 (hereinafter referred to as 1968 Rules), read with para 134 of Indian Railway Establishment Code Vol. I 1971 edition or para 215 of Indian Railway Establishment Code Vol. I 1985 edition. As such the Divisional Commercial Superintendent is wholly incompetent and without jurisdiction to institute the disciplinary proceedings and impose the punishment of removal from serviceupon the applicant. ~~The~~ Thus the impugned order is wholly without jurisdiction, null and void in the eye of law. A true copy of the charge-sheet dated 25.5.1984 is being filed herewith as

ANNEXURE-S1 Annexure-S1 to this Supplementary Application.

3. That it is further submited that Rule 3 (1)(i)(ii) of the Railway Servant Conduct Rule 1966, violation of which has been alleged by the Respondents, is vague and hence the Petitioner cannot be held responsible for violation thereof. The applicant has committed no misconduct in the eye of law.

4. That the statement of ~~allegations~~ imputations has been supplied as part of the chargesheet contained in Annexure-S1 to this Supplementary Application. Article III of it indicates that the allegations have been raised on the basis of some Panchnama

dated 14.1.1984 allegedly prepared in Conelganj's Malgodam ~~on~~ at 23.30 hours. A true copy of this Panchnama is being filed herewith as Annexure-S2 to this Supplementary Application.

ANNEXURE-S2

5. That it is apparent from the aforesaid Panchnama (Annexure-S2) that on receiving some information through the reliable sources a trap ~~has been~~ plan was prepared. According to which the Vigilance Squad instructed Sri Devi Prasad, Vigilance Khalasi to purchase a ticket of Barauni Jn. from the Booking Window, Railway Station, Colonelganj, but before purchasing the said ticket the fare for one ticket of Barauni Jn. would be asked from the booking clerk. For this purpose the said Devi Prasad was handed over Rs.85/- only of different denominations while the exact fare for two tickets of Barauni Jn. IInd Class Express Train was Rs.83/-

6. That the said Sri Devi Prasad was searched by Sri K.S. Rathore, Vigilance Inspector to ensure that nothing was left with him except the said Rs. 85/-. However the other Khalasi accompanying Sri Devi Prasad was not searched. The said SriDevi Prasad was not instructed about the Train, and Class of compartment for ~~was~~ which the tickets were to be purchased.

7. That thereafter when the applicant declind to concede the allegatios, one Sri R.C.Srivastava was appointed as Enquiry Officer vide order dated

22.10.1984. Sri R.C. Srivastava, however, did not conduct any enquiry and transferred to higher post on promotion. Subsequently Sri M.L.Srivastava who had stepped in the shoes of Sri R.C. Srivastava started the enquiry proceedings without being appointed as Enquiry Officer by the disciplinary authority. A true copy of the order dated 22.10.84 appointing Sri R.C. Srivastava as Enquiry Officer

ANNEXURE-S3 is being filed herewith as Annexure-S3 to this supplementary Application.

8. That it is worthwhile to mention that the facts finding enquiry was made bythe higher officers of the Vigilance Department while the status of the Enquiry Officer was not only much lower ~~to~~ the Enquiry Officer but he was also underthe grips and pressure of the authorities of the Vigilance Department.

9. That under the pressure of the Vigilance Department the Enquiry Officer presumed all the allegations ~~were~~ against the applicant to be proved and eatablished and hence the said allegations were never proved by the prosecution before the enguiry officer in presence of the applicant. On the other hand the ~~petiti~~ applicant was asked to disprove the allegations levelled against him. The findings of the Enquiry Officer are based on no material.

10. That the applicant was asked to nominate ~~his~~ his defence helper vide leter dated 8.2.1985, a

true copy of which is being filed herewith as Annexure-S4 to this Supplemmatary Application. This letter was issued by Sri M.L.Srivastava in the capacity of Enquiry Officer and not by Sri R.C. Srivastava ~~in~~ who was duly appointed by the authorities as Enquiry Officer.

11. That it is worthwhile to mention here that Sarvasri Balram Tewari, G.S. Misra and K.S.Rathore, the members of the Vigilance squad had also lodged a F.I.R. with the Vigilance narrating theentire storyin which the applicant was depicted as guilty of receiving Rs. 2/- as extra fare for the two ticketsfor Barauni Jn. from Colonelganj. In this report it has been stated that on checking and counting the Government cash only Rs. 83/- were found there. But subsequently one of the members of the Vigilance Squad Sri Balram Tewari pointed out that he had seen the applicant hiding Rs.2/- under a bedsheet spread over the table and then, it has been alleged, the said Rs.2/- was found from there. The applicant respectfully submits that during a long time search in the booking office, the applicant was neither informed about the recovery of Rs.2/- nor the said recovery was made before the applicant, but subsequently it was alleged that Rs.2/- note was found below the bedsheet on pointing out by Balram Tewari who was present there all throughout but he did not point out earlier. It has also been alleged that Sri Tewari

saw the applicant hiding the said Rs.2/- note but Sri Tewari was never made available to the applicant for the purpose of cross examination nor the prosecution produced him before the Enquiry Officer inspite of demand made by the applicant. A true copy of the aforesaid report is being filed herewith as Annexure-S5 to this Supplementary Application.

ANNEXURE-S5

12. That there is absolutely no material or evidence available on record corroborating the fact that Rs.2/- note was found below the bedsheet on the pointing out of Sri Balram Tewari. This finding has been given by the Enquiry Officer without any basis.

13. That the ~~Visits~~ Vigilance squad which entered inside the booking office for search did not give their search before entering inside the office. Sri Balram Tewari was standing near the table from where the prosecution is alleging the recovery of the said Rs. 2/- note.

14. That the said Sri Devi Prasad and Hari Shanker remained continuously standing on the booking window till the doors of the booking office were opened by the applicant and the Vigilance Squad entered inside the booking office, but Sri Devi Prasad or his accomplice ~~dd~~ did not state at any occasion that they saw the applicant hiding the said Rs.2/- note. There is absolutely no evidence on record to show that how the said Rs.2/- note

reached underthe bed-sheet. The Enquiry Officer has recorded his findings simply on the basis of conjuctures and surmises that the said Rs.2/- note was placed by the applicant himself. The Enquiry Officer has not justified as to why Sri Devi Prasad will not give Rs.83/- only. As a matter of fact Sri Devi Prasad paid only Rs.83/- as demanded by the applicant. The Vigilance squad being disappointed in their attempt intentionally implicated the applicant falsely to justify their source of information and trap showing that they had not searched on simple information without verifying the source.

15. That the punishment imposed is obviously arbitrary and without any basis or material available on record and is as such liable to be quashed by this Hon'ble Tribunal with all consequential benefits to the applicant.

16. That it may be the pleasure of this Hon'ble Tribunal to condone the delay in filing of this supplementary application and take it on record for the sake of ends of justice. It could not be filed earlier by the applicant as the case file was misplaced.

शिवशंकर शुक्ल

VERIFICATION

~~I the applicant above named do hereby verify~~

I, Sheo Shanker Shukla, aged about 55 years, son of Sri Nageshwar Shukla resident of Mokalpur, Madh Nagar P.O. Makalpur, Gonda do hereby verify that the contents of paras 1 to 16 are true to my personal knowledge and paras ———— are believed to be true on the basis of legal advise and that I have not suppressed any material fact. शिवशंकर शुक्ल

Lucknow Dated:
23-11-1990.

APPLICANT.

[signature]
ADVOCATE.

Annexure-31

(1)

पूर्वोत्तर रेलवे
NORTH EASTERN RAILWAY

पू. उ.–जी. 354
N. E.–G. 354
मानक फार्म सं० 5
STANDARD FORM No. 5

आरोप-पत्र का मानक फार्म
STANDARD FORM OF CHARGESHEET

(रेल कर्मचारी अनुशासन और अपील नियम, 1968 का नियम 9)
(Rule 9 of the Railway Servants Discipline and Appeal Rules, 1968).

सं० D/SS-elss/37/84
No.

N.E. Rly
Divisional office
(रेल प्रशासन का नाम)
(Name of Railway Administration)

निर्गम स्थन Lucknow
Place of issue

दिनांक 25.5.1984
Date

ज्ञापन
MEMORANDUM

§ § §
राष्ट्रपति/रेलवे बोर्ड/निम्नहस्ताक्षरी द्वारा रे० क० (अ० और अ०) नियम 1968 के नियम 9 के अन्तर्गत श्री .... के विरुद्ध जांच करने की प्रस्थापना की गई है। अवचार या कदाचार के लांछनों का सार, जिनके सम्बन्ध में जांच करने की प्रस्थापना है, आरोप के अनुच्छेदों का विवरण (अनुबन्ध एक) में दिया गया है। आरोप के प्रत्येक अनुच्छेद के समर्थन में अवचार या कदाचार के लांछनों का विवरण संलग्न है (अनुबन्ध II)। जिन लेखों और साक्षियों द्वारा आरोप के अनुच्छेदों के सिद्ध किये जाने की प्रस्थापना है उनकी भी एक सूची संलग्न है (अनुबन्ध III और IV)।

§ §
The ~~President~~/~~Railway Board~~/undersigned propose (s) to hold an inquiry against Shri S.S. Shukla S/Beta under Rule 9 of the Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968. The substance of the imputations of mis-conduct or mis-behaviour in respect of which the inquiry is proposed to be held is set out in the enclosed statement of articles of charge (Annexure I). A statement of the imputations of mis-conduct or mis-behaviour in support of each article of charge is enclosed (Annexure II). A list of documents by which and a list of witnesses by whom, the articles of charge are proposed to be sustained are also enclosed (Annexure III and IV).

2. श्री .... को एतत्द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि वह चाहे तो संज्ञापन की प्राप्ति के * पांच दिन के भीतर कार्यालय काल में किसी भी समय प्रलेख–सूची (अनुबन्ध III) में वर्णित प्रलेखों का निरीक्षण कर सकता है और उससे उद्धर ले सकता है। यदि वह ऐसे किसी अन्य प्रलेखों तक अपनी पहुंच चाहता है, जो रेल प्रशासन के पास हों लेकिन जिनका संलग्न प्रलेखों की सूची (अनुबन्ध III) में उल्लेख न किया गया हो, तो निरीक्षण के लिए अपेक्षित प्रलेखों को सुसंगति बताते हुए इस ज्ञापन की प्राप्ति के **दस दिन के भीतर उसे निम्नहस्ताक्षरी/महा प्रबन्धक .... को इसकी सूचना देनी चाहिए। अनुशासन, प्राधिकारी उन सभी या किसी ऐसे प्रलेखों के निरीक्षण की अनुमति देने से इनकार कर सकता है, जो उसकी राय में, मामले से सुसंगत न हो या जिन तक पहुंच की अनुमति देना जनहित या राज्य के सुरक्षा के विरुद्ध हो। उसे चाहिए कि अतिरिक्त प्रलेख उपलब्ध किये जाने के पांच दिन के भीतर उनका निरीक्षण पूरा कर लें। जिन अतिरिक्त प्रलेखों के निरीक्षण की उसे अनुमति दी जायेगी उनसे उद्धरण लेने की उसे अनुमति होगी।

2. Shri S.S. Shukla .... is hereby informed that if he so desires, he can inspect and take extracts from the documents mentioned in the enclosed list of documents (Annexure III) at any time during office hours within * five days of receipt of this Memorandum. If he desires to be given access to any other documents which are in the possession of Railway Administration but not mentioned in the enclosed list of documents (Annexure III), he should give a notice to that effect to the undersigned/† ~~General Manager,~~ .... Railway within**ten days of the receipt of this Memorandum, indicating the relevance of the documents required by him for inspection. The disciplinary authority may refuse permission to inspect all or any such documents as are, in its opinion, not relevant to the case or it would be against the public interest of security of the State to allow access thereto. He should complete inspection of additional documents within five days of their being made available. He will be permitted to take extracts from such of the additional documents as he is permitted to inspect.

3. श्री .... को सूचित किया जाता है कि जांच के बाद के प्रक्रमों में प्रलेखों को प्राप्त करने के लिए किया गया अनुरोध तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा जब तक ऊपर विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर विलम्ब से अनुरोध करने का पर्याप्त कारण न बताया जाय और उन परिस्थितियों से स्पष्ट रूप से प्रकट न हो जाये कि अनुरोध इससे पहले के प्रक्रम में नहीं किया जा सकता था। जांच पूरी हो जाने के बाद अतिरिक्त प्रलेख प्राप्त करने के सम्बन्ध में कोई अनुरोध तब तक स्वीकार न किया जायेगा, जब तक जांच पूरी न होने से पहले अनुरोध न कर सकने का पर्याप्त कारण न बताया गया हो।

9

3. Shri S. S. Shukla ....is informed that request for access to documents made at later stages of the enquiry will not be entertained unless sufficient cause is shown for the delay in making the request within the time limit specified bove and the circumstances show clearly that the request could not have been made at an earlier stage. No request for access to additional documents will be entertained after completion of the inquiry unless sufficient cause is shown for not making the request before the completion of the inquiry.

4. श्री ....को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह चाहे तो मौखिक जांच होने की स्थिति में प्रलेखों का निरीक्षण करने तथा जांच प्राधिकारी के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने में सहायता करने के लिए किसी अन्य रेल कर्मचारी/रेल व्यवसाय संघ के किसी पदाधिकारी जो रेल कर्मचारी (अनुशासन और अपील) नियम 1968 के नियम 9 (9) और यथा स्थिति उनके टिप्पण एक और/अथवा टिप्पण दो की अपेक्षाओं को पूरा करते हों, की सहायता ले सकता है। इस प्रयोजन के लिए अधिमान्यता क्रम में उसे एक या अधिक व्यक्तियों का नामन करना चाहिए। सहायक रेल कर्मचारी (कर्मचारियों)अथवा रेल व्यवसाय संघ के पदाधिकारी/पदाधिकारियों का नामन करने से पहले श्री............................ द्वारा नामित व्यक्ति (व्यक्तियों) से बचन ले लेना चाहिए कि वह (वे) अनुशासनिक कार्यवाही के दौरान उसकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। वचन में ऐसे अन्य मामले/मामलों का, यदि कोई हो., विवरण भी देना चाहिए, जिसमें नामित व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा सहायता करने का पहले ही बचन दिया जा चुका हो और नामित व्यक्ति (यों) द्वारा दिया गया बचन नामन-पत्र के साथ निम्न हस्ताक्षरी/महाप्रबन्धक.......................................रेलवे को भेजा जाना चाहिए।

4. Shri S. S. Shukla.....is futher informed that he may, if he so desires, take the assistance of any other railway sevant/an official of a Railway Trade Union who satisfies the reqire-ments of Rule 9 (9) of the Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968 and Note 1 and/or Note 2 thereunder as the case may be for inspecting the documents and assisting him in presenting his case before the Inquiring Authority in the event of an oral inquiry being held. For this purpose, he should nominate one or more persons in order of preference. Before nominating the assisting railway servant (s) or Railway Trade Union Official (s), Shri S. S. Shukla. should obtain an undertaking from the nominee (s), that he (they)is (are) willing to assist him during the disciplinary proceedings. The undertaking should also contain the particulars of other case (s), if any, in which the niminee (s) had already undertaken to assist and the undertaking should be furnished to the undersigned/General Manager,‡.................... Railway alongwith the nomination.

5. श्री ....को एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है कि यदि उसे अपना प्रतिवाद तैयार करने के लिए किसी प्रलेख का निरीक्षण करना अपेक्षित न हो, तो इस ज्ञापन की प्राप्ति के लिए दस के भीतर और यदि वह प्रलेखों का निरीक्षण करना चाहे तो प्रलेख का निरीक्षण पूरा होने से दस दिन के भीतर निम्नहस्ताक्षरी के पास (महाप्रबन्धक**.......................... रेलवे के मार्फत) अपने प्रतिवाद का लिखित कथन (जो उक्त महाप्रबन्धक के पास पहुंचना चाहिए) प्रस्तुत करें और--

(क) बतायें कि क्या वह व्यक्तिगत रूप में कुछ कहना चाहता है, और

(ख) उन साक्षियों के, यदि कोई हो, नाम और पता बतायें जिन्हें वह अपने प्रतिवाद के समर्थन में बुलाना चाहता है, और

(ग) उन प्रलेखों की सूची, यदि कोई हो, पेश करे जिन्हें वह अपने प्रतिवाद के समर्थन में प्रस्तुत करना चाहता है।

5. Shri S. S. Shukla is hereby directed to submit to the undersigned (through General ~~Manager..........................~~Railway)@ a written statement of his defence (which should reach the said General Manager)**within ten days of receipt of this Mmorandum, if he does not require to inspect any documents for the preparation of his defence; and within ten days after completion of inspection of documents if he desires to inspect documents, and also—

(a) to state whether he wishes to be heard in person; and

(b) to furnish the names and address of the witnesses, if any, whom he wishes to call in support of his defence; and

£(c) to furnish a list of documents, if any, which he wishes to produce in support of his defence.

6. श्री ....को सूचित किया जाता है कि आरोप के केवल उन अनुच्छेदों के बारे में जांच की जायेगी, जो स्वीकार नहीं किये गये हैं। इसलिए उन्हें चाहिए कि आरोप के प्रत्येक अनुच्छेद को खास तौर से स्वीकार करें या इनकार करें।

6. Shri S. S. Shukla....is informed that an inquiry will be held only in respect of those articles of charge as are not admitted. He should, there fore, specifically admit or deny each article of charge.

7. श्री ....को आगे यह भी सूचित किया जाता है कि पैरा 5 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर यदि वह अपना लिखित बयान प्रस्तुत नहीं करता या जांच अधिकारी के सामने व्यक्तिगत रूप से हाजिर नहीं होता या रेल कर्मचारी (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 के नियम 9 के उपबन्धों या उक्त नियम के अनुसरण में जारी आदेशों/निर्देशों का अनुपालन करने में अन्यथा असफल रहता है, या इनकार करता है तो तो जांच प्राधिकारी एक पक्षीय जांच कर सकता है।

7. Shri S. S. Shukla is further informed that if he does not submit his written state-ment of defence within the period specified in para 5 or does not appear in person before the inquiring authority or otherwise fails or refused to comply with the provisions of Rule 9 of the Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968 or the orders, directions issued in pursuance of the said rule, the inquiring authority may hold the inquiry ex-parte.

(10)

8. श्री ....का ध्यान रेल कर्मचारी (आचण) नियम, 1966 के नियम 20 की ओर दिलाया जाता है, जिसके अंतर्गत कोई रेल कर्मचारी सरकार के अधीन अपनी सेवा से सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में अपने हितों के लिए किसी वरिष्ठ अधिकारी पर कोई राजनीतिक या अन्य प्रभाव न तो डालेगा अथवा न डालने का प्रयत्न करेगा। यदि इन कार्यवाहियों से सम्बन्धित किसी मामले में उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति से कोई अभ्यावेदन प्राप्त होता है तो या प्रकल्पना की जायेगी कि श्री ....को उस अभ्यावेदन की जानकारी है और वह उसके कहने पर दिया गया है और उसके विरुद्ध रेल कर्मचारी (आचरण) नियम, 1966 के नियम 20 का उल्लंघन करने के लिए कार्यवाही की जाएगी।

8. The attention of Shri S. S. Shukla.....is invited to Rule 20 of the Railway Seviees (Conduct) Rules, 1966, under which no railway servant shall bring or attempt to bring any political or other influence to bear upon any superior authority to further his interests in respect of matters pertaining to his service under the Government. If any, representation is received on his behalf from another person in respect of any matter dealt within these proceedings, it will be presumed that Shri S. S. Shukla.. is aware of such a representation and that is had been made at his instance and action will be taken against him for violation of Rule 20 of the Railway Services (Conduct) Rules, 1966.

9. इस ज्ञापन की पावती भेजें।

9. The receipt of this Memorandum may be acknowledged.

*(राष्ट्रपति के आदेश और उनके नाम से)

सक्षम प्राधिकारी का नाम और पदनाम

*By order and in the name of the President.

(J. LAL)

हस्ताक्षर/Signature

Dvl. Coml. Supdt.

Name and designation of Competent authority. Lucknow.

संलग्न :
Encls : (3)

सेवा में
To

श्री
Shri Shiv Shanka Shukla

पदनाम
Designation Sr. Booking Clerk

स्थान आदि
Place, etc. N.E.Rly/Colonelganj Through: SCI/TSH.

@ प्रतिलिपि श्री ....(उधारदाता प्राधिकारी का नाम और पदनाम) को सूचनार्थ प्रेषित।

@ Copy to Shri ....(name and designation of the lending authority) for information.

---

*यदि आदेश का राष्ट्रपति के नाम से दिया जाना अभिव्यक्त किया जाय।

*यह समय-सीमा सक्षम प्राधिकारी के निर्देश से दस दिन तक बढ़ाई जा सकती है।

*This time limit may be extended upto ten days at the direction of the competent authority.

** यह समय सीमा सक्षम प्राधिकारी के निर्देश से बीस दिन तक बढ़ाई जा सकती है।
** This time limit may be extended upto twenty days at the direction of the competent authority.

† जहां कहीं राष्ट्रपति या रेलवे बोर्ड सक्षम प्राधिकारी हो वहां इसे रहने दिया जाय।
† To be retained wherever President or the Railway Board is the competent authority.

‡ जहां राष्ट्रपति अनुशासिक प्राधिकारी हो।
‡ Where the President is the disciplinary authority.

@ जहां कहीं लागू हो वहीं इस्तेमाल किया जाये। देखिये रेल कर्मचारी (अनुशासन और अपील) निमय, 1968 का नियम 16 (1) रेल कर्मचारी को भेजी जाने वाली प्रतिलिपि में इसे शामिल न किया जाय।
@ To be used wherever applicable--See Rule 16 (1) of the Railway Servant (Discipline and Appeal) Rules, 1968--Not to be inserted in the copy sent to the Railway Servant.

§ जो लागू न हो उसे काट दें।
Strike out whichever is not applicable.

£ यदि कर्मचारी इस अपेक्षा का अनुपालन नहीं करता, तो इस प्रक्रम में ऐसी सूची प्रस्तुत करनेपर जोर देने की आवश्यकता नहीं है।
£ Submission of such list at this stage need not be insisted upon if the employee does not comply with this requirement.

NER--83840346-5000--6 1 84

अनुच्छेद - I

श्री शिव शंकर शुक्ल, प्रवर बुकिंग बाबू, कर्नलगंज के विरुद्ध आरोप स्तम्भ

- - -

श्री शिव शंकर शुक्ल जब दिनांक 15-1-84 को 00 बजे से 08 बजे को पाली में कर्नलगंज स्टेशन को द्वितीय श्रेणी बुकिंग खिड़की पर बुकिंग बाबू के कार्य पर कार्यरत थे तब उन्होंने अवचार किया जिसके द्वारा उन्होंने रेल सेवा (आचार) नियम 1966 के नियम संख्या 3(1)(1)(11) का उल्लंघन किया, जो निम्न प्रकार था :-

उन्होंने श्री देवी प्रसाद नामक सतर्कता खलासी से कर्नलगंज से बरौनी जं0 के मेल/एक्सप्रेस के द्वितीय श्रेणी के दो टिकटों का मूल्य पचासी रुपया माँगा और लिया जबकि उपरोक्त स्टेशन एवं दरों के दो मेल एक्सप्रेस टिकटों का वास्तविक मूल्य (किराया) मात्र तिरासी रुपया था। इस प्रकार उन्होंने श्री देवी प्रसाद से वास्तविक किराया से दो रुपया अधिक अपने निजी लाभ हेतु वसूल किया और सरकारी राशि में नहीं जमा किया। साथ ही उन्होंने उस पर छपे किराया 16 रु0 10 पैसा को काटकर लिया गया किराया उन्होंने लिखा था।

2- उन्होंने अपना व्यक्तिगत धन कार्यरत होते हुए घोषित नहीं किया था।

(जे0 लाल)
मंडल वाणिज्य अधीक्षक
पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ

अनुच्छेद II

अवचार के आरोप का विवरण जिसके आधार पर श्री शिवशंकर शुक्ल, प्रवर बुकिंग बाबू, कर्नलगंज के विरुद्ध आरोप स्तम्भ बनाया गया।

- - -

1- पंचनामा दिनांक 14-1-84 को कर्नलगंज मालगोदाम में 23/30 बजे बनाया गया पंचनामा यह प्रदर्शित करता है कि कर्नलगंज बुकिंग कार्यालय के कैश एवं एकाउन्टल के जाँच का कारण विश्वस्त सूत्र से मिली सूचना थी कि बुकिंग कर्मचारी दूर के टिकटों को बिक्री पर अधिक पैसा लेते हैं। पंचनामा यह भी दर्शाता है कि श्री श्री देवी प्रसाद एवं श्री हरिशंकर सिंह सतर्कता खलासी को क्रमशः टिकटें खरीदने एवं गवाह के रूप में साथ साथ रहने के लिए निर्देश दिया गया था। श्री देवी प्रसाद को पचासी रुपये के विभिन्न जी0सी0 नोट नम्बरों को पंचनामा में लिखकर तलाशी लेने के बाद सुनिश्चित करके कि उसके पास कोई धनराशि नहीं थी वे रुपये उक्त कार्य हेतु दिए गए थे। बुकिंग बाबू से किराया पूछने के बाद माँगने पर ही उतना किराया देने का निर्देश दिया गया था। उस पंचनामा पर तीन सतर्कता निरीक्षकों एवं दो सतर्कता खलासियों के हस्ताक्षर उसमें निहित उपरोक्त बातों के पहले ही लिखे चुकने का प्रमाण था।

पंचनामा दिखाकर पढ़ाकर नोट मिलाया गया और दो रुपया कम मिलने पर ही खोज लिया गया था जो श्री शुक्ला के बिस्तर के नीचे मिला था। उसे छिपाते समय खिड़की के पास बाहर की तरफ खड़े मुख्य सतर्कता निरीक्षक ने देखा भी था। बुकिंग बाबू की रिश्तेदार बुकिंग कार्यालय में सोए थे और दरवाजा बन्द था जिसे खोलने में बाबू ने देर किया क्योंकि वे दो रुपये की एक नोट ट्यूब से निकालकर छिपा रहे थे।

2- सीजर मेमो (जी0सी0नोट का) :- उस मेमो के अनुसार पचासी रुपये के जी0सी0 नोट जिनका नम्बर पंचानामे पंचनामे के नम्बरों से मिलता था और जो वसूल या बुकिंग बाबू के बुकिंग कार्यालय में बिछाये गये बिस्तर के नीचे पाये गये थे को एक लिफाफे में बन्द करके सील करके सतर्कता निरीक्षक को लौटा दिये गये। जो प्रदर्शित करता है कि उपरोक्त सभी नोट बुकिंग बाबू ने सतर्कता खलासी से टिकट के मूल्य के रूप में लिया था।

3- निरस्त टिकट: टिकट संख्या 00408/409 द्वितीय श्रेणी कर्नैलगंज से बरौनी जं0 प्रदर्शित करता हैं कि वह टिकट पुराना था और उस पर छपा किराया बाबू ने बिक्री करते समय काटकर ठीक नहीं किया था। वे टिकट श्री देवी प्रसाद द्वारा खरीदे गये थे।

4- श्री देवी प्रसाद सतर्कता खलासी का दिनांक 15-1-84 का बयान प्रदर्शित करता था कि उसे आदेश एवं निर्देश दिया गया था कि वह कर्नैलगंज बुकिंग खिड़की पर जाकर बुकिंग बाबू से बैरौनी का किराया पूछेगा और दो टिकट मांगेगा। बाबू के मांगने पर उतना पैसा देकर दो टिकट खरीदेगा। उसने वैसा ही किया। उसने अपने द्वारा खरीदे गये टिकटो का नम्बर 00408 एवं 00409 बताया तथा बाबू को टिकट के लिये 85/- रुपये मांगने पर देना बताया। उन सभी नोटो का नम्बर पंचानामे में वर्णित था। बुकिंग बाबू को साक्षात्कार हेतु समय दिया था लेकिन बाबू ने साक्षात्कार तो किया परन्तु उससे प्रश्न नहीं पूछा।

5- श्री हरिशंकर सिंह सतर्कता खलासी का दिनांक 15-1-84 का बयान प्रदर्शित करता है कि वे आदेशानुसार श्री देवी प्रसाद के साथ पिछे बुकिंग खिड़की पर खड़े थे और श्री बाबू द्वारा श्री देवी प्रसाद से कर्नैलगंज से बरौनी जं0 के दो टिकट का किराया 85 रुपया बताना और मांगाना सुना तथा पैसे और टिकट का लेन देन देखा।

6- जांच प्रारुप :- जांच प्रारुप दिनांक 15-1-84 से स्पष्ट होता है कि श्री शिवशंकर शुक्ल प्रवर बुकिंग बाबू ने अपना व्यक्तिगत धन नहीं घोषित किया था। उन्होंने जांच के लिये 85/- रुपया प्रस्तुत किया था जिसका विवरण नोटो के किस्म में दिया था।

7- सहायक स्टेशन मास्टर कर्नैलगंज का 15-1-84 का प्रमाण पत्र यह सिद्ध करता है कि दिनांक 15-1-84 को 508 डाउन कर्नैलगंज स्टेशन पर 507 अप गाड़ी का रास्ता देने हेतु रुकी थी।

8- श्री एस0एस0शुक्ला प्रवर, बुकिंग बाबू कर्नैलगंज का दिनांक 26-3-84 का बयान यह प्रदर्शित करता है कि श्री शुक्ला दिनांक 15-1-84 को 00 बजे से 8 बजे की पाली में ड्यूटी पर थे और उन्होंने कर्नैलगंज से बरौनी का द्वितीय श्रेणी का दो टिकट नं0 00408/409 बेचा था। वही दो टिकट जांच के समय मिले थे। उन्होंने कर्नैलगंज से बरौनी तक के दो टिकट का किराया 83 रुपया बताया था।

9- दैनिक सह सारांश बही, कर्नैलगंज दिनांक 15-1-84 से पता चलता है कि श्री शुक्ला द्वारा द्वितीय श्रेणी मेल/एक्सप्रेस टिकट संख्या 00408/409 कर्नैलगंज से बरौनी बेचा गया था। उन्होंने उसका पैसा 41 रु0 50 पैसा प्रति टिकट के हिसाब से तथा दो टिकट का 83 रु0 जमा किया था। उन्होंने जांच के बाद भी 8 बजे चूंकि उसी कालम में अन्तिम न0 उतारा जिसे कालम में जांच के समय लिखा था।

-3/-

10- प्रथम सूचना प्रतिवेदन दिनांक 18- 1-84 से पता चलता है कि दिनांक 15- 1-84 को कर्नलगंज स्टेशन के बुकिंग कार्यालय के कैश एवं एकाउन्टस का जाँच तथा बाबू द्वारा पैसा लेना - टिकट खरिदवाकर जाँच किया गया। पूरी घटना का प्रतिवेदन दिया और पंजीकरण की आवश्यकता की बाबू द्वारा अधिक पैसा वसूलने के कारण उद्गरित।

(जे0 लाल)
मंडल वाणिज्य अधीक्षक
पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ

अनुच्छेद III

विश्वसनीय अभिलेखों का विवरण जिसके आधार पर श्री शिवशंकर शुक्ल, प्रवर बुकिंग बाबू, कर्नलगंज के विरुद्ध आरोप स्तम्भ बनाया गया।

- - -

1- पंचनामा दिनांक 14- 1-1984 एवं बुकिंग बाबू का स्पष्टीकरण (पृष्ठ के दोनों तरफ)
2- जी0सी0 नोट का सीजर मेमो।
3- टिकट निरस्तीकरण मेमो।
4- श्री देवी प्रसाद सतर्कता खलासी का दिनांक 15- 1-84 का बयान एवं उस पर की टिप्पणियाँ।
5- श्री हरिशंकर सिंह सतर्कता खलासी का बयान एवं टिप्पणियाँ।
6- सहायक स्टेशन मास्टर कर्नलगंज का प्रमाण पत्र दिनांक 15- 1-84
7- जाँच प्रारूप (कैश ऐण्ड एकाउन्टल) कर्नलगंज
8- टिकट संख्या 00408/09 द्वितीय श्रेणी कर्नलगंज से बरौनी
9- श्री शिव शंकर शुक्ला, प्रवर बुकिंग बाबू कर्नलगंज का दिनांक 26- 3-84 का बयान।
10- प्रथम सूचना प्रतिवेदन दिनांक 18- 1-84
11- दैनिक सह सारांश बही कर्नलगंज 11- 1-84 से 20- 1-84 तक।

(जे0 लाल)
मंडल वाणिज्य अधीक्षक
पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ

अनुच्छेद IV

गवाहों की सूची जिनके आधार पर श्री शिव शंकर शुक्ला, प्रवर बुकिंग बाबू, कर्नलगंज के विरुद्ध आरोप स्तम्भ बनाया गया।

- - -

1- श्री गिरजा शंकर मिश्र, मुख्य सतर्कता निरीक्षक, गोरखपुर।
2- श्री बलराम तिवारी, मुख्य सतर्कता निरीक्षक, गोरखपुर।
3- श्री के0 एस0 राठौर, सतर्कता निरीक्षक, गोरखपुर।
4- श्री देवी प्रसाद, सतर्कता खलासी।
5- श्री हरी शंकर, सतर्कता खलासी।
6- श्री शारदा प्रसाद श्रीवास्तव, सहायक स्टेशन मास्टर, कर्नलगंज।
7- श्री जोवाद अली, मुख्य बुकिंग बाबू, कर्नलगंज।

(जे0 लाल)
मंडल वाणिज्य अधीक्षक
पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ

Annexure-52 (15)

RUD पंचनामा

विश्वस्त सूत्र से पता चला है कि करनलगंज (गोंडा) स्टेशन के बुकिंग ~~ऑफिस~~
का कार्य करने वाले कर्मचारीगण इन के स्टेशनों के टिकट खरीदने वाले यात्रियों
से निर्धारित किराया से अधिक पैसा लेकर निजी लाभ के लिए लेते हैं।
इस तथ्य की सत्यता जांचने के लिये सतर्कता निरीक्षक दल ने श्री
देवी प्रसाद सतर्कता स्वामासी को निर्देश दिया कि वह करनलगंज बुकिंग
खिड़की पर जाकर बुकिंग बाबू से गोंडा जं० के एक टिकट
का किराया पूछेगा और दो टिकट मांगेगा। बाबू के मांगने पर
उतना ही पैसा देकर गोंडा जं० का ~~टिकट~~ द्वितीय श्रेणी का दो
टिकट खरीदेगा। श्री ~~[illegible]~~ हरिशंकर सिंह सतर्कता स्वामासी
को निर्देश किया गया कि वह श्री देवीप्रसाद के पीछे लाइन में रहेगा।
उनकी और बुकिंग बाबू की बातचीत सुनेगा और टिकट व पैसा
लेनदेन देखेगा। उपरोक्त कार्य हेतु श्री देवीप्रसाद का [illegible]
[illegible] (गोंडा) सतर्कता निरीक्षक के पीछे [illegible]
श्री राठौर के तलाशी लेकर देखा कि श्री देवीप्रसाद के पास कोई
अन्य धनराशि नहीं है तब उपरोक्त कार्य हेतु [illegible] रु०
के निम्न [illegible] नोट दिये जिसका विवरण निम्न है

(1) पचास रुपये का एक जी० सी० नोट नं० ~~[illegible]~~ 4110[illegible]
2. बीस रुपये का एक जी० सी० नोट नं० ~~[illegible]~~
3 पांच रुपये का एक जी० सी० नोट नं० [illegible] 020 312
4. दो रुपये के तीन जी० सी० नोट नं० [illegible] 98F307[illegible]
(5) एक रुपये का चार जी० सी० नोट नं० 17F 256159 W 0707 [illegible]
28E 051367, 45D 407526 एवं 88 70 072 66

ह० देवीप्रसाद
Sd/- [illegible] Sd/- KS Rathore
[illegible] 14/1/04
ह० [illegible]

[illegible] 3/4

RUD/5

16

आज दि० 15.1.84 को सतर्कता निरीक्षक के आदेशानुसार श्री देवीप्रसाद को कालेलगंज कालोनी का टिकट लेने को कहा गया साथ ही मुझे सतर्कता निरीक्षक महोदय श्री ए. डी. सिंह ने आदेश दिया कि आप श्री देवीप्रसाद के पास खड़ा रहना है और देवी प्रसाद तथा बुकिंग बाबू के बीच क्या बात होती है तथा टिकट का कितना पैसा मांगते हैं सब सुनना तथा देखना है। जब श्री देवीप्रसाद ने बुकिंग बाबू से पूछा कि कालोनी का कितना भाड़ा है तब बुकिंग बाबू ने 24 रुपया बताया और टिकट बुकिंग बाबू (24) बाबू ने मांगा उनकी सब बातें सारी मैंने साफ सुनी देवी प्रसाद के पास उसके बाद मैं निरीक्षक महोदय से बताया।

श्री शिवशंकर कुमार क०लि० कालेलगंज

श्री हरी शंकर सिंह सतर्कता रक्षक प्रादेशिक संगठन रक्सौल उनका बयान पढ़कर प्रश्न पूछकर तथा बताकर कि आप अपनी टिप्पणी दो।

इस मामले में कुछ नहीं पूछना।

ह० शिवशंकर 15/1/84

ह० ए.डी.सि. 15/1/84

हरीशंकर सिंह
सतर्कता रक्षक
15/1/84

RUD-5

ANNEXURE-S3

97

STANDARD FORM OF ORDER RELATING TO APPOINTMENT OF ENQUIRY OFFICER (RULE 9(2) OF RAILWAY SERVANTS (D&A) RULES, 1968)

No.LD/SS-C/Vig/37/84
Dated 22.10.1984

North Easter Railway
Divisional Office
Lucknow.

O R D E R

Whereas an inquiry under Rule 9 of the Railway Servants (Discipline & appeal) Rules, 1968 is beingheld against ~~Sri Shiv Shanker Shukla, Sr. Booking Clerk/ Colonelganj.~~

And whereas the undersigned considers that an Enquiry Officer should be appointed to inquire into the charges framed against him.

Now, therefore, the undersigned in exercise of the powers conferred by Sub-rule (2) of the said rule hereby appoints,

Sri R.C. Srivastava, E.I.D.A./Gorakhpur as Enquiry Officer to inquire into the charges framed againstthe said Sri Shiv Shanker Shukla, Sr.BC/Colonelganj.

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. SriShiv Shanker Shukla, Sr.BC/CLJ through SCI/ASH.
2. Sri R.C. Srivastava, EIDA/ KP. File No.LD/SS-C Vig/ 37/84 containing 39/C and 2/N is enclosed. DAR enquiry may please be conducted and report submitted early.
3. GM/Vig./GKP for infn.

Signature Sd/-(J.Lal)

Designation of the competent authority: Divl. Commercial Supdt. Lucknow.

TRUE COPY.

Annexure-4
(18)

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय महाप्रबन्धक (सतर्कता)
(विभागीय कार्यवाही, जाँच अनुभाग)

संख्या :- स्लडी/एसएस-सी/विज/ 37/84

गोरखपुर, दिनांक 14/2/85 1984

सेवा में

श्री [redacted] S.S Shukla

[redacted] Sr. BC/(सतर्कता/गोरखपुर) CLJ

Through SCI/(ASH) SOT

विषय :- श्री उपयुक्त

के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही /

सन्दर्भ :- दिनांक 25-5-84 को अनुशासनिक अधिकारी द्वारा जारी किया गया/आरोप पत्र /

ज्ञापन

उक्त विषय पर आपका ध्यान अनुशासनिक अधिकारी के दिनांक 8-2-85 के ज्ञापन/आदेश की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को आपके विरुद्ध लगाए गए आरोप की जाँच के निमित्त जाँच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। उक्त जाँच रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम 1968 के नियम 9 के अन्तर्गत की जायेगी।

2- उक्त दिनांक आदेश के पैराग्राफ 3 में आप से एक रेल सेवक को नामांकित करने को कहा गया था जिसकी सहायता आप जाँच के दौरान लेना चाहते थे, परन्तु [illegible] की सूचना नहीं दी है। यदि आप इस प्रकार की सहायता लेना चाहते हों, तो नामांकित करें। इस सूचना के साथ नामांकित रेल सेवक [illegible] जो लिखित स्वीकृति तथा [illegible] व्यक्ति के पास दो से अधिक केस नहीं हैं [illegible] सहायता [illegible] जो आपसे [illegible] है।

3- जाँच केस की प्रारम्भिक सुनवाई/ [illegible] तिथि दिनांक 13-3-1985

को निश्चित की गई है जो अधोहस्ताक्षरी के गोरखपुर स्थित कार्यालय में 10-30 प्रातः से प्रारम्भ होगी। आप स्वयं तथा रेल सेवक जो जाँच के दौरान आपकी सहायता करेगा उक्त समय, निर्धारित तिथि तथा स्थान पर उपस्थित हों। आवश्यकता पड़ने पर उपर्युक्त तिथि से आगे भी रुकना पड़ सकता है। अतः आप तदनुसार ही व्यवस्था करके आयें।

4- इसे भली भाँति तथा स्पष्ट रूप से समझ लिया जाना चाहिए कि यदि आप निर्धारित तिथि को बताए हुए स्थान पर निर्देशित समय पर उपस्थित नहीं हुए तो जाँच कार्य आपकी अनुपस्थिति में (एक्स पार्टी) किया जायेगा।

(signature)
(M.L. Srivastava) 14/2/85
जाँच अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचित कार्यवाही के लिए प्रेषित :-

1-

2-

(कृपया पन्ना उलटिए)

जाँच अधिकारी

3-
4-
5-
6-

उनसे अनुरोध है कि कृपा कर निम्नलिखित रेल कर्मचारी को जांच कार्य के लिए कार्यमुक्त कर निर्धारित तिथि, स्थान और समय पर उपस्थित होने का आदेश दें। उन्हें जांच स्थल तक आने और लौटने के लिए सभी को ड्यूटी के रेलवे पास की व्यवस्था की जाय।

नाम तथा पदनाम	टिप्पणी
1- श्री	आरोपित रेल कर्मचारी
2- श्री	बचाव सहायक
3- श्री	गवाह
4- श्री	गवाह
5- श्री	गवाह
6- श्री	गवाह
7- श्री	गवाह

प्रतिलिपि महाप्रबन्धक (सतर्कता) को उनके कार्यालय के पत्र संख्या तेह/13/ के सन्दर्भ में प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि उक्त तिथि पर कृपया निम्नलिखित गवाहों के उपस्थिति का प्रबन्ध करें तथा सम्बन्धित प्रलेख (रिलाइड अपान डाकुमेन्ट्स) शीघ्र समय से भेजें :-

1-
2-
3-
4-
5-

जांच अधिकारी

ANNEXURE-S5

(20)

F.I.R.

Source information revealed that excess fare was was being realised by the booking-clerk for their personal gain at Colonelganj (Cts) on the sale of distant tickets, as such, it was decided to conduct a surprise check by the Vigilance Organiza-nis tion. In persuance to a source information a team of Vigilance Inspectors reached cts by bus at about 23 hrs of 14.11.84 and prepared a Panchama under the signat re of V. Is and Vig. Khallasis. Sri Devi Pd. vis Khallasi was instructed to purchase two tickets excts. to Bjv. after enquiring the faere of one ticket. Sri Hari Shanker Singh Vig. Khallasi was directed to remain in the que to see the transaction of money and hear the conversation between Sri Devi Prasad and the booking clerk on duty. Sri Devi Prasad was given Rupees eighty five of defex defferent denomenations the numbers of which were noted in the Panchanama. All his private money was taken from Sri Devi Pd. and deposited with Sri K.S. Rathore, V.I.

2. As per instructions tickets were purchased bySri Devi Prasad on 15.1.1984 at about 1.28 hrs. SriDevi Prasad stated that he asked the fare of one ticket for Barauni from the booking clerk but instead of telling the fare he put up a question how many tickets were tobe purchased. On telling that (Sri Devi Prasad) had to purchased two tickets for Barauni Jn. the booking clerk demand Rs.85/- as thefare of two tickets excts. to Bjn. SriDevi Prasad gave all eightyfive rupees to the Booking-Clerk. He after accepting the Rs. Eighty five issued two Pcs. No. 00408 and 00 409. The booking clerk was later on known Sri S.S. Shukla.

(27)

3. Sri Hari Shanker Singh also maintained the above allegation reggarding demand and acceptance of Rs. 85/- from Sri Devi Prasad by the booking clerk on duty.

4. Sri Devi Prasad and Sri HariShanker Singh both recognised the booking clerk when they were produced for confronted enquiry before him. A reasonable opportunity was given to the Book-ing Clerk on duty in the sence that he might cross examine the Vig. Khallasi but he refuse to do so and stated that he had only realised Rs. 83/- on the sale of above tickets.

5. Govt. cash was get counted by Booking Clerk on duty Sri Shukla which was first found to be Rs. 83/-. Sri Balram Tewari standing near the booking window saw that Booking Clerk on duty Sri Shukla was hiding some money under his bedding speared over the table when one of his relatives present in the booking office went to open the door and Sri Shukla Booking Clerk was standing near his bed. As such a search was made except Rs. 83/- no other amount was found in the tube. Booking Clerk on duty was asked to tell whether he had kept Rs. 2/- hiding any where which was paid tohim by vegilance decoys. He denied. He took the oath on the name of God. He by himself gave his search showing his cloth and pockets to us. Then he Vig. Khallasis were produced before him who told that he demanded and accepted Rs. 83/- only. Sri G.S. Misra CVI was with Booking Clerk on duty and others were near the opened door. then Sri Balram Tewari who was seeing the proceeding from the door called the Booking Clerk and asked him to wrap his beding. He did so then a

Government currency note of Rs. 2/- number B 41 172303 was found under that beding. This number was also noted in Panchanama.

6. Thus cash of Rs. 85/- of the same number and demoniations which were noted in the Panchanama were found inthe Govt. cash. Thus Rs. 2/- were found in excess in Govt. cash which he earned on the scale of two tickets for his personal gain. All the proceedings were drawn in presence of ASM Sri Sarda Prasad Srivastava and V.Is.

7. Sri Shukla, however denied the fact of realising Rs. 2/- in excess but about the availability of Government Currency Note of Rs. 2/- under the bedigg he denied that he had kept the same there.

8. Further (9) nine Pct. were found on the counter without being nipped or ~~xx~~ canceled, number are as under:-

04860 Ex Anabali toCts
17150 Ex " "
05374/75 Ex Lucknow to Kaslusi
51224/25 Ex Lucknow to Cts
32282 Ex Lc to cts.
42598 Ex Jarwar to cts.
3312p aliganj to etc.

The Booking Clerk on duty stated that he know nothing aboutthese tickets.

9. Recovered Notes were sealed in a cover and seized for Vig. enquiry. The Pct were also get cancelled and amount was refunded to the Purchaser, cancelled tickets were also seized for the vig. enquiry.

10. It is, thus, established that Sri S.S.Shukla Sr. Booking Clerk ets while working as such on 14/15-1-84 sold two ɸ Tcts No. 00408, 409 Ex Etc. to to Bjn. To. a Vig. Decoy and realised Rs. 85/- against the actual fare of Rs. 83/-.

Case needs registration for further probe.

Sd/- (Balram Tewari)	Sd/-G.S.M (G.S.Misra)	Sd/- K.S. Rathore (K S. Rathore)
18.1.84	18.1.84	18.1.84.

TRUE COPY

(1)

(Office Copy)

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL

ADDITIONAL BENCH

****

No.CAT/ 440 of 1987 Dated :

Sri Sheo Shanker Shukla APPLICANT(s)

VERSUS

Union of India & Others through G.M. N.E. Rly. RESPONDENT(s)

To Notices issued to Both the parties

(1) Sheo Shanker Shukla, Vill Mokalpura Madh Nagar, P.O. Mokalpur. Distt Gonda

(2) G.M. N.E. Rly Gorakhpur

Please take notice that the applicant above named has presented an application, a ~~copy whereof is enclosed herewith~~ which has been registered in this Tribunal and the Tribunal has fixed ~~[illegible]~~ 30th day of NOV 1988 198 8 for hearing at Circuit Bench LKO

If no, appearence is made on your behalf, your pleader or by some one duly authorised to Act and plead on your in the said application, it will be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of the Tribunal this 14 oct day of Oct 198 8

~~for~~ DEPUTY REGISTRAR(Judicial)

dinesh/

(3) D. Commercial Supdt N.E. Rly LKO.

(4) Sr. Divi. Commercial Supdt. LKO.

(5) Addl Rly Div. Manager LKO.

(6) Div. Commercial Supdt. LKO

7) D.R.M N.E. Rly LKO.

(2)

Registered/ O/c

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
ALLAHABAD BENCH, ALLAHABAD.

Sitting At Lko Circuit Bench Lko
Gandhi Bhawan, Luck 23-A Thornhill Road
Allahabad. 211 001

Registration OA. 440 of 1987

No. CAT/Alld/Jud/3461 to 610 Dated 12/12

Sheo Shanker Shukla APPLICANT(S)

VERSUS

Union of India NERly RESPONDENT(S)

(1) Sri O.P. Srivastava Advocate, R/o 867 old Mahanagar, Near Fatima Hospital, Lucknow.

(2) Sri V.K. Goel Govt Counsel, High Court Allahabad: or 19 Elgin Road, Civil Line, Allahabad.

Please take notice that the applicant above named has presented an application a copy whereof is enclosed herewith which has been registered in this Tribunal and the Tribunal has fixed 23-12-88 day of 198 For hearing at circuit Bench Lucknow

If, no, appearance is made on your behalf, your pleader or by some one duly authorised to Act and plead on your in the said application, it will be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of the Tribunal this day of 8/12/1988

(signature) 8/12
for FOR Deputy Registrar (Jud.)

As.

In the Hon'ble Central Administrative Tribunal (1)

व अदालत श्रीमान Allahabad महोदय

Shri Shiv Shanker Shukla

वादी (मुदई)

प्रतिवादी (मुद्दाअलेह) का **वकालतनामा**

Registration Case No. 440 of 1987

[Court fee stamp: COURT FEE, INDIA, FIVE RUPEES]

24/7/88

Shiv Shanker Shukla — Applicant ~~वादी~~ (मुद्दई)

बनाम

Union of India & others

प्रतिवादी (मुद्दालेह)

नं० मुकद्दमा सन् १६ पेशी की ता० १६ ई०

नाम अदालत	नं० मुकद्दमा	नाम फरीकैन

ऊपर लिखे मुकद्दमा में अपनी ओर से श्री O.P. Srivastava, Advocate एडवोकेट / वकील महोदय

867, Old Mahanagar
Near Fatima Hospital
Lucknow - 226006

को अपना वकील नियुक्त करके प्रतिज्ञा (इकरार) करता हूँ और लिखे देता हूँ इस मुकद्दमा में वकील महोदय स्वयं अथवा अन्य वकील द्वारा जो कुछ पैरवी व जवाबदेही व प्रश्नोत्तर करें या अन्य कोई कागज दाखिल करें या लौटावें या हमारी ओर से डिगरी जारी करावें और रुपया वसूल करें या सुलहनामा या इकबाल दावा तथा अपील व निगरानी हमारी ओर से हमारे या अपने हस्ताक्षर से दाखिल करें और तसदीक करें या मुकद्दमा उठावें या कोई रुपया जमा करें या हमारी या विपक्ष (फरीकसानी) का दाखिल किया रुपया अपने या हमारे हस्ताक्षर-युक्त (दस्तखती) रसीद से लेवें या पंच नियुक्त करे - वकील महोदय द्वारा की गई वह कार्यवाही हमको सर्वथा स्वीकार है और होगी मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि मैं हर पेशी स्वयं या किसी अपने पैरोकार को भेजता रहूँगा अगर मुकद्दमा अदम पैरवी में एक तरफा मेरे खिलाफ फैसला हो जाता है उसकी जिम्मेदारी मेरी वकील पर न होगी। इसलिए यह वकालतनामा लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

Accepted
[signature]
Adv.

हस्ताक्षर शिवशंकर शुक्ल

साक्षी (गवाह)........... साक्षी (गवाह)...........

दिनांक........... महीना........... सन्

19/8/87

NS/CCS
54

VAKALATNAMA

IN THE CENTRAL ADMINSTRATIVE TRIBUNAL
ALLAHABAD

Before
in the Court of

Reg. No. 440 of 1987

Plaintiff / Defendant — Sheo Shanker Shukla — Claiment / Appellant

Versus

Petitioner / Respondent

Defendant / Plaintiff — Union Of India & Others

The President of India do hereby appoint and authorise Shri...V. K. Goel.........................

..............Railway Advocate, Allahabad...

....to appear, act, apply, plead in and prosecute the above described suit/appeal/proceeding on behalf of the Union of India to file and take back documents, to accept processes of the Court, to appoint and instruet Counsel, Advocate or Pleader, to withdraw and deposit moneys and generally to represent the Union of India in the above described suit/appeal/proceedings and to do all things incidental to such appearing, acting, applying, Pleading and prosecuting for the Union of India SUBJECT NEVERTHELESS to the condition that unless express authority in that behalf has previously been obtained from the appropriate Officer of the Government of India, the said Counsel/Advocate/pleader or any Counsel, Advocate or Pleader appointed by him shall not withdraw or withdraw from or abandon wholly or partly the suit/appeal/claim/defence/proceeding against all or any defendants/respondents/appellant/plaintiff/opposite parties or enter into any agreement, settlement, or compromise whereby the suit/appeal/proceeding is/are wholly or partly adjusted or refer all or any matter or matters arising or in dispute therein to arbitration PROVIDED THAT in exceptional circumstances when there is not sufficient time to consult such appropriate Officer of the Government of India and an omission to settle or compromise would be definitely prejudicial to the interest of the Government of India and said Pleader/Advocate or Counsel may enter into any agreement, settlement or compromise whereby the suit/appeal/proceeding is/are wholly or partly adjusted and in every such case the said Counsel/Advocate/Pleader shall record and communicate forthwith to the said officer the special reasons for entering into the agreement, settlement or compromise.

The President hereby agree to ratify all acts done by the aforesaid Shri V. K. GOAL.............

...............Railway Advocate, Allahabad...

in pursuance of this authority.

IN WITNESS WHEREOF these presents are duly executed for and on behalf of the President of India this the ....day of June.......1987

Dated........ 198

(A. TETE)
Dy. Chief Personnal Officer
North Eastern Railway,
Gorakhpur.
Designation of the Executive Officer,

NER—84850400—8000—4 7 84

(39) (3)

NS/CCS
64

VAKALATNAMA

Before
In the Court of The Central Administrative Tribunal Allahabad Bench.

Reg No. 440 of 1987

Sheo Shanker Shukla — Applicant

Versus

Union of India and others. – Respondents

I/We. A. Mithal, D.R.M., NERly Lucknow; R.K. Singh, ADRM NERly Lucknow; Jai Narain, Sr. DCS, NERly Lucknow; Mahendra D.C.S., NERly, Lucknow.

do hereby appoint and authorise Shri V. K. Goel

Railway Advocate Allahabad to appear, act apply and prosecute the above described Writ/Civil Revision/Case/Suit/Applicaion/Appeal on my/our behalf, to file and take back documents, to accept processes of the Court, to deposit moneys and generally to represent myself/ourselves in the above proceeding and to do all things incidental to such appearing, acting, applying, pleading and prosecuting for myself/ourselves.

I/We hereby agree to ratify all acts done by the aforesaid Shri V. K. Goel Railway Advocate, Allahabad. in pursuance of this authority.

IN WITNESS WHERE OF these presents are duly executed by me/us this .... day of .... 198..

(Jai Narain)
प्रवर मंडल वाणिज्य अधीक्षक,
पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ

(A. Mithal)
Divisional Railway Manager
N.E. Railway Lucknow

(Mahendra)
मंडल वाणिज्य अधीक्षक,
पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ

19/6/87
(R. K. Singh)
Add.Divisional Railway Manager
N.E. Railway Lucknow

350400—800—4 7 84

(4)

NS/CCS
64

वकालतनामा

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण सर्किट बेन्च लखनऊ ...... के समक्ष
.... के न्यायालय में
ओ०ए० नं० 440/87 कैट/लखनऊ

वादी / प्रतिवादी	एस०एस० शुक्ला	दावेदार / अपीलार्थी
	बनाम	
प्रतिवादी / वादी	भारत संघ एवं अन्य	अर्जीदार / प्रत्यार्थी

भारत के राष्ट्रपति इसके द्वारा श्री बी०के० शुक्ला रेलवे अधिवक्ता लखनऊ

को उपर्युक्त वाद/अपील/कार्यवाही में भारत संघ की ओर से उपसंजात होने, कार्य करने, आवेदन करने, अभिवचन करने और आगे कार्यवाही करने के लिए दस्तावेज दाखिल करने और वापस लेने, न्यायालय की आदेशिका स्वीकार करने, काउन्सेल, अधिवक्ता या प्लीडर नियुक्त करने और उन्हें अनुदेश देने, रुपया वापस लेने और उसका निक्षेप करने तथा उपर्युक्त वाद/अपील/कार्यवाही में भारत सरकार का साधारण प्रतिनिधित्व करने और भारत संघ के लिए इस प्रकार उपसंजात होने, कार्य करने, आवेदन करने, अभिवचन करने और आगे कार्यवाही करने की आनुषांगिक सभी बातें करने के लिए नियुक्त और प्राधिकृत करते हैं। किन्तु यह इस शर्त के अधीन रहते हुए होगा कि जब तक भारत सरकार के समुचित प्राधिकारी से उस निमित्त पहले ही स्पष्ट प्राधिकार प्राप्त नहीं कर लिया गया है, तब तक उक्त काउन्सेल/अधिवक्ता/प्लीडर या उसके द्वारा नियुक्त काउन्सेल/अधिवक्ता/प्लीडर सभी या किसी प्रतिवादी/प्रत्यर्थी/अपीलार्थी/वादी/विरोधी पक्षकार के विरुद्ध उसे वाद/अपील/दावा/प्रतिरक्षा/कार्यवाही को पूर्णतः या भागतः न तो वापस लेगा, न उसका अधित्यजन करेगा, न ऐसा कोई करार करेगा या समझौता करेगा जिसके द्वारा वाद/अपील/कार्यवाही पूर्णतः या भागतः समायोजित की जाए और न उससे उद्भूत या उसमें विवादग्रस्त सभी या किसी विषय को मध्यस्थ को निर्देशित करेगा, परन्तु आपवादिक परिस्थितियों में जब भारत सरकार के समुचित प्राधिकारी से परामर्श करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है और वाद में समझौता करने में लोप करना निश्चित रूप से भारत सरकार के हित के प्रतिकूल होगा तो उक्त प्लीडर/अधिवक्ता/काउन्सेल ऐसा कोई करार या समझौता कर सकेगा जिसके द्वारा उक्त वाद/अपील/कार्यवाही पूर्णतः या भागतः समायोजित हो जाय और ऐसे प्रत्येक मामले में काउन्सेल/अधिवक्ता/प्लीडर करार या समझौता करने के विशेष कारण बताते हुए उक्त अधिकारी को तत्काल संसूचित करेगा।

राष्ट्रपति इस प्राधिकार के अनुक्रम में श्री बी०के० शुक्ला रेलवे अधिवक्ता लखनऊ
द्वारा किए गए सभी कार्यों का अनुसमर्थन करने को सहमत हैं।

इसके साक्ष्यस्वरूप भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से इस विलेख को आज तारीख ....को सम्यक् रूप से निष्पादित किया जाता है।

Accepted
31/5/90

तारीख 19

(एस०एम० ...)
निष्पादन करने वाले अधिकारी का पदनाम
प्रवर मण्डल कार्मिक अधिकारी
लखनऊ
कृते भारत संघ

NER—84850400—8000— 4 7 84